

सामान्य व ग्रामीण रिटेल आउटलेट

के लिए

डीलरों के चयन हेतु पुस्तिका



24 नवंबर 2018

विषय-वस्तु

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	परिचय	3
1	लोकेशन की पहचान	3
2	आरक्षण	3
3	रिटेल आउटलेट साइट के प्रकार	4
4	व्यक्तिगत आवेदकों के लिए योग्यता मानदण्ड	4
5	गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के लिए योग्यता मानदण्ड	13
6	रिटेल आउटलेट प्रबंधन	13
7	सह मालिक के रूप में पति/पत्नी	14
8	रिटेल आउटलेट डीलरशिप के परिचालन हेतु आवश्यक मूल सुविधाएँ	14
9	अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा) श्रेणी डीलरशिप के लिए आर्थिक सहायता की योजना	16
10	अयोग्यता	17
11	शपथ-पत्र	19
12	अप्रतिदेय आवेदन शुल्क	20
13	अप्रतिदेय निर्धारित शुल्क /बोली की राशि	20
14	चयन प्रक्रिया	20
15	प्रत्यय पत्रों का क्षेत्र सत्यापन	26
16	आशय पत्र	26
17	आशय पत्र की वापसी और उम्मीदवारी के निरस्त होने के परिणामस्वरूप चयन प्रक्रिया	27
18	शिकायत/व्यथा निवारण प्रणाली	27
19	डीलरशिप की स्थापना	28
20	जमानत राशि/निर्धारित शुल्क/ बोली राशि	29
21	डीलरशिप की अवधि	29
22	गलत जानकारी	29
23	वेब साइट पर दर्शित विज्ञापन के बारे में विस्तृत जानकारी	30
24	परिशिष्ट	34-75

**ड्रा ऑफ लॉट्स / बोली प्रक्रिया के माध्यम से
सामान्य एवं ग्रामीण रिटेल आउटलेट डीलरों के चयन पर दिशा-निर्देश**

परिचय

चयन के दिशा-निर्देशों की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- (i) योग्यता मानदण्ड को पूरे करने वाले सभी आवेदक अगली चयन प्रक्रिया के लिए योग्य माने जाएंगे।
- (ii) आवेदन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और ड्रा ऑफ लॉट्स / बोली ओपनिंग.
- (iii) कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाले डीलर संचालित आउटलेट, डीलर के स्वामित्व वाले डीलर संचालित आउटलेट, तथा कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाले कॉर्पस फंड योजना के अंतर्गत आने वाले आउटलेट के लिए अलग-अलग चयन प्रक्रिया है।
- (iv) "बी"/डीसी" साइट रिटेल आउटलेट्स के विभिन्न डीलरशिप मानक में छूट डी गयी है।
- (v) तेल विपणन कंपनियों के वर्तमान अलाभकारी एस्केओ डीलर भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

1. लोकेशन की पहचान

रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए लोकेशन की पहचान संबंधित तेल कंपनी द्वारा की जाती है जो वाणिज्यिक/न्यूनतम मात्रा की संभाव्यता पर आधारित होती है। तदनुसार तेल कंपनियों द्वारा सामान्य/ग्रामीण आउटलेट निम्नानुसार स्थापित किए जाते हैं :-

- i) **सामान्य रिटेल आउटलेट्स** : हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्ग-/राजमार्ग-) तथा शहरी/अर्ध शहरी क्षेत्रों(शहर की म्यूनिसिपल सीमा)में आने वाले लोकेशन
- ii) **ग्रामीण रिटेल आउटलेट्स** : ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले लोकेशन, लेकिन जो हाईवे पर (राष्ट्रीय राजमार्ग-/ राज्य राजमार्ग-) पर नहीं है और शहर की म्यूनिसिपल सीमा से बाहर है।

2. आरक्षण

क. अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिज़ोरम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार है:-

श्रेणी	अजा/अजजा	अपिव	खुली	कुल
संयुक्त श्रेणी 1 जिसमें शामिल हैं:- (i) रक्षा कार्मिक और (ii) अर्द्ध सैनिक कार्मिक/केन्द्रीय/ राज्य सरकार और केन्द्रीय/राज्य पीएसयू कर्मचारी	2	2	4	8
संयुक्त श्रेणी 2 जिसमें में शामिल हैं :- (i) अभूतपूर्व खिलाड़ी और (ii) स्वतंत्रता सेनानी	0	0	1	1
शारीरिक रूप से विकलांग	1	1	1	3
अजा/अजजा	19.50			19.50
अपिजा		24		24
खुली			44.50	44.50
कुल	22.50	27	50.50	100

ख. अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड और मिज़ोरम के राज्यों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आरक्षण निम्नानुसार जारी रहेगा: -

राज्य	अजजा श्रेणी को दी गई सामान्य और ग्रामीण रिटेल आउटलेट डीलरशिप का प्रतिशत	खुली श्रेणी को दिया जाने वाला शेष प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	70	30
मेघालय	80	20
नागालैण्ड	80	20
मिज़ोरम	90	10

3. रिटेल आउटलेट साइट के प्रकार

साइट्स के प्रकारों को तेल कंपनियों द्वारा निम्नानुसार तय किया जायेगा:-

क्र.सं.	साइट के प्रकार	भूमि की स्थिति और सुविधाएँ
i.	कॉर्पोरेट फंड स्कीम के तहत आने वाले लोकेशन (सीएफएस साइट्स)	प्रस्तावित भूमि को लीज़ पर लेकर या खरीद कर पूर्णतः कॉर्पोरेशन स्वामित्व साइट के रूप में विकसित किया जाएगा।
ii.	कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाले अन्य स्थल ("सीसी"/ "ए" स्थल)	प्रस्तावित भूमि को लीज़ पर लेकर या खरीद कर पूर्णतः कॉर्पोरेशन स्वामित्व साइट के रूप में विकसित किया जाएगा।
iii.	डीलर के स्वामित्व वाले स्थान ("डीसी" / "बी" साइट्स)	प्रस्तावित भूमि और सुपर संरचना डीलर द्वारा विकसित की जाएगी। पंप, टैंक, ऑटोमेशन, साइनेज़ आदि कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाएंगे।

नोट : प्रस्तावित भूमि या तो आवेदक से या भूमि के मालिक से सीधे ली जा सकती है।

अजा/अजजा श्रेणी के अन्तर्गत सभी लोकेशन उक्त (i) के अनुसार विकसित किये जाएंगे।

4. व्यक्तिगत आवेदकों के लिए योग्यता मानदण्ड - स्वामित्व / पार्टनरशिप

व्यक्तिगत रूप में आवेदन करने वालों के लिए सभी श्रेणियों में समान योग्यता मानदण्ड (आवेदन की तारीख को जब तब तक अन्यथा न वर्णित हो)

(i) नागरिकता : भारतीय नागरिक

(ii) आवासीय स्थिति : भारत का निवासी (आयकर नियम 1 के अनुसार)

(iii) आयु : 21 वर्ष से कम नहीं और 60 वर्ष से अधिक नहीं, सीसी2 श्रेणी के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़कर

आयु प्रमाण के समर्थन में 10वीं कक्षा बोर्ड प्रमाणपत्र / माध्यमिक स्कूल लीविंग प्रमाण-पत्र / जन्म प्रमाण पत्र / पासपोर्ट / आयु हेतु शपथ-पत्र / चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति संलग्न होना चाहिए।

(iv) शैक्षणिक अर्हता :

कम से कम 10वीं पास (बोर्ड/विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा).

यदि कोई व्यक्ति पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में 182 दिन या उससे अधिक रहा, तो आयकर नियमों के अनुसार वह भारत का निवासी माना जाता है, चाहे उसका नागरिकत्व कहीं का भी हो। यदि उसका निवास 182 दिनों से कम है तो वह अनिवासी माना जायेगा।

कार्मिक एवं सार्वजनिक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 15012/8/82-स्था. (डी) दिनांक 12.02.1986 के अनुसार सशस्त्र सेनाओं द्वारा 10 वीं कक्षा पास के समकक्ष जारी प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जाएगा।

विदेशी विश्वविद्यालयों/बोर्ड द्वारा प्राप्त शैक्षिक योग्यता के लिए, सक्षम प्राधिकारी / राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा जारी समतुल्य प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा संलग्न किया जाना चाहिए

सीसी2 श्रेणी के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता लागू नहीं है।

(v) भूमि (सभी श्रेणियों को लागू):

आवेदन फार्म में आवेदकों द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा अप्रस्तावित भूमि के आधार पर आवेदकों को 3 समूहों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :-

ग्रुप 1: आवेदकों के पास विज्ञापित लोकेशन/एरिया में मालिकाना हक में/ न्यूनतम 19 वर्ष 11 माह की अवधि के लिए दीर्घ अवधि लीज पर भूमि का उपयुक्त टुकड़ा हो या तेल विपणन कंपनी द्वारा दिये गए विज्ञापन के अनुसार हो।

ग्रुप 2: आवेदकों के पास उपयुक्त भूमि खरीदने के लिए या न्यूनतम 19 वर्ष 11 माह की अवधि के लिए दीर्घ अवधि लीज का पक्का प्रस्ताव हो या तेल विपणन कंपनी द्वारा दिये गए विज्ञापन के अनुसार हो।

ग्रुप 3: जिन आवेदकों ने अपने आवेदन में भूमि प्रस्तावित नहीं की है।

ग्रुप 3 के तहत आवेदन तभी प्रोसेस किए जाएंगे/भूमि का प्रस्ताव देने को कहा जाएगा जब कोई पात्र आवेदक नहीं पाया जाता है या ग्रुप 1 और 2 के तहत किसी आवेदक का चयन नहीं होता है।

यदि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंतर्गत आने वाले सभी आवेदकों की प्रस्तावित भूमि उपयुक्त नहीं पायी जाती है या अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है तब इन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के आवेदकों के साथ-साथ ग्रुप 3 के आवेदकों (जिन्होंने आवेदन के साथ भूमि प्रस्तावित नहीं की है) को तेल विपणन कंपनियों द्वारा एसएमएस /ईमेल के माध्यम से सूचना पत्र जारी होने की तारीख से 3 माह के अंदर विज्ञापित स्थानों/दायरे में उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव देने को कहा जाएगा। यदि आवेदक निर्धारित अवधि में उपयुक्त भूमि उपलब्ध करने में विफल रहता है या उपलब्ध कराये जाने वाली भूमि निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

प्रस्तावित भूमि के लिए अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं:-

(क) आवेदन की तारीख को आवेदक के पास भूमि उपलब्ध होनी चाहिए और विज्ञापन की तारीख को या उसके बाद की तारीख में (परंतु आवेदन की तारीख के बाद नहीं) 19 वर्ष 11 माह के न्यूनतम लीज (जैसा की संबंधित तेल कंपनी द्वारा विज्ञापन किया गया हो) पर होनी चाहिए।

(ख) यदि प्रस्तावित भूमि दीर्घ अवधि लीज पर है तो कॉर्पस फंड योजना, अन्य कॉर्पोरेशन के स्वामित्व के स्थलों ("ए"/ "सीसी" स्थल) के अन्तर्गत विज्ञापित लोकेशनों के लिए लीज करार में उप-लीज का प्रावधान होना चाहिए।

यदि यह पाया जाता है कि चयनित आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि के लीज करार में सब-लीज का प्रावधान नहीं है, तो ऐसे मामलों में चयनित आवेदक को लीज करार में उपयुक्त संशोधन /समावेश कर संबंधित तेल विपणन कंपनी को प्रस्तुत करने के लिए एसएमएस /ईमेल के माध्यम से सूचना की दिनांक से 21 दिन का समय दिया जाएगा।

(ग) आशय पत्र की शर्तों के अनुसार एलओए जारी करने से पहले, डीलर के स्वामित्व वाले स्थल ("बी"/"डीसी" स्थलों), के मामले में आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदक द्वारा इंतजाम की गई भूमि या तो आवेदक के नाम पंजीकृत होनी चाहिए या आवेदक के पक्ष में न्यूनतम 19 वर्ष 11 माह के लिए (जैसा की संबंधित तेल कंपनी द्वारा विज्ञापित किया गया है) लीज पर दी गई हो।

(घ) ग्रुप 1 के अंतर्गत आने वाले आवेदक/आवेदकों को आवेदन दिनांक को डीलरशिप के लिए दी जाने वाली भूमि के स्वामित्व के समर्थन में निम्न में से कम से कम एक दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए:-

- खसरा / खतौनी या अन्य कोई समतुल्य राजस्व दस्तावेज या राजस्व पदाधिकारी से प्रमाण-पत्र जो भूमि के स्वामित्व की स्थिति की पुष्टि करे।

- पंजीकृत बिक्री विलेख / पंजीकृत उपहार विलेख
- कम से कम 19 वर्ष 11 माह के लिए वर्षों के लिए पंजीकृत लीज़ डीड(जैसा कि संबंधित तेल कंपनी विज्ञापित किया गया है)।
- किसी अन्य तरह का स्वामित्व / ट्रांसफर डीड दस्तावेज
- सरकारी/ अर्द्ध सरकारी निकायों द्वारा जारी लीज़ करार या पुष्टिकृत आबंटन पत्र

ई) परिवार के सदस्य के मालिकाना हक वाली भूमि आवेदक (ग्रुप 1) की मानी जाएगी बशर्ते संबंधित परिवार सदस्य/सदस्यों के शपथ-पत्र के रूप में सहमति पत्र (परिशिष्ट III ए) प्रस्तुत किया जाए।

इस उद्देश्य के लिए परिवार में निम्नलिखित का समावेश होगा :-

- स्वयं
- पति/पत्नी
- सौतेला पिता / सौतेली माता सहित पिता/माता
- भाई/ बहन / सौतेला भाई / सौतेली बहन
- पुत्र/पुत्री/ सौतेला पुत्र / सौतेली पुत्री
- दामाद /बहू
- सास - ससुर
- दादा - दादी (मातृ और पितृत्व दोनों)

एफ) ग्रुप 2 के आवेदकों के लिए, भूमि के "फर्म ऑफर" में खरीद/दीर्घ अवधि लीज़ (तेल विपणन कंपनियों की शर्तों और निबंधनों के अनुसार) पर आधारित तीसरे पक्ष से भूमि का प्रस्ताव शामिल होगा। प्रस्ताव पत्र शपथ-पत्र (परिशिष्ट -III ए) के रूप में होना चाहिया, साथ ही डीलरशिप के लिए प्रस्तावित भूमि के समर्थन में उपर्युक्त खंड (डी) में उल्लिखित दस्तावेज़ संलग्न किए जाने चाहिए।

जी) यदि प्रस्ताव पत्र पावर ऑफ अटॉर्नी धारक(पंजीकृत) की ओर से है,तो डीलरशिप के लिए प्रस्तावित भूमि के स्वामित्व के समर्थन में, पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रतिलिपि और उपर्युक्त खंड (डी) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव पत्र शपथ पत्र के रूप में होना चाहिए।

एच) आवेदक द्वारा अधिवक्ता से प्राप्त पुष्टिकृत पत्र (परिशिष्ट III बी) के आधार पर तेल कंपनी द्वारा भूमि के संबंध में आवेदक की पात्रता (ग्रुप 1 और ग्रुप 2) के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

आई) यदि आवेदक अथवा उनके परिवार के सदस्य,, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमि का मालिकाना हक रखते हैं तो उस तीसरे व्यक्ति से भूमि के इस तरह के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट रूप से आवेदक के पक्ष में शपथ-पत्र (परिशिष्ट - III ए) या पावर ऑफ अटॉर्नी (पंजीकृत) भी देने की आवश्यकता है।

जे) मालिकाना/ पक्का ऑफर परिभाषित करने के लिए मालिकाना हक की विभिन्न स्थितियाँ निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	मालिकाना हक की स्थिति	भूमि में आवेदक का हिस्सा	आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज़	यथा मूल्यांकित
ग्रुप 1				
1	स्वयं की	पूरा	शून्य	खुद की भूमि मानी जाएगी

2	परिवार के सदस्यों के साथ स्वयं का या केवल परिवार के सदस्यों का	आंशिक/शून्य	परिवार इकाई के सदस्यों से शपथ-पत्र के रूप में सहमति पत्र - परिशिष्ट III ए	खुद की भूमि मानी जाएगी
3	<ul style="list-style-type: none"> दूसरे मालिकों के साथ खुद की दूसरे मालिकों/मालिकों के साथ परिवार के सदस्य की परिवार के सदस्यों और दूसरे मालिकों के साथ खुद की 	<p>आंशिक</p> <p>शून्य</p> <p>आंशिक</p>	यदि कंपनी द्वारा आवश्यक भूमि के बराबर या उससे अधिक भूमि आवेदक और/ या परिवार के सदस्यों की हिस्सेदारी में हो। सभी सह मालिक/मालिकों से स्टैम्प पेपर पर सहमति पत्र या शपथ पत्र या पावर ऑफ अटर्नी प्रस्तुत की जानी चाहिए - परिशिष्ट - III ए.	खुद की भूमि मानी जाएगी
4	सरकारी / अर्द्धसरकारी निकायों की भूमि	पूरी	खुद के नाम पर सरकारी / अर्द्धसरकारी निकायों से आबंटन पत्र जिसमें पेट्रोल पंप हेतु उपयोग का विशेष उल्लेख हो।	खुद की भूमि मानी जाएगी
गुप 2				
5	आंशिक या पूरी तरह तीसरे पक्ष की भूमि	आंशिक / शून्य	अन्य मालिक/मालिकों से शपथ पत्र के रूप में सहमति पत्र /पावर ऑफ अटॉर्नी - परिशिष्ट III ए	पक्का प्रस्ताव

के) हर आवेदक को आवेदन पत्र में उस श्रेणी को घोषित करना होगा जिसके अंदर प्रस्तावित भूमि आती है। इसके समर्थन में अधिवक्ता (परिशिष्ट III बी) से पुष्टिकृत पत्र भी देना होगा जिसमें आवेदन दिनांक को मौजूदा मालिकाना हक का विवरण, दस्तावेज आधार और जिस श्रेणी में भूमि आती है (गुप 1/गुप 2) के बारे में बताया गया हो। आवेदक की भूमि किस गुप में आती है और उसका निर्धारण आवेदन में की गई घोषणा और वकील के पुष्टिकृत पत्र के आधार पर होगा।

एल) यह आवेदक की ज़िम्मेदारी होगी कि वो यह सुनिश्चित करे कि आवेदन दिनांक को :-

- प्रस्तावित भूमि अपेक्षित माप की है और रोड लाइन के राइट ऑफ वे को छोड़कर सड़क सीमा से सटी हुई है।
- प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए भी अधिसूचित नहीं की गई है।
- भू स्वामी का शुरू से/ इज ऑफ रॉ लाइन भूमि पर कब्जा है।
- रॉ और प्रस्तावित प्लॉट के बीच सरकारी जमीन सहित कोई अन्य भूमि नहीं है।

नोट: यदि बाद के किसी चरण में यह पाया जाता है कि प्रस्तावित प्लॉट उपर्युक्त में से कोई शर्त पूरी नहीं कर रहा है तो ऐसे मामले में प्रस्तावित भूमि को निरस्त कर दिया जाएगा और एसएमएस/ईमेल से सूचना के माध्यम से गुप 3 के आवेदकों सहित उम्मीदवारों को अवसर दिया जाएगा।

एम) चयनित आवेदक द्वारा प्रस्तुत समर्थक दस्तावेजों का, चयन बाद, जांच के समय/प्रत्यय पत्रों के फील्ड सत्यापन के समय सत्यापन किया जाएगा।

नोट 1:

- क. खुद की भूमि से तात्पर्य है पंजीकृत बिक्री विलेख, पंजीकृत उपहार विलेख आदि के माध्यम से मालिकाना हक प्राप्त करना अथवा आवेदक /परिवार सदस्यों के नाम से पंजीकृत दीर्घ अवधि लीज़ (व्यक्तिगत तेल विपणन कंपनी के मानदण्डों के अनुसार) जैसा कि उपर्युक्त 4 (v)-इ में परिभाषित किया गया है।
- ख. यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक भूमि का प्रस्ताव दिया गया हो तो मूल्यांकन हेतु, भूमि मूल्यांकन समिति (एलईसी) द्वारा आवेदक से प्रस्तावित किसी एक भूमि पर विचार करने हेतु लिखित पुष्टि प्राप्त करनी होगी।
- ग. विज्ञापन में दिए गए किसी भी एक रिटेल आउटलेट की लोकेशन के लिए एक से ज्यादा आवेदकों द्वारा एक ही भूमि का प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता। यदि एक से ज्यादा आवेदकों द्वारा उसी भूमि का प्रस्ताव दिया जाता है तो ऐसे सभी आवेदकों को खारिज कर दिया जाएगा और यदि कोई आवंटन कर दिया गया है तो वो निरस्तीकरण के अधीन होगा।
- घ. चुने गए उम्मीदवार को प्रस्तावित भूमि सड़क स्तर तक विधिवत विकसित कर देनी होगी यानि संबंधित आर्मएसी की संतुष्टि तक मानक इंजीनियरिंग प्रथाओं के अनुसार गुड अर्थ / मुरुम सहित कटिंग /फिलींग (यथा लागू) एवं लेयर वाइज़ तैयार कर देनी होगी। चुने गए उम्मीदवार को तेल विपणन कंपनियों के अनुमोदन के अनुसार स्थल को शर्तों के अनुरूप डिज़ाइन की गई न्यूनतम 1.5 मीटर ऊंची रिटेंनिंग वॉल और कम्पाउंड वॉल भी बनाकर देनी होगी।
- ई. आवेदक से प्रस्तावित भूमि लेने के लिए तेल कंपनी पर किसी भी तरह की बाध्यता नहीं है। यदि चुने जाने के बाद आवेदक आवेदन में बताई गई भूमि आशय पत्र की तारीख से 2 महीने (ग्रुप 1 के लिए) और 4 महीने (ग्रुप 2 के लिए) की अवधि के अंदर देने में असमर्थ रहता है तो तेल कंपनी को डीलरशिप आबंटन के लिए चुने गए आवेदक के पक्ष में जारी एलओआई (आशय-पत्र) रद्द करने / वापस लेने का अधिकार रहेगा ।

नोट 2

उन स्थानों पर जहां आवेदक ने अपने आवेदन (ग्रुप 3) में भूमि प्रस्तावित नहीं की है अथवा जहां ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तहत सभी आवेदकों द्वारा प्रस्तावित भूमि निर्धारित मानदंडों को पूरा न करने के कारण निरस्त कर दी गई, तब ऐसे सभी आवेदकों को विज्ञापित लोकेशन / दायरे में भूमि और वैकल्पिक भूमि (जैसा भी मामला हो) प्रस्तावित करने का अवसर दिया जाएगा बशर्ते कि आवेदक अन्य पात्रता मानदंड पूरे करता हो।

एसएमएस और ईमेल के माध्यम से ऐसी सूचना इन आवेदकों को प्रेषित की जाएगी जिसमें उन्हें प्रस्ताव पत्र की दिनांक से 3 माह की अवधि के भीतर भूमि और वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव देने का अवसर दिया जाएगा।

तेल कंपनी से भूमि प्रस्ताव की सूचना मिलने के बाद आवेदक एडवोकेट के पुष्टि पत्र (पारिशिष्ट III बी) के आधार पर यह दर्शाते हुए की भूमि किस श्रेणी (ग्रुप 1 अथवा ग्रुप 2) में आती है, भूमि प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा। चयन पर, चयनित आवेदक को प्रस्तावित भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज मय शपथ पत्र(पारिशिष्ट III ए) के रूप में सहमति पत्र और/अथवा पावर ऑफ अटॉर्नी(पंजीकृत),यदि लागू हो,साथ ही एडवोकेट से पुष्टि पत्र (पारिशिष्ट III बी)प्रस्तुत करना होगा।

आवेदकों को उनके द्वारा प्रस्तावित भूमि के आधार पर दो ग्रुप अर्थात ग्रुप 1 अथवा ग्रुप 2 में वर्गीकृत किया जाएगा।

यदि आवेदक निर्धारित अवधि में वैकल्पिक भूमि प्रस्ताव देने में विफल रहते हैं तो प्रस्ताव वापस ले लिया जाएगा और एसएमएस/ईमेल के माध्यम से आवेदक/आवेदकों को सूचित करते हुए प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाएगा।

आवेदक को केवल एक अवसर दिया जाएगा, या तो भूमि प्रस्ताव देने का (यदि आवेदक ने आवेदन फार्म के साथ कोई भूमि प्रस्ताव नहीं दिया है) या वैकल्पिक भूमि प्रस्ताव देने का (आवेदन के साथ भूमि प्रस्ताव देने वाले आवेदकों के मामले में), यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि जांच/भूमि मूल्यांकन/चयन के बाद निरस्त के दौरान निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं कर पाई है।

नोट 3 : एफवीसी/आशय पत्र जारी करने के बाद वैकल्पिक भूमि प्रस्तावित करने का अवसर

ऐसी स्थिति भी हो सकती है, जहां आवेदन में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित भूमि (ग्रुप 3/ग्रुप 1 एवं ग्रुप 2 आवेदकों द्वारा प्रस्तावित भूमि /वैकल्पिक भूमि सहित) विज्ञापन में निर्धारित सभी मानदंड पूरे करती है और जिसके आधार पर आशय पत्र जारी किया गया है या जारी करना प्रस्तावित है एवं आशय पत्र धारक और चयनित उम्मीदवार जिसे आशय पत्र जारी करना प्रस्तावित है, किसी भी कारण से, वैकल्पिक भूमि देने का प्रस्ताव करता है तो तेल विपणन कंपनी ऐसी भूमि के बारे में विचार कर सकती है बशर्त वैकल्पिक भूमि सभी मानदंड पूरा करती है और विज्ञापित स्थान/दायरे में है।

यदि आवेदक का चयन हो गया है और आशय पत्र जारी नहीं हुआ है तब चयनित उम्मीदवार से वैकल्पिक भूमि प्रस्ताव का आवेदन प्राप्त होने के बाद, वैकल्पिक भूमि का भूमि मूल्यांकन किया जाएगा और यदि भूमि उपयुक्त पाई गई तो प्रस्तावित भूमि में परिवर्तन का उल्लेख करते हुए आशय पत्र जारी किया जाएगा।

यदि आशय पत्र जारी होने के बाद वैकल्पिक भूमि प्रस्ताव दिया जाता है तो भूमि मूल्यांकन के बाद (भूमि के उपयुक्त पाये जाने पर) प्रस्तावित वैकल्पिक भूमि की स्वीकृति दर्शाते हुए एक पत्र जारी किया जाएगा और इसे आशय पत्र का भाग माना जाएगा।

यदि तेल विपणन कंपनी द्वारा चयनित उम्मीदवार/आशय पत्र धारक द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक भूमि को स्वीकृति दे दी जाती है और आशय पत्र/ आशय पत्र में इसे जोड़ कर जारी कर दिया जाता है, तो तेल विपणन कंपनी द्वारा स्वीकृत वैकल्पिक भूमि को अंतिम निर्णय माना जाएगा और आगे (प्रस्तावित मूल साइट सहित) कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यदि चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक भूमि निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती है तो चयनित उम्मीदवार को इस बारे में (आशय पत्र द्वारा) सूचित किया जाएगा और चयनित उम्मीदवार को मूल रूप से प्रस्तावित भूमि का संदर्भ देते हुए आशय पत्र जारी किया जाएगा।

यदि आशय पत्र धारक द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक भूमि निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती है तो आशय पत्र धारक को इस बारे में आशय पत्र में जोड़ते हुए सूचित किया जाएगा। ऐसे मामले में , वैकल्पिक भूमि प्रस्ताव के निरस्त करने की सूचना देते हुए आशय पत्र में उल्लेख अनुरूप पत्र जारी होने की दिनांक से (आशय पत्र में जोड़) भूमि (आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित भूमि) उपलब्ध कराने की तय सीमा मान्य रहेगी।

आशय पत्र धारक को आशय पत्र जारी होने से 90 दिन का अवसर उपलब्ध रहेगा ।

चयनित उम्मीदवार (एफवीसी क्लियर होने के बाद)/आशय पत्र को धारक केवल एक बार उपरोल्लिखित अवसर उपलब्ध रहेगा।

नोट 4 :

- i. यदि चयनित उम्मीदवार (एफवीसी क्लियर होने के बाद) आशय पत्र जारी होने से पहले वैकल्पिक भूमि प्रस्ताव के अवसर का उपयोग करता है तो ऐसे उम्मीदवार को आशय पत्र जारी होने के बाद यह अवसर उपलब्ध नहीं रहेगा।
- ii. एकबारगी वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव देने का अवसर तब भी उपलब्ध रहेगा जब किराए की बातचीत विफल हो जाती है । तथापि, ऐसे मामले में बातचीत विफल होने के 90 दिन के अंदर आशय पत्र धारक वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव दे सकता है। आगे, आशय पत्र धारक को यह अवसर उपलब्ध नहीं रहेगा यदि उसने आशय पत्र जारी होने से पहले/ आशय पत्र जारी होने के बाद इस अवसर का उपयोग कर लिया हो।

- iii. चयन (एफवीसी क्लियर होने के बाद)/आशय पत्र जारी होने के बाद वैकल्पिक भूमि देने के प्रस्ताव का अवसर उन आवेदकों को भी दिया जाएगा जिन्होंने पूर्व में (एफवीसी क्लियर होने के पहले) ऐसे अवसर का लाभ ले लिया हो।
- iv. यदि चयन के बाद, यह पाया जाता है कि प्रस्तावित भूमि अनेक व्यक्तियों के सह स्वामित्व वाली है और चयनित उम्मीदवार ने सभी सह स्वामियों का सहमति पत्र प्रदान नहीं किया है तो चयनित उम्मीदवार को प्रस्तावित भूमि के लिए सभी सह स्वामियों से सहमति प्राप्त करने के लिए 21 दिन का अवसर दिया जाएगा और इसमें विफल रहने पर उम्मीदवार का चयन निरस्त कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवार को ग्रुप 3 के आवेदकों के साथ अवसर मिलेगा।
- v. चयन के बाद, यदि यह पाया जाता है कि ओएमसी की अपेक्षा अनुरूप(सीएफसी/सीसी साइट्स के लिए) प्रस्तावित भूमि में उप लीज का प्रावधान नहीं है तो चयनित उम्मीदवार को लीज करार में उपयुक्त संशोधन/जोड़ के लिए 21 दिन का समय दिया जाएगा और इसमें विफल रहने पर उम्मीदवार का चयन निरस्त कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवार को ग्रुप 3 के आवेदकों के साथ अवसर मिलेगा।

(vi) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में आवेदन के लिए विशिष्ट योग्यता मानदण्ड निम्नानुसार है:

क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अजा/अजजा):

भारत के संविधान के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार पात्र माने जाएंगे। आवेदक को आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें आवेदक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखने की परिशिष्ट -VI के अनुसार पुष्टि की गई हो।

नोट: जहां भी लागू हो, आवेदकों को जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

ख) अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव)

भारत के संविधान के अंतर्गत भारत सरकार (केन्द्रीय सरकार) द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार और/या जिस लोकेशन का विज्ञापन आया हो वहाँ से संबंधित व्यक्ति को संबंधित राज्य द्वारा अपिव की मान्यता दी गई हो, ऐसा व्यक्ति पात्र माना जाएगा।

जब भी तेल कंपनी कहे, उम्मीदवार को आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित और/या संबंधित राज्य जिसमें विज्ञापित लोकेशन आता है द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। इसे भारत सरकार (केन्द्रीय सरकार/राज्यसरकार द्वारा जारी संकल्प/गजट अधिसूचना में मान्यता प्राप्त हो। अपिव प्रमाण-पत्र के साथ (परिशिष्ट -VII ए) भी प्रस्तुत करना होगा कि वह अपिव से संबंधित है और गैर क्रीमी लेयर तबके (परिशिष्ट -VII बी) की स्थिति को पूरा करता /करती है। वचन पत्र (परिशिष्ट VII बी) की तारीख को उम्मीदवार के अपिव स्थिति की गणना की तारीख के रूप में देखा जाएगा और साथ ही यह भी माना जाएगा कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आता है। अंडरटेकिंग विज्ञापन दिनांक के बाद की किसी दिनांक का होना चाहिए।

ग) रक्षा कार्मिक

रक्षा कार्मिक यानि सशस्त्र बलों (जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना) के कार्मिक और इसमें आएंगे:-

- (i) युद्ध में अथवा श्रेय देने योग्य कारणों से मारे गए सक्रिय सशस्त्र बलों के सदस्यों की विधवाएँ /आश्रित
- (ii) भूतपूर्व सैनिक जो युद्ध के दौरान विकलांग हो गए / श्रेय देने योग्य कारणों से शांति प्रक्रिया में विकलांग हुए।

(iii) शारीरिक दृष्टि से सक्षम भूतपूर्व सैनिक

जब भी तेल कंपनी कहे, उपरोक्त (i) और (ii) के अंतर्गत आने वाले श्रेणी में आवेदन करने वाले उम्मीदवार को डीलरशिप के लिए योग्यता प्रमाण पत्र मूल में ही, पुनर्वास महानिदेशालय (डी जी आर) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा जिसमें उम्मीदवार को उनके द्वारा आवेदित डीलरशिप के लिए प्रायोजित किया हो। एक स्थल के डीलरशिप के लिए दिया गया पात्रता प्रमाण पत्र दूसरे स्थान के लिए मान्य नहीं होगा। आवेदक उस स्थान विशेष के लिए तभी पात्र माना जाएगा जब उनका योग्यता प्रमाण पत्र वर्तमान विज्ञापन के संदर्भ में हो।

उक्त (iii) के अंतर्गत आने वाली श्रेणी में आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार को डिस्चार्ज ऑर्डर या पेंशन ऑर्डर की प्रति संलग्न करनी चाहिए।

घ) सरकारी (पीएमपी सहित) और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्मिक

केन्द्रीय / राज्य सरकारों और केन्द्रीय / राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न विभागों में सेवारत कार्मिक जो इयूटी पर रहते हुए असमर्थ या विकलांग हो गए हैं वे इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे। इयूटी करते समय मृत्यु के मामले में उनकी विधवाओं/आश्रितों को इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र माना जायेगा।

तेल कंपनी की सूचना पर, इस श्रेणी के आवेदकों को संबंधित संगठन / सरकारी विभाग से प्रासंगिक प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करनी चाहिए। प्रमाण पत्र पर कार्यालय के प्रमुख या सरकार के अवर सचिव या उसके ऊपर के दर्जे के अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। (परिशिष्ट VIII)

ई) शारीरिक विकलांगता श्रेणी (पीएच):

- i. इस श्रेणी के आवेदकों को विकलांगता (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम 1995 (जिसे पीडबल्यूडी एक्ट, 1995 भी संदर्भित किया गया है) की धारा 2(टी) में परिभाषित लक्ष्य समूह के मानदंडों को पूरा करना चाहिए और विकलांगता प्रमाण पत्र सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30.12.2009 में निर्धारित सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करें।
- ii. मूक - बधीर एवं नेत्रहीन व्यक्ति जिनकी देखने, सुनने एवं बोलने में न्यूनतम 40% असमर्थता हो। इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को प्रमाणपत्र (आवेदन फॉर्म में दिए गए मानक फॉर्मेट के अनुसार) प्रस्तुत करना चाहिए। ये प्रमाणपत्र विभिन्न विकलांगताओं के मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र की प्रक्रिया के लिए दिशा - निर्देश पर दिनांक 13 जून 2001, क्रमांक 154 असाधारण भारत का गजट, नई दिल्ली के अनुसार केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा यथा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।

तेल कंपनी के चाहने पर आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ प्रमाणपत्र की प्रति (परिशिष्ट -IX ए या IX बी या IXसी जो भी लागू हो) प्रस्तुत करनी होगी।

एफ) अभूतपूर्व खिलाड़ी (ओएसपी):

निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे:

- अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता/खेल रत्न प्राप्तकर्ता
- ओलम्पिक / एशियाई / कामनवेल्थ खेलों में मेडल विजेता और स्वीकृत विश्व चैम्पियन / विश्व चैम्पियन
- सीनियर लेवल (पुरुष एवं महिलाएं) के लिए आयोजित मान्यता प्राप्त नैशनल चैम्पियन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी

तेल कंपनी द्वारा कहे जाने पर, इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वालों को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय फेडरेशन से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (युवा मामलों एवं खेल-कूद विभाग, भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त) आयोजित करता है अथवा युवा मामलों एवं खेल-कूद विभाग, भारत सरकार से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जी) स्वतंत्रता सेनानी (एफ़एफ़) :

तेल कंपनी द्वारा कहे जाने पर इस श्रेणी के व्यक्तियों को अपना स्वतंत्र सेनानी होने के प्रमाण के रूप में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रमाण पत्र या ताम्र-पत्र की एक प्रति या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अंतर्गत स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय से स्वीकृति पत्र के अनुसरण में महालेखाकार द्वारा जारी किए गए पेंशन की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(vii) पार्टनरशिप के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों की विशिष्ट आवश्यकताएँ :

पार्टनरशिप के मामले में हर एक पार्टनर को एक व्यक्ति के रूप में अर्हता पूरी करना चाहिए। तथापि पार्टनर / पार्टनरों की स्वामित्व की भूमि को पात्रता के उद्देश्य से उसे संपूर्ण रूप से प्रस्तावित फर्म की भूमि रूप में देखा जाएगा।

प्रत्येक पार्टनर अलग-अलग आवेदन के साथ न लौटाई जाने योग्य अलग-अलग आवेदन शुल्क जमा करेगा। तथापि सारे आवेदन (ऑनलाइन) एक साथ भेजने होंगे। उन्हें आवेदन के साथ प्रस्तावित पार्टनरशिप डीड की प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

(viii) ओएमसी के एसकेओ डीलर्स के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड :

वर्तमान ओएमसी के एसकेओ डीलर्स (सिर्फ व्यक्तिगत और भागीदार फर्म) , जो कि ऊपर निर्दिष्ट श्रेणी में पात्र है, निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं:

- वर्तमान ओएमसी के एसकेओ डीलर्स जिनका औसत आवंटन विज्ञापन माह से पहले के तत्काल 12 के दौरान प्रति माह 75 केएल एसकेओ से कम है, आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। ओएमसी द्वारा सूचित किए जाने पर आवेदकों को ऐसे आवंटन का प्रमाण राज्य सरकार के आवंटन प्राधिकारी/ पीएसयू तेल विपणन कंपनी के मंडल/प्रदेश/क्षेत्रीय कार्यालय, जैसा भी मामला हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। ऐसे आवेदकों के लिए मल्टिपल डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानदंड लागू नहीं होंगे।
- आवंटन पर, आरओ डीलरशिप के लिए नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले एसकेओ डीलर को उनकी एसकेओ डीलरशिप सरेंडर करनी होगी। आरओ डीलरशिप के लिए आवेदन हेतु पात्र होने के लिए, एसकेओ डीलर विज्ञापन दिनांक से पहले के 5 वर्ष में विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडित नहीं होना चाहिए अथवा डीलरशिप के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों / डीलरशिप करार, केरोसीन नियंत्रण आदेश या एसमा के तहत कोई कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए।
- व्यक्तिगत आवेदकों/भागीदारी फर्म आवेदकों के लिए लागू पात्रता मानदंड एसकेओ डीलर के लिए भी लागू होंगे।

नोट : चयनित उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के संबंध में:

1. पात्रता/ विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी प्रमाणपत्र/दस्तावेज़ आवेदक के पास होने चाहिए और आवेदन दिनांक को वैध हो।

तथापि रक्षा कार्मिकों के लिए डाइरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट(डीजीआर), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र आवेदन दिनांक की बाद की तारीख के हो सकते हैं, परंतु तेल कंपनी द्वारा सूचित करने के 10 दिन में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

जहां भी जाती प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो, चयनित उम्मीदवार को उसे संबन्धित राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्दिष्ट निर्धारित समय (ओएमसी द्वारा चयनित उम्मीदवार को सूचित करने की दिनांक से) के अतिरिक्त 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

2. यदि विभिन्न सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र दिये गए प्रारूप के अनुरूप नहीं है तो आवेदकों को अपात्र नहीं ठहराया जाएगा यदि उनकी विषय वस्तु कार्पोरेशन की अपेक्षा अनुरूप है।
3. चयनित उम्मीदवार द्वारा पात्रता / विशिष्ट पात्रता मानदंड के लिए लागू प्रमाणपत्र /दस्तावेज़ सूचना के 10 दिन के भीतर (ज्ञा निकालने/बोली प्रक्रिया के बाद) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

यदि चयनित उम्मीदवार लागू प्रमाणपत्र/दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो 10 का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यदि चयनित उम्मीदवार इस समय सीमा में लागू प्रमाणपत्र/दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो एसएमएस/ ईमेल के माध्यम से सूचित करते हुए उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

चयनित उम्मीदवार को कमी सुधार के तहत सुधारित / सही दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए 21 दिन का समय दिया जाएगा। यदि चयनित उम्मीदवार 21 दिन के अंदर सुधारित/ सही प्रमाणपत्र/ दस्तावेज़ प्रदान करने में विफल रहता है तो एसएमएस/ ईमेल के माध्यम से सूचित करते हुए उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

5. गैर- व्यक्तिगत आवेदकों(संस्था) के लिए पात्रता मानदण्ड

गैर व्यक्तिगत संस्था से तात्पर्य है सरकारी निकाय/एजेन्सीज, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटीज / को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटीज अथवा संबंधित राज्यों द्वारा लागू को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, संबंधित राज्य सरकारों के चैरिटी कमीशनर के यहाँ पंजीकृत चैरिटी ट्रस्ट, कंपनीज एक्ट 1956/2013 के अंतर्गत गठित कंपनियाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों सहित।

गैर व्यक्तिगत आवेदक, निम्नलिखित के अध्यक्षीन, केवल 'खुली' श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र हैं :

- (i) **आवासीय स्थिति** : संस्था भारत में पंजीकृत होनी चाहिए।
- (ii) **आयु**: फर्म/संस्था के पंजीकरण / निगमन की तारीख आवेदन पत्र की तारीख से कम से कम 3 साल पहले की होनी चाहिए।
- (iii) **भूमि**: भूमि के मामले में, परिवार सदस्य /सदस्यों की भूमि के लिए दिए गए खंडों को छोड़कर अन्य सभी शर्तें जो व्यक्तियों पर लागू होती हैं, वहीं इन पर भी लागू होंगी। अन्य शब्दों में, प्रस्तावित भूमि गुप 1 के लिए संस्था के नाम पर और गुप 2 के लिए पक्का ऑफर संस्था के नाम पर होना चाहिए।
- (iv) **वित्त**: पंजीकृत सोसाइटीज/कंपनियों ने पिछले लगातार 3 वित्तीय वर्षों में शुद्ध मुनाफा कमाया होना चाहिए जो सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत माणित हो।

नोट:

क. डीलरशिप के लिए आवेदन भेजने वाले सभी गैर व्यक्तिगत संस्थाओं को ड्राँ/बोली के लिए पात्र बनने हेतु व्यक्तिगत आवेदकों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट भूमि अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। भूमि संस्था के नाम पर होनी चाहिए न कि व्यक्तियों के नाम पर। उनके पास "अयोग्यता" खंड के अंदर विनिर्दिष्ट कोई अयोग्यता मानदण्ड नहीं होना चाहिए।

ख. पंजीकृत सोसाइटीज/चैरिटेबल ट्रस्ट/कंपनियों का यथोचित संकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि ये दर्शाया जा सके कि इनकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने का अधिकार है। संस्था की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरी को यह भी वचन-पत्र देना होगा कि वह प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का पालन करेगा।

ग. चयनित संस्थाओं द्वारा दस्तावेज़ प्रस्तुति के संबंध में, व्यक्तिगत आवेदकों के तहत दी गई समय सीमा लागू रहेगी।

6. रिटेल आउटलेट प्रबंधन

डीलरशिप के लिए चयनित व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर डीलरशिप के मामलों का प्रबंधन करते हुए रोजमर्रा के कार्यों पर ध्यान देना होगा। वह अन्य कोई रोजगार करने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि चयनित उम्मीदवार पहले से रोजगार में है तो उसे रोजगार से इस्तीफा देना होगा और तेल कंपनी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले अपने नियुक्ता से इस्तीफा स्वीकार करने संबंधी पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आगे नियुक्त पत्र जारी करते समय आशय-पत्र धारक को यह उल्लेख करते हुए नोटरीकृत शपथपत्र देना होगा कि वह निर्जी क्षेत्र में नियुक्त नहीं है या राज्य/केन्द्र सरकार से किसी तरह का वेतन/पर्क परिलब्धियाँ प्राप्त नहीं कर

रहा/रही है (परिशिष्ट - IV) । आशय पात्र धारक को यह भी आश्वासन देना होगा कि डीलरशिप अवधि के दौरान वह किसी निजी क्षेत्र में रोजगार नहीं करेगा/करेगी या राज्य /केन्द्र सरकार से किसी तरह का वेतन / पक / परिलब्धियाँ नहीं लेगा/लेगी।

डीलरशिप के लिए चुने गए गैर व्यक्तिगत आवेदक(संस्था) को डीलरशिप करार के प्रावधानों के अनुरूप अपने खुद के कर्मचारी/कर्मचारियों के नियंत्रण / पर्यवेक्षण के अधीन डीलरशिप के रोजमर्रा काम-काज / मामलों का प्रबंधन करना होगा।

7. सह मालिक के रूप में पति/पत्नी

व्यक्तिगत आवेदकों के मामले में, एकमात्र स्वामित्व के रूप में आवेदन करने पर उम्मीदवार के पति/पत्नी को आशय पत्र जारी करने के बाद 50% के हिस्से के साथ पार्टनर बना दिया जाएगा सिवाय उस स्थिति में जहां पति/पत्नी किसी लाभदायक नियोजन में हों और / या पार्टनर नहीं बनना चाहते हों। यदि आशय पत्र जारी करने के समय आवेदक अविवाहित /तलाकशुदा/विधवा/विधुर हो तो उसे यह वचन पत्र देना होगा कि जब कभी भी वह शादी करेगा /करेगी उसकी पत्नी / पति को पार्टनर बनाया जाएगा सिवाय उस स्थिति में जहां वह किसी लाभदायक नियोजन में हो और/या पार्टनर नहीं बनना चाहते हों। डीलर चयन के लिए पात्रता मापदण्ड को संतुष्ट करने की जरूरत के बिना भी पति/पत्नी की पार्टनरशिप पर विचार किया जाएगा। तथापि, उन्हें मल्टीपल डीलरशिप मानदण्डों के प्रावधानों, दोष सिद्ध खंड को पूरा करने के साथ यह शर्त भी पूरी करनी होगी कि वे साबित हुए कदाचार(malpractice) आदि के लिए समाप्त की गई डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूरशिप के हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे। यदि पति/पत्नी को पार्टनर बनाया जाता है तो पति/पत्नी से एक अलग शपथ पत्र (परिशिष्ट X ए के अनुसार), प्रस्तावित पार्टनरशिप डीड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज पार्टनर के रूप में शामिल किए जाने से पूर्व/आशय पत्र जारी करने से पहले लिए जाने चाहिए। (ए) विवाहित आवेदकों / आबंटियों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व अथवा (बी) अन्य मामलों में शादी के एक साल पहले पति/पत्नी को सह मालिक के रूप में शामिल करने के लिए पुनर्गठन नीति के प्रावधान लागू नहीं हैं।

पति/पत्नी को पार्टनर बनाने के लिए, एलओआई प्रदान करने के बाद, परिशिष्ट II ए के अनुसार एक पत्र के साथ, परिशिष्ट II बी के अनुसार पति/पत्नी से शपथ-पत्र लिया जाएगा और पार्टनरशिप डीड आदि के पंजीकरण के संबंध में आवश्यक दस्तोवज आवेदक/आवेदकों द्वारा आशय पत्र जारी करने से पहले पूरे किए जाएंगे। इसके पश्चात दोनों पार्टनरों द्वारा डीलरशिप करार पर हस्ताक्षर करने के साथ आशय पत्र जारी किया जाएगा।

यदि लाभदायक नियोजन सहित किसी अन्य कारण से पति/पत्नी पार्टनर न बनना चाहे तो परिशिष्ट II बी के अनुसार रेकार्ड के लिए शपथ-पत्र प्राप्त करना चाहिए।

उपर्युक्त उल्लिखित खण्ड के अंतर्गत पति/पत्नी को छोड़कर आवेदक अन्य किसी के भी साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता।

8. रिटेल आउटलेट डीलरशिप के परिचालन हेतु आवश्यक मूल सुविधाएँ

तेल कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार रिटेल आउटलेट में निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए: स्थल के प्रकार को देखते हुए डीलर (कॉर्पोरेशन द्वारा विनिर्दिष्ट)/ कॉर्पोरेशन द्वारा प्रत्येक प्रकार की सुविधाएँ निम्नानुसार प्रदान करनी चाहिए :

क्रम सं.	सुविधा के प्रकार	स्थल के प्रकार	
		सीएफएस लोकेशनों सहित "ए"/ "सीसी" स्थल	"बी"/ "डीसी" साइट
निम्न द्वारा सुविधा का प्रावधान :			
ए	आधारभूत सुविधाएँ :		
i.	बाउंड्री/कम्पाउंड वॉल सहित विकसित भूमि कॉर्पोरेशन के विनिर्देशों के अनुसार	डीलर	डीलर
ii.	टैंक, डिस्पेंसिंग यूनिट्स, साइनेज, ऑटोमेशन आदि	कॉर्पोरेशन	कॉर्पोरेशन

iii.	सेल्स ऑफिस, स्टोर रूम, टॉयलेट, इलेक्ट्रिकल रूम, वॉटर कनेक्शन, यार्ड लाइटिंग आदि	कॉर्पोरेशन	डीलर
iv.	जनरेटर/इनवर्टर	डीलर	डीलर
v.	एयर फिलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक गेज सहित कम्प्रेसर (ओमसी द्वारा निर्धारित)	कॉर्पोरेशन/ डीलर	डीलर
vi.	ड्राइव वे	कॉर्पोरेशन	डीलर
vii.	कैनॉपी (कॉर्पोरेशन की आवश्यकतानुसार)	कॉर्पोरेशन	डीलर
बी	ग्राहकों के लिए सुविधाएँ :		
i.	साफ पीने का पानी, टायलेट का साफ रखरखाव, टेलिफोन आदि	डीलर	डीलर

विशिष्ट अतिरिक्त सुविधाएँ ग्राहक सेवा के लिए आवश्यक है जैसे स्टाफ के चेंज रूम, सर्विस स्टेशन, आराम कक्ष, भोजनालय, पीयूसी सुविधा और/अन्य ऐसी सुविधाएँ जो समय-समय पर तेल कंपनी द्वारा बताई जाती हैं और जो तेल कंपनी/चयनित डीलर द्वारा यथा योग्य प्रदान की जाती है।

ख. अग्नि शमन एवं सुरक्षा उपकरण

सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप डीलर रिटेल आउटलेट में अग्नि शमन/सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा और अपने संसाधनों से उन्हें अच्छी कार्यकारी स्थिति में रखेगा। इसे चलाने और इसका रख-रखाव करने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए।

ग. आवश्यक निवेश:

नए रिटेल आउटलेट में अवसंरचना के विकास, सुविधाओं एवं कार्यकारी पूंजी हेतु अपेक्षित अनुमानित निवेशों की सूचना विज्ञापन में दी जाएगी।

चयनित आवेदक इच्छित उसे आवंटित आउटलेट पर अवसंरचना के विकास एवं सुविधाओं हेतु और आउटलेट के परिचालन हेतु कार्यकारी पूंजी उपलब्ध कराने का वचन देगा।

च. सांविधिक अनुमोदन/लाइसेंस :

चुने गए डीलर, डीलरशिप चलाने के लिए आवश्यक सभी वैधानिक अनुमोदन/लाइसेंस प्राप्त करेंगे।

ई. लाइसेंस फीस:

कॉर्पोरेशन द्वारा रिटेल आउटलेट पर भूमि और अवसंरचना / सुविधाओं प्रदान करने के लिए किए गए निवेश पर समय-समय पर लागू अनुसार प्रति केएल आधार पर लाइसेंस फीस डीलर द्वारा देय होगी।

कॉर्पोरेशन स्वामित्व के "ए" / "सीसी" स्थल, जिसमें अजा/अजजा श्रेणी के डीलरशिप के लिए कॉर्पस फंड स्कीम के अंतर्गत विकसित रिटेल आउटलेट भी शामिल है, के मामले में जीएसटी सहित वर्तमान में **लाइसेंस फीस** इस प्रकार है :-

पेट्रोल :	रु. 472.77 / कि.ली.
डीजल :	रु. 393.97/ कि.ली.

डीलर स्वामित्व के "बी"/ "डीसी" साइट रिटेल आउटलेट के लिए वर्तमान में लाइसेंस फीस, जीएसटी सहित इस प्रकार है :-

पेट्रोल : रू. 233.45 / कि.ली.
डीजल : रू. 194.54 / कि.ली.

9. "कॉर्पस फंड स्कीम" के अंतर्गत अजा/अजजा श्रेणी को आर्थिक सहायता की स्कीम

अजा/अजजा श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों के संबंध में, डीलरशिप देने पर तेल कंपनी "कॉर्पस फंड स्कीम" के अंतर्गत निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी:

ए) अजा/अजजा श्रेणियों के लिए आरक्षित लोकेशनों के संबंध में, परस्पर सहमत निबंधन एवं शर्तों पर, तेल कंपनी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित एवं प्राप्त भूमि पर अपने खर्च से आवश्यक सुविधाओं वाला तैयार रिटेल आउटलेट उपलब्ध कराएगी।

बी) तेल कंपनी डीलरशिप के परिचालन के एक पूरे परिचालन चक्र (7 दिन की बिक्री मात्रा के बराबर) के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी सहायता/ ऋण भी प्रदान करेगी। कार्यशील पूंजी और साथ ही उस पर एसबीआई एमसीएलआर (फंड आधारित सीमांत लागत उधार दर) प्लस 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज या 11% प्रति वर्ष, ब्याज जो भी कम हो , दोनों डीलरशिप शुरू होने के 13वें महीने से 100 समान मासिक किश्तों में वसूल किया जाएगा।

सी) प्रारम्भिक कार्यशील पूंजी सहायता अधिकतम एमएस का 18 केएल और 18 केएल एचएसडी दिया जाएगा। एमएस और एचएसडी के लिए पात्रता गणना अलग- अलग की जाएगी।

प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को एसबीआई एमसीएलआर के आधार पर (1 वर्ष एमसीएलआर) बकाया ऋण राशि के लिए कॉर्पस फंड लोन हेतु ब्याज दर संशोधित की जाएगी।

शुरूआत के समय प्रदत्त प्रारम्भिक कार्यशील पूंजी सहायता / लोन में, बिक्री और अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की जरूरत के कारण, शुरूआत के बाद 2 से 4 साल के बीच अतिरिक्त लोन के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। यह विस्तार तभी दिया जाएगा जब डीलरशिप द्वारा मौजूदा कार्यशील पूंजी सहायता के पुनर्भुगतान में कोई चूक/देरी नहीं की है और यह पिछले 6 माह के दौरान औसत मासिक बिक्री पर आधारित होगी। अतिरिक्त लोन के लिए पात्र होने हेतु बिक्री में (आरओ के दूसरे वर्ष की अनुमानित मात्रा की तुलना में) कम से कम 50 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। संशोधित कार्यशील पूंजी और साथ ही उस पर ब्याज (एसबीआई एमसीएलआर (उधार दर आधारित सीमांत लागत) प्लस 1% ब्याज प्रति वर्ष या 11% जो भी कम हो) अतिरिक्त लोन के विस्तार की दिनांक से 100 मासिक किश्तों में वसूल किया जा सकता है।

बढ़ी हुई मात्रा पर अतिरिक्त कॉर्पस फंड लोन अधिकतम 18केएल एमएस और 18केएल एचएसडी के लिए दिया जा सकता है।

अन्य शब्दों में, कुल ऋण राशि होगी :-

ए) प्रारम्भिक कॉर्पस फंड लोन की बकाया राशि ; प्लस

बी) अधिकतम 18केएल एमएस और 18केएल एचएसडी के अध्यक्षीन, 7 दिन की वृद्धि की मात्रा के बराबर राशि। एमएस और एचएसडी के लिए पात्रता की गणना अलग अलग की जाएगी।

प्रत्येक वर्ष अप्रैल के शुरू में ब्याज दर में संशोधन (1 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई की प्रचलित एमसीएलआर के अनुसार प्लस 1%) या 11% वार्षिक जो भी कम हो, बकाया राशि पर लागू होगी।

10. अयोग्यता

ए. व्यक्तिगत आवेदक:

उपर बताए गए योग्यता मानदण्डों को पूरा करते समय उम्मीदवार यदि निम्न में से किसी भी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता तो उसे डीलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा:-

- (i) बहुविध डीलरशिप मानदण्ड पूरे करें : नीचे उल्लेख अनुरूप बहुविध डीलरशिप मानदण्ड मौजूदा और भावी "ए"/"सीसी" साइट रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए लागू होंगे। मल्टीपल डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानदण्डों से तात्पर्य है कि आवेदक या "परिवार इकाई" के अन्य किसी सदस्य के पास कार्पोरेशन स्वामित्व "ए"/"सीसी" साइट रिटेल आउटलेट /एसकेओ -एलडीओ डीलरशिप /कार्पस फंड स्कीम के अंतर्गत विकसित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और अन्य विशेष श्रेणी (डीक्यू/ऑपरेशन विजय/संसद आक्रमण लाभार्थी, आदि) या उसी के लिए किसी तेल कंपनी का आशय पत्र नहीं होना चाहिए।

नोट :

ए) मौजूदा "बी"/"डीसी" साइट आरओ /एसकेओ-एलडीओ डीलर्स/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स (कार्पस फंड स्कीम के अंतर्गत विकसित डिस्ट्रीब्यूटर्स और अन्य विशेष श्रेणी(डीक्यू/ऑपरेशन विजय/संसद आक्रमण लाभार्थी, आदि छोड़कर) और आशय पत्र धारक मय उसकी/उसके "परिवार इकाई" "बी"/"डीसी" साइट आरओ डीलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बी) ओएमसी के मौजूदा अलाभप्रद एसकेओ डीलर्स (केवल व्यक्तिगत और भागीदार फ़र्म) भी आरओ डीलरशिप ("ए"/"सीसी" साइट और : "बी"/"डीसी" साइट आरओ दोनों के लिए) खंड 4 (viii) के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

विवाहित आवेदक के मामले में "परिवार इकाई" से तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति, उसकी पत्नी/पति तथा अविवाहित पुत्र / पुत्रियाँ। अविवाहित व्यक्ति आवेदक के मामले में "परिवार इकाई" से तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति, उसके माता-पिता, उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहन/बहनें। तलाक के मामले में "परिवार इकाई" से तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति, अविवाहित पुत्र, अविवाहित पुत्री/ पुत्रियाँ जिसकी कस्टडी संबंधित व्यक्ति को दी गई है। विधवा / विधुर के मामले में "परिवार इकाई" से तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति, अविवाहित पुत्र, अविवाहित पुत्रियाँ।

इस उद्देश्य से तेल कंपनियाँ गजट अधिसूचना 2002 के अनुसार निजी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को भी शामिल करेगी अर्थात (1) इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लि. (2) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (3) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (4)मंगलोर रिफ़ाइनरि कार्पोरेशन लिमिटेड(5) ऑइल एंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (6) रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (7) एसार ऑइल/न्यारा एनर्जि(8) शैल कार्पोरेशन या समय समय पर भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा परिभाषित अन्य कोई तेल विपणन कंपनी।

इसके अलावा यह भी होना चाहिए:

- (ii) नैतिक अधमता से जुड़े किसी आपराधिक गुनाह/ आर्थिक अपराधों (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) के लिए दोषी करार नहीं होना चाहिए।
(iii) साबित कदाचारों के लिए समाप्त कर दी गई डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं होना चाहिए।
(iv) मानसिक रोगी/पूर्णतः पंगू न हो

इसके अलावा,

- (i) तेल विपणन कंपनियों के कर्मचारियों (जो आवेदन के समय नियोजित हों) के परिवार सदस्यों (मल्टीपल डीलरशिप मानदण्ड के अंतर्गत परिभाषा के अनुसार) को रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।

- (ii) नई आरओ डीलरशिप के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होने के लिए, मौजूदा आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप एवं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और उनकी "परिवार इकाई", डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन दिशा निर्देशों के अंतर्गत यथा परिभाषित, उस डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप से संबन्धित नहीं होनी चाहिए जिसे विज्ञापन दिनांक के पूर्ववर्ती पिछले 5 वर्ष में प्रमुख आनियमितताओं के तहत (आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के लिए) और पिछले 4 वर्ष में (एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए) विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन, डीलरशिप करार, नियंत्रण आदेश या एसमा के लिए दंडित किया गया हो। इसके अलावा, यदि विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/ डीलरशिप करार, नियंत्रण आदेश या एसमा के उल्लंघन के लिए क्रिटिकल / प्रमुख आनियमितताओं के तहत कोई कार्यवाही (अदालती मामले, कारण बताओ नोटिस आदि) डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विरुद्ध लंबित होने पर, चयन होने पर, आवंटन सशर्त होगा और ऐसी कार्यवाही के परिणामों के अधीन होगा।
इस संबंध में आवेदक को अंडरटेकिंग देनी होगी।

पार्टनरशिप फर्म

व्यक्तियों के लिए ऊपर बताई गई शर्तें पार्टनरशिप फर्म के प्रत्येक पार्टनर पर व्यक्तिगत रूप से लागू होगी।

बी. गैर - व्यक्तिगत आवेदक (संस्था)

संस्था द्वारा पात्रता मानदंड में निम्नलिखित में से कोई भी अपेक्षा पूर्ण न करने की स्थिति में संस्था को डीलरशिप के लिए आवेदन करने हेतु अयोग्य माना जायेगा:-

- (i) **बहुविध डीलरशिप मानदंड** : विभिन्न गैर-व्यक्तिगत (संस्थाओं) के लिए बहुविध डीलरशिप मानदंडों की प्रयोज्यता निम्नानुसार होगी :

कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों के लिए: आवेदक कंपनी रिटेल आउटलेट/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के लिए पात्र नहीं होगी यदि कोई भी कार्पोरेशन स्वामित्व की "ए"/"सीसी" साइट रिटेल आउटलेट /एसकेओ - एलडीओ डीलरशिप/कॉर्पस फंड स्कीम के तहत विकसित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या किसी भी कंपनी का समान आशय पत्र निम्नलिखित द्वारा धारित है -

- कंपनी
 - कोई भी निदेशक या उनके परिवार के सदस्य (जो व्यक्तिगत के लिए बहुविध डीलरशिप मानदंडों के मामले में परिभाषित परिवार के अंतर्गत आते हैं)।
 - नियंत्रक कंपनी या सहायक कंपनी।
 - अन्य कोई कंपनी या फर्म जिसमें आवेदक कंपनी के शेयरधारकों की (एकीकृत) 51% या अधिक नियंत्रण हिस्सेदारी हो।
- (ii) यदि कोई भी व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनी, न्यास या सोसाइटी के पास पहले से ही कार्पोरेशन स्वामित्व "ए"/"सीसी" साइट रिटेल आउटलेट /एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और यदि ऐसी कंपनी में जिनके पास रिटेल आउटलेट/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/ कॉर्पस फंड स्कीम के तहत विकसित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और अन्य विशेष श्रेणी के तहत (डीक्यू/ऑपरेशन विजय/संसद आक्रमण लाभार्थी, आदि) है और किसी भी कंपनी का समान आशय पत्र है, रिटेल आउटलेट /एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप वाली कंपनी की नियंत्रण हिस्सेदारी अधिग्रहित करती है तो अधिग्रहणकर्ता के रिटेल आउटलेट /एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त किया जा सकता है।
- (iii) यदि कोई भी व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनी, न्यास या सोसाइटी के पास पहले से ही रिटेल आउटलेट /एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, एक ऐसी कंपनी की, जिसके पास कार्पोरेशन स्वामित्व "ए"/"सीसी" रिटेल आउटलेट/ एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/ कॉर्पस फंड स्कीम के तहत विकसित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और अन्य विशेष श्रेणी के तहत (डीक्यू/ऑपरेशन विजय/संसद आक्रमण लाभार्थी, आदि) है और किसी भी कंपनी का समान आशय पत्र है, नियंत्रण हिस्सेदारी अधिग्रहित करती है , तो अधिग्रहणकर्ता के रिटेल आउटलेट /एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त किया जा सकता है।
- (iv) सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र इकाईयाँ या सरकार प्रशासित संगठन के साथ प्रमुख हिस्सेदारी रखनेवाली कंपनियां जिन्हें सरकार के स्वामित्व की कंपनियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, को उक्त बहुविध डीलरशिप मानदंडों में छूट है।

- (v) संबंधित राज्य सरकार के चरिटी आयुक्त के पास पंजीकृत न्यासों तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी/सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 या संबंधित राज्यों द्वारा अधिनियमित के रूप में सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी :

ऐसी संस्थाएं आरओ/एसकेओ डीलरशिप के लिए पात्र नहीं होगी, यदि कोई कार्पोरेशन स्वामित्व "ए"/"सीसी" रिटेल आउटलेट/ एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप या रिटेल आउटलेट/ एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/ एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप / कॉर्पस फंड स्कीम के तहत विकसित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और अन्य विशेष श्रेणी के तहत (डीक्यू/ऑपरेशन विजय/संसद आक्रमण लाभार्थी, आदि) है और किसी भी कंपनी का समान आशय पत्र ऐसी संस्थाओं द्वारा धारित है या शासकीय निकाय/प्रबंधन निकाय/ ऐसी कोई अन्य निकाय का कोई सदस्य और उसके परिवार सदस्य (व्यक्तियों के लिए बहुविध डीलरशिप मानदंड हेतु यथा परिभाषित परिवार)।

- (vi) पंजीकृत समितियों की शासकीय/प्रबंधकीय समिति को कोई भी सदस्य/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत निगमित कंपनी नैतिक पतन सहित किसी भी आपराधिक अपराध एवं/और आर्थिक अपराध(स्वतंत्रता संग्राम को छोड़कर) कानून के तहत दंडनीय अपराध के तहत दोष सिद्ध नहीं होने चाहिए ।
- (vii) कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत समाहित कंपनी, पंजीकृत सोसाइटी/न्यास, को ऐसे किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया न हो जो नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम को छोड़कर) के लिए कानून के तहत दंडनीय हो।
- (viii) कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत समाहित कंपनी, पंजीकृत सोसाइटी/न्यास, को ऐसे किसी भी अपराध के लिए दोषी न ठहराया गया हो जो नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम को छोड़कर) के लिए कानून के तहत दंडनीय हो।
- (ix) पंजीकृत समितियों की शासकीय/प्रबंधकीय समिति को कोई भी सदस्य/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत निगमित कंपनी किसी भी ऐसी तेल कंपनी की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार का हस्ताक्षरकर्ता नहीं होना चाहिए जो कदाचार एवं/या विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण समाप्त कर दी गयी हो।
- (x) नई आरओ डीलरशिप के लिए पात्र होने के लिए संस्था अथवा पंजीकृत समितियों की शासकीय/प्रबंधकीय समिति को कोई भी सदस्य/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत निगमित कंपनी किसी भी ऐसी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार का हस्ताक्षरकर्ता नहीं होना चाहिए जिसे विज्ञापन दिनांक के पूर्ववर्ती पिछले 5 वर्ष (आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के लिए) और 4 वर्ष में (एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए) के अंदर प्रमुख अनियमितताओं के तहत विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया हो। इसके अलावा, डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विरुद्ध कोई कार्यवाही (अदालती मामले, कारण बताओ नोटिस आदि) विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों / डीलरशिप करार/नियंत्रण आदेशों या एसमा के उल्लंघन के लिए क्रिटिकल / प्रमुख अनियमितताओं के तहत लंबित हो तो चयन होने पर भी आवंटन सशर्त होगा और ऐसी कार्यवाही के परिणामों के अधीन होगा।

आवेदक को इस संबंध में अंडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।

नोट: उपरोल्लिखित शर्तें सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों पर लागू लागू नहीं हैं। इनमें अधिकांश शेयर धारिता सरकार के पास, सार्वजनिक क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र इकाइयां या सरकार प्रशासित संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है।

11. शपथपत्र

आवेदक को परिशिष्ट -X ए (व्यक्तिगत) और परिशिष्ट - X बी (गैर - व्यक्तिगत) के अनुसार तथ्यों की पुष्टि करते हुए मानक फार्मेट में शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट :

- सभी शपथपत्र, संबंधित राज्य में लागू उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर मूल रूप से प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
- सभी स्टैम्प पेपर साक्षी के नाम से खरीदे गये होने चाहिए।
- सभी शपथपत्र विज्ञापन की तिथि के बाद किये जाने चाहिए।

12. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क

आवेदन के समय देय अप्रतिदेय आवेदन शुल्क इस प्रकार है :

नियमित रिटेल आउटलेट्स के लिए :

अजा/अजजा वर्ग के लिए आरक्षित लोकेशन हेतु	रु. 3000/-
अपिजा वर्ग के लिए आरक्षित लोकेशन हेतु	रु. 5000/-
अन्य लोकेशन	रु. 10000/-

ग्रामीण रिटेल आउटलेट्स के लिए:

अजा/अजजा वर्ग के लिए आरक्षित लोकेशन हेतु	रु. 2500/-
अपिजा वर्ग के लिए आरक्षित लोकेशन हेतु	रु. 4000/-
अन्य लोकेशन	रु. 8000/-

13. अप्रतिदेय निर्धारित शुल्क/ बिडिंग राशि

(i) डीलर स्वामित्व साइट अर्थात "बी" साइट / डीसी साइट आरओ के मामले में यथा परिभाषित खंड 3, एक अप्रतिदेय निर्धारित शुल्क ग्रामीण आरओ के लिए रु.5 लाख एवं सामान्य आरओ के लिए रु.15 लाख एनओसी प्राप्त से 15 दिन में देय होगी ।

(ii) कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली साइट अर्थात "ए"/"सीसी" साइट रिटेल आउटलेट्स (सीएफएस के अलावा), जिसमें आबंटन हेतु बोली की प्रक्रिया है, के अंतर्गत ग्रामीण रिटेल आउटलेट्स के लिए न्यूनतम अप्रतिदेय बोली की राशि रु.10 लाख तथा सामान्य रिटेल आउटलेट्स के लिए रु.30 लाख लागू है।

चयनित उम्मीदवार को कुल बोली राशि (एनओसी प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर) अदा करना आवश्यक होगा।

निर्धारित शुल्क / बोली राशि प्राप्त करने के बाद ही तेल विपणन कंपनियाँ सुविधाएं संस्थापित करेगी।

14. चयन प्रक्रिया

चयन मूलतः ड्रॉ निकालकर या बोली द्वारा किया जायेगा जो खण्ड 3 में परिभाषित अनुसार रिटेल आउटलेट के प्रकार पर निर्भर है। इसे विज्ञापन में प्रत्येक लोकेशन के सामने भी दर्शाया जायेगा।

क. ड्रॉ निकालना

निम्नलिखित हेतु पात्र उम्मीदवारों के बीच ड्रॉ निकालकर चयन किया जायेगा :

- कॉर्पस फंड योजना के अधीन कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाले आउटलेट्स (सीएफएस साइट्स)
- डीलर के स्वामित्व में डीलर द्वारा परिचालित आउटलेट्स ("बी"/ "डीसी" साइट्स)

ख. बोली प्रक्रिया

उक्त उल्लिखित कॉर्पस फंड लोकेशनों को छोड़कर, कॉर्पोरेशन के स्वामित्व में डीलर द्वारा परिचालित साइट्स ("ए" / "सीसी" साइट्स) हेतु बिडिंग प्रक्रिया द्वारा चयन किया जायेगा। तथापि, बिड की राशि समान होने पर, करार किये बिडों के बीच ड्रॉ निकालकर चयन किया जायेगा।

ग. विज्ञापन :

रीटेल आउटलेट डीलरशिप्स के चयन की सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर दी जाएगी।

इस संबंध में सारा विवरण जैसे रीटेल आउटलेट लोकेशन का नाम, जिला, राज्य, श्रेणी आदि वेबसाइट www.petrolpumpdealerchayan.in में होस्ट की जाएगी।

चयन के लिए दिशा-निर्देश(विवरण) भी वेबसाइट www.petrolpumpdealerchayan.in में होस्ट किए जाएंगे।

रीटेल आउटलेट डीलरशिप चयन की विवरणिका तेल विपणन कंपनियों की वेबसाइट www.petrolpumpdealerchayan.in से निःशुल्क डाउन लोड की जा सकती है।

इच्छुक आवेदक अपने आवेदन फार्म भरने के लिए विवरणिका का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें ।

घ. आवेदन प्राप्त करने की कट-ऑफ तारीख:

विज्ञापन में आवेदन प्रस्तुति की अंतिम तिथि के बारे में उल्लेख किया जायेगा।

आवेदन प्रस्तुति की कट-ऑफ तारीख के बारे में विज्ञापन में उल्लेख किया जायेगा ।

कट-ऑफ तारीख के तुरंत बाद ऑन लाइन आवेदन की सुविधा हटा ली जाएगी।

यदि आवेदक ऑनलाइन आवेदन के मामले में, किसी भी तकनीकी कारण से नियत तिथि पर ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी तथा बाद में आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी निवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

ई. आवेदन :

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित वेब पोर्टल www.petrolpumpdealerchayan.in पर प्रस्तुत किया जाना है।

आवेदन के इच्छुक सभी उम्मीदवार अपने आवेदन वेब पोर्टल www.petrolpumpdealerchayan.in पर जाकर उस पर रजिस्टर करने के बाद आवेदन फार्म अपेक्षित आवेदन शुल्क (एसबीआई ए-पे द्वारा प्रदत्त भुगतान गेट वे के जरिये इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से) के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे।

आवेदक को लॉगिन आईडी और पासवर्ड सृजित करने के लिए वेब पोर्टल www.petrolpumpdealerchayan.in पर रजिस्टर करना होगा। आवेदक के लिए एक बार लॉगिन आईडी और पासवर्ड सृजित हो जाने पर इसे वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए उपयोग किया जाएगा। वेब पोर्टल www.petrolpumpdealerchayan.in पर सफलतापूर्वक पंजीकरण की पावती पोर्टल द्वारा एसएमएस/ईमेल के जरिये भेजी जाएगी।

पंजीयन करते समय भावी आवेदक को यह सूचित करते हुए एक एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा कि पोर्टल www.petrolpumpdealerchayan.in पर विवरण सजगता/सावधानी पूर्वक भरे जाने चाहिए, क्योंकि ये विवरण आवेदन फार्म में संबंधित फील्ड द्वारा स्वतः पिक अप किए जाएंगे और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आगे सम्पादन की कोई गुंजाइश नहीं होगी।

एक आवेदक एक स्थान के लिए केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

आरओ डीलरशिप की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रारूप परिशिष्ट 1 ए (व्यक्तिगत आवेदकों के लिए) एवं परिशिष्ट 1 बी (गैर व्यक्तिगत आवेदकों) के रूप में संलग्न है ।

ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिए आवेदकों के लिए दिशानिर्देश हेतु प्रयोक्ता मेनुयल परिशिष्ट 1सी के रूप में संलग्न है ।

पोर्टल www.petrolpumpdealerchayan.in पर आवेदन स्थिति की जानकारी ईमेल/ ईमेल आईडी पर एसएमएस/पोर्टल पर पंजीयन करते समय आवेदक द्वारा दर्शाये गए मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।

आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर पात्र आवेदकों को निम्नलिखित जानकारी/स्थिति पोर्टल www.petrolpumpdealerchayan.in के माध्यम से एसएमएस/ईमेल के जरिये भेजी जाएगी या इसे पोर्टल www.petrolpumpdealerchayan.in पर देखा जा सकता है ।

आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर पात्र आवेदकों को निम्नलिखित जानकारी/स्थिति एसएमएस/ईमेल के जरिये पोर्टल के माध्यम से भेजी जाएगी या पोर्टल पर आवेदन फार्म प्रस्तुत करने की अभिस्वीकृति और अप्रतिदेय आवेदन शुल्क की अभिस्वीकृति देखी जा सकती है।

- i. आवेदन फार्म प्रस्तुत करने की पावती रसीद और अप्रतिदेय आवेदन शुल्क की पावती
- ii. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रसीद
- iii. प्राथमिकता ग्रुप -I, ग्रुप II एवं ग्रुप III के अनुसार स्थान विशेष के लिए उम्मीदवारों की सूची पोर्टल www.petrolpumpdealerchayan.in पर उपलब्ध रहेगी।
- iv. ड्राँ निकालने/बिड खोलने की तारीख,स्थान एवं समय की सूचना
- v. ड्राँ / बिड में सफल रहे आवेदक के चयन के बारे में सूचना
- vi. चयनित उम्मीदवार को आवश्यक दस्तावेज़ (भूमि मूल्यांकन एवं एफवीसी आयोजित करने हेतु) प्रस्तुत करने की सूचना एवं सूचना दिनांक से 10 दिन के अंदर 10% सुरक्षा जमा (प्रारम्भिक सुरक्षा जमा -आईएसडी) प्रेषण
- vii. यदि आवेदक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करता है और/अथवा 10% सुरक्षा जमा (प्रारम्भिक सुरक्षा जमा) प्रेषित नहीं करता है तो दूसरे 10 दिन के नोटिस पीरियड के साथ एक अनुस्मारक भेजा जाएगा की यदि अपेक्षित दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए तो उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है । यदि चयनित उम्मीदवार इन अतिरिक्त 10 दिनों के अंदर दस्तावेज़ प्रस्तुत करने एवं/और 10% सुरक्षा जमा (प्रारम्भिक सुरक्षा जमा) प्रेषण में विफल रहते हैं, उसकी उम्मीदवारी सूचित करते हुए निरस्त कर दी जाएगी।
- viii. दस्तावेजों की जांच 10% सुरक्षा जमा(प्रारम्भिक सुरक्षा जमा) की प्राप्ति के बाद ही की जाएगी।

- ix. यदि प्रस्तुत दस्तावेज़ में सुधार योग्य कमी है तो चयनित उम्मीदवार को अपेक्षित सुधारित दस्तावेज़ 21 दिन में प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जाएगा।
- x. यदि सुधारित दस्तावेज़ (प्रस्तावित भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर) निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं अथवा प्रस्तुत सुधारित दस्तावेज़ अपेक्षा अनुरूप नहीं है तो चयनित उम्मीदवार को उसकी उम्मीदवारी के निरस्तीकरण के बारे में सूचित किया जाएगा। तथापि, यदि प्रस्तावित भूमि से संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए अथवा प्रस्तावित भूमि से संबंधित सुधारित दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद भी प्रस्तावित भूमि स्वीकार नहीं की जा सकती तो आवेदक को उसकी उम्मीदवारी पर गुप 3 आवेदकों के साथ विचार करने के बारे में सूचित किया जाएगा।
- xi. 10 दिन का समय देते हुए भूमि मूल्यांकन समिति के दौरे की दिनांक और समय के बारे में उम्मीदवार को सूचित करना।
- xii. यदि एलईसी द्वारा भूमि उपयुक्त नहीं पाई जाती है, तो उम्मीदवार को प्रस्तावित भूमि के निरस्तीकरण और बाद में गुप 3 आवेदकों के साथ उम्मीदवारी पर विचार करने के बारे में सूचित किया जाएगा।
- xiii. यदि भूमि उपयुक्त पाई जाती है तो 10 दिन का समय देते हुए एफवीसी की दिनांक और समय के उम्मीदवार को सूचित किया जाएगा।
- xiv. एफवीसी चरण में निरस्तीकरण के मामले में, उम्मीदवार को उसकी उम्मीदवारी के निरस्तीकरण के बारे में सूचित करना।
- XV. यदि एफवीसी ठीक पाई जाती है, तो एलओआई जारी करने के बारे में चयनित उम्मीदवार को सूचित करना और 10 दिन का समय देते हुए उसे ओएमसी के संबंधित कार्यालय से कलेक्ट करना।

एफ़. व्यक्ति द्वारा विभिन्न स्थानों के लिए आवेदन

एक उम्मीदवार द्वारा विभिन्न स्थानों के लिए आवेदन किया जा सकता है परंतु इसे प्रत्येक स्थान के लिए हर मामले में लागू आवेदन शुल्क के साथ अलग अलग आवेदन करना होगा।

जी. वित्तीय बिड़ की प्रस्तुति

बिडिंग प्रक्रिया वाली स्थानों के लिए, आवेदक को आवेदन करते समय ऑनलाइन वित्तीय बिड़ प्रस्तुत करनी होगी।

डॉ / बिडिंग के द्वारा चयन

सभी ऑनलाइन डॉ / बिड़ ओपेनिंग जहां तक संभव हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर / डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में या किसी पब्लिक हाल/होटल/ओएमसी कार्यालय में आमंत्रित अतिथि/अतिथियों की उपस्थिति में संचालित की जाएगी।

सभी पंजीकृत आवेदक अपने आवेदन की स्थिति पोर्टल www.petrolpumpdealerchayan.in पर देख सकते हैं। डॉ/बिडिंग के लिए पात्र आवेदकों की सूची इसी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन में भूमि प्रस्तावित या भूमि प्रस्तावित नहीं करने के आधार पर आवेदकों की सूची (गुप 1, गुप 2 एवं गुप 3) तैयार की जाएगी।

जिन स्थानों पर ड्राँ निकालकर चयन किया जाना है, वहाँ यदि केवल एक आवेदक पात्र है तो ड्राँ निकालना आवश्यक नहीं है। अकेले पात्र आवेदक को चयनित घोषित कर दिया जाएगा और वेब साइट से एकल पात्र आवेदक के ईमेल आईडी पर ईमेल ट्रिगर हो जाएगा।

जिन स्थानों पर चयन बिडिंग के माध्यम से होना है, यदि वहाँ केवल एक पात्र आवेदक है तो अकेले पात्र आवेदक की बिड विविध आवेदक लोकेशन की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए खोली जाएगी और उसे चयनित घोषित कर दिया जाएगा और वेब पोर्टल द्वारा ईमेल अकेले पात्र आवेदक के ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।

ड्राँ/ बिड ओपनिंग पहले गुप 1 के पात्र आवेदकों के लिए आयोजित की जाएगी। गुप 2 के पात्र आवेदकों के लिए ड्राँ/ बिड ओपनिंग तभी आयोजित की जाएगी यदि गुप 1 में कोई आवेदक नहीं है या गुप 1 में आवेदक अयोग्य हो गए हैं /उपयुक्त नहीं पाये गए हैं या विड्रॉ कर लिया है।

यदि किसी स्थान विशेष के लिए बिडिंग प्रक्रिया की गयी और चयनित उम्मीदवार अपात्र पाया गया तो, तो ऐसी स्थिति में अगले उच्चतम बिडर को चयनित घोषित कर दिया जाएगा।

चयनित उम्मीदवार के आवेदन की अंतिम प्रक्रिया एवं एफवीसी के समक्ष चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़

ड्राँ/बिडिंग प्रक्रिया में प्रत्येक स्थान पर चयनित उम्मीदवार को ईमेल / एसएमएस के जरिये ऑनलाइन प्रारम्भिक सुरक्षा जमाराशि (आईएसडी) रमिट करने के लिए सूचित किया जाएगा और साथ ही सूचना से 10 दिन के अंदर अपेक्षित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। यदि आईएसडी का भुगतान नहीं किया जाता है एवं/और दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो आवेदक को 10 दिन का अतिरिक्त समय भुगतान/प्रस्तुति के लिए दिया जाएगा। यदि विस्तारित समय सीमा में आईएसडी का भुगतान नहीं होता है एवं/अथवा दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो चयनित उम्मीदवार को एसएमएस/ईमेल के जरिये सूचित करते हुए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

स्थान श्रेणी के आधार पर प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गयी है।

1. सभी श्रेणियों के लिए लागू दस्तावेज़:

- ए) परिशिष्ट - X ए / X बी (मानक शपथ पत्र) के अनुसार आवेदक द्वारा नोटेरीकृत शपथ पत्र
- बी) उम्र प्रमाण (जन्म दिनांक) अर्थात - 10 वीं कक्षा बोर्ड सर्टिफिकेट / माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र / जन्म प्रमाणपत्र/ पासपोर्ट / चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की स्व प्रमाणित प्रति / उम्र का शपथ पत्र (मूल). *
- सी) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण यानि - 10वीं कक्षा पास होने का बोर्ड/परीक्षा आयोजित करने वाले स्कूल और समकक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति. *
- डी) परिशिष्ट - III बी (एडवोकेट का पत्र) साथ ही परिशिष्ट - III ए (भूमि प्रस्ताव के लिए सहमति)यदि लागू हो .
- ई) स्वामित्व / लीज अधिकारों के समर्थन में भूमि दस्तावेजों की प्रतियाँ
- एफ) प्रस्तावित भूमि मय क्षेत्र का स्केच/साइट नक्शा

* अव्यक्तिगत आवेदकों के लिए लागू नहीं

2. विशिष्ट पात्रता मानदंडों के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज़:

श्रेणी	पात्रता प्रमाणपत्र फॉर्मेट
एससी/एसटी	परिशिष्ट VI
एससी/एसटी सीसी1	परिशिष्ट VI, VIII या डीजीआर प्रमाणपत्र/डिस्चार्ज ऑर्डर अथवा पेंशन ऑर्डर जैसा भी लागू हो
एससी/एसटी सीसी 2	परिशिष्ट - VI, ओएसपी/एफएफ के लिए लागू प्रमाणपत्र
एससी/एसटी पीएच	परिशिष्ट - VI, IX-ए / IX-बी / IX-सी
ओबीसी	परिशिष्ट - VII- ए & VII- बी
ओबीसी सीसी1	परिशिष्ट - VII- ए, VII- बी, VIII अथवा डीजीआर प्रमाणपत्र/डिस्चार्ज ऑर्डर अथवा पेंशन ऑर्डर जैसा भी लागू हो
ओबीसी सीसी 2	परिशिष्ट - VII- ए, VII- बी, ओएसपी/एफएफ के लिए लागू प्रमाणपत्र
ओबीसी पीएच	परिशिष्ट - VII- ए & VII- बी, IX-A / IX- बी / IX- सी
खुली सीसी1	परिशिष्ट VIII अथवा डीजीआर प्रमाणपत्र/डिस्चार्ज ऑर्डर अथवा पेंशन ऑर्डर जैसा भी लागू हो
खुली सीसी 2	ओएसपी/एफएफ के लिए लागू प्रमाणपत्र
खुली पीएच	परिशिष्ट - IX- ए / IX- बी / IX- सी
भागीदार आवेदक	भागीदार विलेख का प्रारूप (भागीदारी के अंतर्गत आवेदक)
अव्यक्तिगत आवेदक	पंजीयन प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रति / सक्षम प्राधिकारी से संस्था के निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति
अव्यक्तिगत आवेदक	पिछले 3 वर्ष के लाभ-हानि विवरण की लेखा परीक्षित प्रमाणित प्रतियाँ
अव्यक्तिगत आवेदक	प्राधिकार पत्र और संकल्प पत्र की प्रति जिसमें आवेदन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के नाम का उल्लेख है.
एसकेओ डीलर्स	आवंटन प्राधिकारियों से प्रति माह 75 केएल से कम आवंटन का प्रमाण। मान्य डीलरशिप करार की प्रति।

सी. भूमि मूल्यांकन:

संबंधित मंडल /क्षेत्रीय/प्रादेशिक कार्यालय ईमेल/एसएमएस के जरिये भूमि के मूल्यांकन हेतु भूमि मूल्यांकन समिति के दौरे के बारे में कम से कम 10 दिन पहले चयनित उम्मीदवार को सूचित करेगा। यदि चयनित उम्मीदवार का कोई प्रतिसाद नहीं मिलता है या अनुपलब्ध रहता है, तो एसएमएस/ईमेल के जरिये चयनित उम्मीदवार को सूचित करते हुए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी.

आवेदन में दी गई भूमि का मूल्यांकन, भूमि विज्ञापित क्षेत्र में है अथवा नहीं तथा रिटेल आउटलेट के विकास हेतु मानदंडों के अनुसार है अथवा नहीं के आधार पर किया जाएगा। भूमि मूल्यांकन समिति द्वारा उपयुक्तता हेतु जिन मानकों के अंतर्गत भूमि का मूल्यांकन किया जायेगा वे निम्नलिखित हैं :-

- विज्ञापित क्षेत्र/सीमा में भूमि
- आवश्यकतानुसार भूमि आयाम
- एनएचआई मानदंडों के अनुरूप भूमि (एनएच पर साइट हेतु)

- भूमि पर एचटी लाइन (>11 केवीए) क्रॉसिंग नहीं हो।

उक्त में से एक भी मानदंड पूरा न करने पर उस भूमि पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उसे अस्वीकृत किया जायेगा।

नोट: विज्ञापन में दर्शाये अनुरूप प्रस्तावित भूमि का न्यूनतम अग्रभाग और एरिया होना चाहिए। विज्ञापन में दर्शाये अनुरूप कम से कम किसी एक जगह पर फ्रटेज की न्यूनतम गहराई लम्बवत होनी चाहिए।

यदि प्रस्तावित भूमि उपयुक्त पाई जाती है तो भूमि मूल्यांकन समिति चयनित उम्मीदवार की एफवीसी करने के लिए मंडल /क्षेत्रीय/प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख को सिफारिश प्रस्तुत करेगा।

यदि प्रस्तावित भूमि उपयुक्त नहीं पाई जाती है तो चयनित उम्मीदवार को उसकी अपात्रता के बारे में सूचित किया जाएगा और शेष आवेदकों के साथ चयन प्रक्रिया जारी रहेगी। तथापि, उम्मीदवार के चयन पर ग्रुप 3 के आवेदकों के साथ विचार किया जाएगा और उम्मीदवार को सूचित किया जाएगा।

15. प्रत्ययपत्र के फील्ड सत्यापन की प्रक्रिया

आवेदन फार्म में दिये गये विवरण के संबंध में चयनित उम्मीदवार के लिए फील्ड सत्यापन किया जायेगा। एफवीसी का उद्देश्य है आवेदन में उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के सही होने और उसके बाद प्रस्तुत दस्तावेजों को सत्यापित करना।

एफवीसी के समय उम्मीदवार को चयन के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

चयनित उम्मीदवार को एफवीसी के बारे में एसएमएस/ईमेल के जरिये 10 दिन पहले सूचित किया जाएगा।

यदि संशोधित अनुसूचित तारीख को चयनित उम्मीदवार का कोई प्रतिसाद नहीं मिलता है या अनुपलब्ध रहता है, तो एसएमएस/ईमेल के जरिये चयनित उम्मीदवार को सूचित करते हुए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

16. आशय पत्र

यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही पायी गई और चयन से संबंधित कोई शिकायत या न्यायालयीन मामला लंबित न होने पर चयनित उम्मीदवार को आशयपत्र जारी किया जायेगा। चयनित डीलर को, आशयपत्र प्राप्त होने के बाद, शपथपत्र के खंड 12 (ई) (परिशिष्ट X ए) या शपथपत्र के खंड 11 (ई) (परिशिष्ट Xबी) के अनुसार प्रस्तावित भूमि विकसित कर उपलब्ध करानी होगी और एलओआई में उल्लिखित अपेक्षित शर्तें पूर्ण करनी होंगी। ग्रुप 1 कैटेगरी के अंतर्गत चयनित डीलर को भूमि उपलब्ध करने के लिए 2 माह दिये जायेंगे और ग्रुप 2 कैटेगरी को 4 माह दिये जायेंगे। ऐसा न करने पर, ओएमसी एलओआई वापस ले सकता है और चयन प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है।

एफवीसी के बाद एलओआई जारी किया जायेगा किंतु ड्रा/बिडिंग प्रक्रिया के परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के पहले जारी नहीं होगा।

चयनित उम्मीदवार को एलओआई जारी करने के समय फिर एक बार परिशिष्ट X ए या X बी (यथा लागू) के अनुसार शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

एलओआई वापस लेना

यदि चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय के अंदर भूमि प्रदान करने/सुविधाओं का विकास करने में असमर्थ है या एलओआई की शर्तें पूर्ण नहीं करता है, तो एलओआई वापस लिया जा सकता है। एलओआई धारक को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा तथा उनके उत्तर के आधार पर, संबंधित तेल विपणन कंपनी (OMC) की आंतरिक नीति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा एलओआई वापस लेने का निर्णय लिया जा सकता है। ऐसी स्थितियों में आईडीपी राशि जब्त कर ली जाएगी।

यदि चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय के अंदर कुल बिडिंग राशि/तय शुल्क जमा करने में असमर्थ है या वह किसी कारणवश अपना नाम वापस लेता है तो आईडीपी की राशि, जहाँ लागू हो, भी जब्त होगी, उसका चयन निरस्त माना जायेगा तथा एलओआई वापस लिया जायेगा।

17. उम्मीदवारी के निरस्तीकरण / एलओआई के वापस लेने के बाद की चयन प्रक्रिया

ड्रॉ निकालने के बाद किसी विसंगति के कारण चयनित आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त हो जाती है अर्थात् आवेदन जाँच /भूमि मूल्यांकन /एफवीसी या एलओआई वापस ले ली जाती है तो शेष पात्र उम्मीदवारों में से चयन के लिए ड्रॉ फिर आयोजित किया जाएगा.

इसी प्रकार , बिडिंग प्रक्रिया से चयनित की उम्मीदवारी निरस्त होने क दशा में, अगला उच्चतम बिडर के चयन पर विचार किया जाएगा.

ऐसे स्थानों पर जहाँ ड्रॉ निकाला जाना है, शेष बचे आवेदकों को ईमेल /एसएमएस से सूचित किया जाएगा। यदि केवल 1 शेष आवेदक है तो उसे चयन और दस्तावेज़ प्रस्तुति/ प्रारंभिक सुरक्षा जमाराशि के बारे में सूचित किया जाएगा।

ऐसे स्थानों पर जहाँ बिडिंग होनी है, दूसरे उच्चतम बिडर को ईमेल /एसएमएस के जरिये उसके चयन और दस्तावेज़ प्रस्तुति/ प्रारंभिक सुरक्षा जमाराशि के बारे में सूचित किया जाएगा। बाद के बिडर/बिडर्स के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी यदि दूसरे उच्चतम बिडर का कोई प्रतिसाद नहीं है / वापसी/निरस्तीकरण है।

18. शिकायत निवारण पद्धति

किसी भी शिकायत के साथ, तेल कंपनी के पक्ष में, शेड्युल्ड बैंक का रु. 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना चाहिए। इस शुल्क के बिना प्राप्त शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा। चयन के विरुद्ध शिकायत, पात्रता सहित, का निपटारा निम्नानुसार किया जायेगा:-

- (i) ड्रॉ निकालने/बिडिंग प्रक्रिया से पूर्व या बाद में आपेक्षित शुल्क रु.5000/- सहित प्राप्त शिकायतें रिकार्ड में रखी जायेगी और केवल निम्नलिखित मामलों में ड्रॉ निकालने/बिडिंग प्रक्रिया के 30 दिन बाद जाँच की जायेगी :-
 - सत्यापनीय तथ्यों के साथ सामान्य शिकायतें
 - चयनित उम्मीदवार के खिलाफ शिकायतें
- (ii) ड्रॉ निकालने/बिडिंग प्रक्रिया की तिथि से 30 दिनों के बाद प्राप्त किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (iii) सत्यापनीय तथ्यों के बिना नाम रहित शिकायतों की जाँच नहीं की जायेगी।
- (iv) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता को पत्र प्रेषण दिनांक से 20 दिन के अंदर प्रथम दृष्टया सिद्ध करने हेतु, संबद्ध दस्तावेज़ यदि कोई है सहित आरोप का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा। दस्तावेजों एवं विवरणों की माँग करते हुए, शिकायतकर्ता को सूचित किया जायेगा कि यदि जाँच के दौरान शिकायत गलत और/ या सारहीन पायी गई तो कॉंपरिशन को कानून के तहत शिकायतकर्ता पर कार्रवाई करने का और शुल्क जब्त करने का अधिकार है।
- (v) यदि ऐसे आवेदक के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई जिसका ड्रॉ/ बिडिंग प्रक्रिया के दौरान चयन नहीं हुआ है तो ऐसी शिकायत को आस्थगित रखा जायेगा। यदि चयनित उम्मीदवार का एलओआई निरस्त हो गया हो और जिस आवेदक के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई हो उसका चयन, अगले ड्रॉ या बिडिंग प्रक्रिया में हुआ तो ही शिकायत की जाँच की जायेगी।
- (vi) यदि शिकायत की जाँच करना आवश्यक नहीं है तो शिकायतकर्ता को, प्राप्त शुल्क लौटाया जायेगा और सूचित किया जायेगा कि शिकायत पर जाँच नहीं हुई है क्योंकि जिस उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत हुई है उसका चयन नहीं हुआ है। चयनित उम्मीदवार को एलओआई जारी करने के बाद शुल्क लौटाया जायेगा।

- (vii) यदि शिकायत बिना अपेक्षित शुल्क रु.5000/- के प्राप्त हुई है या परिणाम घोषित होने के 30 दिन के बाद प्राप्त होती है तो शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा और शिकायतकर्ता को तदनु रूप कारणों सहित सूचित किया जाएगा।
- (viii) कॉर्पोरेशन द्वारा शिकायतकर्ता के प्रतिसाद की जाँच की जायेगी और यदि शिकायत और आरोप सही नहीं पाये गये तो शिकायत को फाइल कर शुल्क जम्मा किया जायेगा। शिकायतकर्ता को तदनु रूप सूचित किया जाएगा।
- (ix) यदि शिकायत की जाँच करने का निर्णय लिया गया तो शिकायत पर निम्नानुसार निर्णय लेकर शिकायतकर्ता को सूचित किया जायेगा:-

ए) शिकायत सिद्ध न होने पर:

यदि शिकायत सिद्ध न हुई हो तो उसे फाइल किया जायेगा और शिकायत शुल्क जम्मा किया जायेगा। शिकायतकर्ता को तदनु रूप सूचित किया जाएगा।

बी) शिकायत सिद्ध होने पर:

यदि शिकायत सिद्ध हुई हो तो शिकायतकर्ता को तदनु रूप सूचित किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जायेगी। ऐसे मामलों में प्राप्त शिकायत शुल्क रु.5000/- लौटाया जायेगा।

(x) सभी मामलों में शिकायतों का निपटान सकारण आदेश के रूप में होगा।

19. डीलरशिप स्थापित करना

जिस उम्मीदवार को 'आशयपत्र' दिया गया है उसे उसमें दी गई निबन्धन एवं शर्तों को पूर्ण करना होगा, ताकि निर्धारित समयावधि में डीलरशिप की स्थापना की जा सके। यदि निर्धारित समय अनुरूप प्रगति नहीं पायी जाती है और उसके लिए न्यायोचित कारण न हो तो एलओआई वापस लिया जा सकता है।

स्थापना से पूर्व, निष्पादित डीलरशिप करार के साथ नियुक्ति पत्र दिया जायेगा।

एलओआई जारी करने के समय परिशिष्ट X ए या X बी (यथा लागू) के अनुसार, आवेदक से फिर से शपथपत्र लेना होगा।

20. सुरक्षा जमा (एसडी) /प्रारंभिक सुरक्षा जमा (आईएसडी)

चयनित उम्मीदवार को निम्नानुसार राशि जमा करनी होगी :-

- आशय पत्र जारी करने से पहले नीचे लिखे अनुसार ब्याज मुक्त अप्रतिदेय सुरक्षा जमाराशि

सामान्य रिटेल आउटलेट्स

खुली श्रेणी	- रु. 5 लाख
अपिजा श्रेणी	- रु. 4 लाख
अजा/अजजा श्रेणी	- रु. 3 लाख

ग्रामीण रिटेल आउटलेट्स

खुली श्रेणी	- रु. 4 लाख
अपिजा श्रेणी	- रु. 3 लाख
अजा/अजजा श्रेणी	- रु. 2 लाख

तेल विपणन कंपनियां, इस राशि में से, त्यागपत्र/समापन के समय, उन्हें देय राशि को समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं। तथापि, दुराचार/कदाचार सिद्ध होने के कारण डीलरशिप बंद होने की स्थिति में सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

चयनित उम्मीदवार द्वारा डॉ निकलने/बिड़ खोलने के 10 दिन के अंदर प्रारंभिक सुरक्षा जमा राशि के रूप में उपरोक्तलिखित अनुसार लागू सुरक्षा जमा राशि का 10 % देय है। तथापि इस राशि को देय कुल सुरक्षा जमा राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।

(iii) निम्नलिखित मामलों में आईएसडी (सुरक्षा जमा का 10 %) जब्त कर लिया जाएगा :-

- जहां चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय में अपेक्षित प्रमाणपत्र /दस्तावेज़ /सुधारित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
- भूमि निरस्तीकरण के सिवाय चयनित उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में अपात्र पाया जाता है।
- जहां आशय पत्र धारक निर्धारित समय में कुल बोली राशि / तय शुल्क प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है ।
- जहां चयनित उम्मीदवार/ आशय पत्र धारक किसी कारण से उम्मीदवारी वापस ले लेता है ।
- जहां आशय पत्र शर्तों का अनुपालन नहीं करने के कारण आशय पत्र निरस्त कर दिया जाता है और किसी कारण से चयन निरस्त हो जाता है ।

21. डीलरशिप की अवधि

डीलरशिप की आरंभिक कालावधि XX वर्ष होगी (संबंधित तेल कंपनी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार) और उसके बाद तेल कंपनी के विज्ञापन अनुसार (संबंधित तेल विपणन कंपनी द्वारा यथानिर्णित) हर XX वर्षों के बाद नवीकरण किया जायेगा।

22. गलत जानकारी

उम्मीदवार द्वारा आवेदन में या उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में या आवेदन के अनुसरण में बाद में दिये गए दस्तावेजों में दी गई जानकारी, यदि किसी भी चरण में छिपायी/तोड़-मरोड़कर/असत्य या गलत पायी गई, तो कोई भी कारण दिये बिना आवेदन को निरस्त किया जा सकता है और यदि आवेदक को डीलर के रूप में नियुक्त किया गया हो तो डीलरशिप को समाप्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार/डीलर संबंधित तेल कंपनी के खिलाफ, जो भी हो, कोई दावा नहीं करेगा।

वेबसाइट में प्रकाशित विज्ञापन के बारे में विस्तृत जानकारी

कॉर्पोरेशन जिन लोकेशनों में डीलर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखता है, उन लोकेशनों का निम्नलिखित विवरण विज्ञापन में दिया जायेगा।

क्र. सं.	लोकेशन का नाम	राजस्व जिला	रिटेल आउटलेट का प्रकार	अनुमानित मासिक बिक्री #	केटेगरी	साइट का प्रकार *	न्यूनतम क्षेत्र (मीटर में)/साइट का एरिया (वर्ग मीटर में) *			आवेदक द्वारा वित्त प्रबंध	चयन की प्रणाली	निर्धारित शुल्क / न्यूनतम बिड राशि	सुरक्षा जमाराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8			9ए	9बी	10	11	12
			सामान्य/ ग्रामीण	एमएस +एचएसडी केएल में	एससी एससी सीसी-1 एससीपी एच एसटी एसटी सीसी-1 एसटी पीएच ओबीसी ओबीसी सीसी-1 ओबीसी पीएच ओपन ओपन सीसी - 1 ओपन सीसी-2 ओपन पीएच	सीसी/ डीसी/सीएफ एस	अग्र स्थल	गहराई	क्षेत्र	रिटेल आउटलेट के परिचालन के लिए अनुमानित कार्यशील पूंजी जरूरत	रिटेल आउटलेट के लिए अवसंरचना विकास हेतु आवश्यक अनुमानित निधि	ड्रॉ निकालना / बिडिंग		

दर्शाई गयी मात्रा/ बाज़ार स्थितियों पर आधारित है और इसमें परिवर्तन हो सकता है। आवेदक को स्वयं अपनी उत्पाद बिक्री संभावनाओं का मूल्यांकन करने की सलाह दी जाती है।

* साइट या तो आवेदक के स्वामित्व में या न्यूनतम 19 साल 11 माह की लीज पर हो अथवा आवेदक के पास इसके लिए ठोस प्रस्ताव हो।

सारणी कॉलमों का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है:

कॉलम 4

सामान्य रिटेल आउटलेट्स: हाइवे (राष्ट्रीय राजमार्ग-राजमार्ग) और शहरी/अर्ध शहरी क्षेत्रों में (कस्बे की म्यूनिसिपल सीमा के अंदर) लोकेशन .

ग्रामीण रिटेल आउटलेट्स : ग्रामीण क्षेत्रों के लोकेशन्स किंतु हाइवे (राष्ट्रीय राजमार्ग-राजमार्ग-) पर नहीं और कस्बे की म्यूनिसिपल सीमा के बाहर

कॉलम 6

एससी / एसटी	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कैटेगरी
एससी / एसटी सीसी - 1	संयुक्त कैटेगरी 1 में, रक्षा कार्मिक / अर्ध सैनिक कार्मिक / केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी कर्मचारी /केंद्रीय एवं राज्य सरकारी पीएसयू कर्मचारी जो अजा/अजजा कैटेगरी के हैं, शामिल हैं।
एससी / एसटी -पीएच	अजा/अजजा कैटेगरी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओबीसी सीसी -1	संयुक्त कैटेगरी 1 में अन्य पिछड़े वर्ग के रक्षा कार्मिक/पैरा सैन्य कार्मिक / अर्ध सैनिक कार्मिक / केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारी /केंद्रीय एवं राज्य सरकार के पीएसयू कर्मचारी शामिल हैं।
ओबीसी - पीएच	अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग
खुली	खुली कैटेगरी
खुली सीसी - 1	संयुक्त कैटेगरी 1 में खुली श्रेणी के रक्षा कर्मचारी/ अर्ध सैनिक कर्मचारी/केंद्रीय व राज्य सरकार के कर्मचारी तथा राज्य सरकार पीएसयू कर्मचारी शामिल हैं।
खुली सीसी - 2	संयुक्त कैटेगरी 2 में उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) और स्वतंत्रता सेनानी शामिल हैं।
खुली - पीएच	शारीरिक रूप से विकलांग

कॉलम 7

सीसी /सीएफएस : कॉर्पोरेशन आवेदक से अपेक्षा करता है कि उसके पास रिटेल आउटलेट के लिए उपयुक्त भूमि हो / या वह उसकी व्यवस्था करें और कॉर्पोरेशन को बेचे या लम्बी पट्टा अवधि पर दे।

डीसी : कॉर्पोरेशन आवेदक से अपेक्षा करता है कि उसके पास रिटेल आउटलेट के लिए उपयुक्त भूमि हो/या वह उसकी व्यवस्था करें। आवेदक द्वारा कॉर्पोरेशन को भूमि बेचना/पट्टे पर देना आवश्यक नहीं है। यहाँ यह अपेक्षित है कि आवेदक अपनी लागत पर डीलरशिप हेतु आवश्यक सभी अवसंरचना/स्थायी सुविधाएं प्रदान करेगा।

कॉलम 10

प्रत्येक लोकेशन के सामने उल्लेखित ड्रा/ बोली (Bid) प्रक्रिया के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को डीलरशिप हेतु चुना जाएगा। बोली (Bid) प्रक्रिया द्वारा चयन के मामले में, आवेदन के साथ उच्चतम बोली (Bid) देने वाले योग्य आवेदक को डीलरशिप हेतु चुना जाएगा।

1. विज्ञापन से संबंधित सामान्य शर्तें

- i. आवेदन से पहले आवेदक "विवरणिका " ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- ii. लोकेशन की श्रेणी के संबंध में यथा लागू और तेल कंपनी की सूचना अनुरूप दस्तावेज़ /शपथपत्र प्रस्तुत किए जाने हैं।
- iii. पात्रता मापदण्ड पूरा करनेवाला कोई भी व्यक्ति " खुली" श्रेणी में आवेदन कर सकता है। जब भी तेल कंपनी सूचित करें " खुली" श्रेणी के लिए विज्ञापित लोकेशनों के अलावा अन्य श्रेणियों हेतु आवेदन के साथ पात्रता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किए जाएं।
- iv. इस सम्पूर्ण आवेदन के उद्देश्य से विवाहित आवेदक के मामले में "परिवार इकाई से तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति, पति/पत्नी और उनके अविवाहित पुत्र/पुत्री। अविवाहित आवेदक के मामले में" परिवार इकाई से तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति, माता-पिता और अविवाहित भाई तथा अविवाहित बहन(नें)। तलाकशुदा के मामले में, "परिवार इकाई" से तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति, अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्री (यां) जिनकी अभिरक्षा उनके पास है। विधवा/विधुर के मामले में "परिवार इकाई " से तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति, अविवाहित पुत्र/ अविवाहित पुत्री (यां)।
- v. सभी शपथ पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत की जाएं और उनकी तिथि विज्ञापन तिथि के बाद की हो। स्टाम्प पेपर संबंधित राज्य में लागू मूल्य का हो और साक्षी के नाम पर खरीदा जाए। शपथ पत्र की फोटो प्रतियां स्वीकारी नहीं जाएंगी। तेल कंपनी के कहने पर अन्य सभी दस्तावेजों के लिए केवल स्व-प्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएं और क्षेत्र सत्यापन के दौरान मूल प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। क्षेत्र सत्यापन के दौरान इन दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत न करने पर चयन रद्द किया जा सकता है।
- vi. आवेदक, आवेदन के विभिन्न मर्दों में वही जानकारी दें जिनके समर्थन में आवेदन पत्र की तिथि पर उनके पास मूल दस्तावेज हैं। सत्यापन के समय इन दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत न किए जाने पर चयन रद्द कर दिया जाएगा।
- vii. यह एक विशुद्ध कारोबारी प्रस्ताव है तथा कम्पनी में नौकरी का आवेदन नहीं है, इसमें व्यापार के सामान्य जोखिम हैं और कोई निश्चित प्रतिफल या लाभ का वादा नहीं करता।
- viii. चयन होने पर आवेदक आवश्यक निधियों की व्यवस्था करते हुए डीलरशिप को कॉर्पोरेशन की संतुष्टि के अनुरूप सुचारू ढंग से चलायेगा।
- ix. यह केवल आवेदन है और रिटेल आउटलेट डीलरशिप का प्रस्ताव नहीं।

- x. डीलरशिप के लिए चुना गया आवेदन नियुक्ति पत्र जारी होने से समय कॉर्पोरेशन की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेशन के साथ डीलरशिप करार करेगा।
- xi. कृपया ध्यान रहे कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज़ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत तेल कम्पनी द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं।
- xii. चयन से संबंधित शिकायतें उस लोकेशन के परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर, ₹.5000/- के शुल्क सहित प्रस्तुत किए जाएं। तत्पश्चात प्राप्त किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।
- xiii. अंग्रेजी अखबार बनाम प्रादेशिक अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन में विसंगति पाए जाने पर, अंग्रेजी अखबार में दर्शित निर्देश/ जानकारी मान्य होगी।
- xiv. कम्पनी को अधिकार है कि वो अपने एकमात्र विवेकाधिकार से बगैर कोई कारण बताए विज्ञापन रद्द/वापस/संशोधित कर सकती है या देय तिथि बढ़ा सकती है।

व्यक्तिगत आवेदकों के लिए आवेदन का प्रारूप																																					
(फॉर्म बड़े अक्षरों में भरें)																																					
आवेदन संख्या. ---->																																					
	आवेदन की तारीख				D	D	-	M	M	-	Y	Y	Y	Y																							
रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु आवेदन																																					
आवेदन शुल्क संबंधी विवरण (रु.)									नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो जिसपर नमूना हस्ताक्षर किया जाय																												
लेनदेन संख्या.																																					
लेनदेन की तारीख एवं समय																																					
भुगतान पद्धति																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>आरओ का प्रकार</th> <th>संवर्ग</th> <th>आवेदन शुल्क रुपये</th> <th>आरओ का प्रकार</th> <th>संवर्ग</th> <th>आवेदन शुल्क रुपये</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सामान्य</td> <td>अजा/अजजा</td> <td>3000</td> <td>ग्रामीण</td> <td>अजा/अजजा</td> <td>2500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>अपिजा</td> <td>5000</td> <td></td> <td>अपिजा</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>खुली</td> <td>10000</td> <td></td> <td>खुली</td> <td>8000</td> </tr> </tbody> </table>														आरओ का प्रकार	संवर्ग	आवेदन शुल्क रुपये	आरओ का प्रकार	संवर्ग	आवेदन शुल्क रुपये	सामान्य	अजा/अजजा	3000	ग्रामीण	अजा/अजजा	2500		अपिजा	5000		अपिजा	4000		खुली	10000		खुली	8000
आरओ का प्रकार	संवर्ग	आवेदन शुल्क रुपये	आरओ का प्रकार	संवर्ग	आवेदन शुल्क रुपये																																
सामान्य	अजा/अजजा	3000	ग्रामीण	अजा/अजजा	2500																																
	अपिजा	5000		अपिजा	4000																																
	खुली	10000		खुली	8000																																
टिप्पणी :विशेष मुख्य संवर्ग के अंतर्गत उप-संवर्ग श्रेणी के लिए वही आवेदन शुल्क लागू है.																																					

1	विज्ञापन में स्थान का क्रम संख्या	
2	स्थान का नाम	
3	जिला	
4	राज्य	
5	संवर्ग *	

* नीचे दर्शाये अनुसार आरक्षित स्थानों के बारे में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है. (आवेदक को यह घोषित करना होगा कि, जैसा कि लागू है, वह उनके पास उपलब्ध है और ओएमसी द्वारा जब कभी भी उसकी मांग की जाएगी, उसे प्रस्तुत किया जाएगा.)

संवर्ग	पात्रता प्रमाणपत्र प्रारूप	संवर्ग	पात्रता प्रमाणपत्र प्रारूप	संवर्ग	पात्रता प्रमाणपत्र प्रोफार्मा
अजा/अजजा	परिशिष्ट VI	अपिजा	परिशिष्ट - VII-क व VII-ख		
अजा/अजजा सीसी 1	परिशिष्ट VI, VIII या डीजीआर प्रमाणपत्र या यथा लागू निर्मुक्ति आदेश अथवा पेंशन आदेश	अपिजा सीसी 1	परिशिष्ट VII-क व VII-ख, VIII या डीजीआर प्रमाणपत्र यथा लागू निर्मुक्ति आदेश अथवा पेंशन आदेश	खुली सीसी 1	परिशिष्ट-VIII अथवा डीजीआर प्रमाणपत्र/ यथा लागू निर्मुक्ति आदेश या पेंशन आदेश
				खुली सीसी 2	परिशिष्ट-ओएसपी/एफएफ के लिए लागू प्रमाणपत्र
अजा/अजजा/दिव्यांग	परिशिष्ट-VI, IX क/ IX ख / IX ग	अपिजा दिव्यांग	परिशिष्ट-VII-क, VII-ख, IX क/ IX ख/ IX ग	खुली दिव्यांग	परिशिष्ट- IX क/ IX ख/ IX ग
विद्यमान अव्यवहार्य एसकेओ डीलर		आबंटक प्राधिकारियों से 75 kls से कम के आबंटन का प्रमाण. डीलरशिप एग्जीमेंट की प्रति			

6	विज्ञापन की तारीख		अंदर	(कृपया समाचार पत्र का नाम लिखें)				
7	स्थान के स्थल का प्रकार	सीसी/डीसी/सीएफएस	8	आरओ का प्रकार	सामान्य/ ग्रामीण			
9	आवेदक को ऑफर की गई भूमि सहित अधिवक्ता के पत्र डीएस आधार पर आवेदक का समूह	समूह 1, समूह 2, समूह 3 (आवेदक भूमि के बिना किसी ऑफर सहित)						
10	आवेदक का प्रकार	मालिक/साझेदार		यदि "साझेदार" हो, तो कृपया प्रत्येक साझेदार के लिए अलग से आवेदन दे एवं उनको एक साथ जोड़ दे.				
11	आवेदक को उनके चयन पर ओएमसी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर ब्रोशर के परिशिष्ट-X क में दिये गए फ़ारमेट के अनुसार शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी.							
11.1	नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी)	पहला नाम		मध्य नाम		कुलनाम		
11.2	पिता/पति का नाम (श्री)	पहला नाम		मध्य नाम		कुलनाम		
11.3	पता							
	जिला	राज्य		पिन कोड				
	दूरभाष सं.				मोबाइल नंबर			
	ई-मेल आईडी				पैन नंबर			
11.4	भारतीय नागरिक	हाँ	नहीं	भारतीय निवासी आयकर के नियमानुसार		हाँ	नहीं	
	यदि "नहीं" तो आवेदक पात्र नहीं है.					यदि "नहीं" तो आवेदक पात्र नहीं है.		
11.5	लिंग (सही का चिह्न लगाए, जहाँ कही लागू हो)		पुरुष			महिला		
11.6	जन्मतिथि	दिनांक	माह	वर्ष	आयु - आवेदन की तारीख पर (ओएमसी की मांग पर प्रमाण प्रस्तुत करना होगा)	वर्ष	माह	दिन
11.7	वैवाहिक स्थिति (सही का चिह्न लगाए, जहाँ कही लागू हो)		एकल	विवाहित	विधवा / विधुर		तलाक़शुदा	
11.8	पति-पत्नी का नाम (यदि विवाहित हो)		श्री /श्रीमती					
	क्या पति-पत्नी नौकरी करते हैं (सही का चिह्न लगाए, जहाँ कही लागू हो)		हाँ			नहीं		
12	शैक्षणिक योग्यताएँ (जब कभी ओएमसी द्वारा मांग की जाने पर पात्रता मापदंड के अनुसार शैक्षणिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा)							
	शैक्षणिक पात्रता	बोर्ड/यूनिवर्सिटी/संस्थान का नाम			पदवी		उत्तीर्ण होने की तिथि	
i)	10 ^{वीं} उत्तीर्ण							

13 भूमि संबंधी विवरण (नीचे जानकारी देने से पूर्व ब्रोशर के खंड सं. 4 (v) पढ़ें।
(जब कभी ओएमसी द्वारा मांग की जाने पर भूमि की स्वामित्व का प्रमाण की प्रति प्रस्तुत करनी होगी) (समूह 1 एवं समूह 2)
(समूह 3 के अंतर्गत आवेदकों के लिए आवश्यक नहीं): समूह 3 के लिए : मेरे/हमारे पास वर्तमान में कोई उचित भूमि नहीं है. यदि किसी का भी चयन नहीं होता है अथवा समूह 1 और समूह 2 से कोई भी उपलब्ध नहीं होता है और समूह 3 पर विचार किया जाता है, तो मैं/हम ओएमसी की सलाह के अनुसार, आगे की चयन प्रक्रिया में स्वीकार हेतु, भूमि की व्यवस्था करूंगा/करूंगी/करेंगे.)

भूमि के स्वामी/पट्टा धारक का/के नाम	आवेदक** के साथ रिश्ता	विक्री विलेख/उपहार विलेख/परिवर्तन की तारीख	संदर्भ बिन्दु/सीमा चिन्ह के संबंध में भूमि का स्थान (उससे संदर्भ बिन्दु/सीमा चिन्ह/अंतर स्पष्ट करें)	खसरा नंबर /खतौनी / गट नं / सर्वे नं.	भूमि* परिमाण		
					अग्रभाग मीटर में	गहराई मीटर में	एरिया (चौ.मी.)

क. क्या आप भूमि ऑयल कंपनी को बिक्री/दीर्घकालीन पट्टे पर स्थानांतरित करना चाहते हैं? हाँ /नहीं (केवल सीसी/सीफएस स्थानों के लिए)

यदि हाँ, तो किस दर पर/शर्तों पर.

ख. उपर्युक्त भूमि का टुकड़ा मेरे/मेरे पारिवारिक सदस्य (ब्रोशर के खंड 4(v) e में यथा परिभाषित) डीएस स्वामित्व में है जो स्वामित्व अथवा दीर्घकालीन पट्टे के आधार पर ऑयल कंपनी के विज्ञापन के अनुसार (ऑयल कंपनी का नाम) 19 वर्ष एवं 11 माह की न्यूनतम अवधि के लिए उपलब्ध की जाएगी.

यह कि मेरे/हमारे पास अधिवक्ता से उपलब्ध दस्तावेज़ एवं रिपोर्ट के अनुसार, मेरे/हमारे ऑफर ब्रोशर के खंड 4(v) e में यथा परिभाषित समूह 1 के अंतर्गत ऑयल कंपनी के (ऑयल कंपनी का नाम) द्वारा रिटेल आउटलेट डीलर के चयन हेतु योग्यता रखती/रखते हैं.

अथवा

ग. उक्त भूमि का टुकड़ा जो ----- की मालकीयत का है, मुझे/हमें ऑयल कंपनी का (ऑयल कंपनी का नाम) रिटेल आउटलेट रखने हेतु ऑफर किया गया है. उपर्युक्त को "फर्म ऑफर" के रूप में दिया गया है और वह ऑयल कंपनी के विज्ञापन के अनुसार -----की न्यूनतम अवधि के लिए क्रय/दीर्घकालीन पट्टे पर उपलब्ध है.

यह कि मेरे/हमारे पास अधिवक्ता से उपलब्ध दस्तावेज़ एवं रिपोर्ट के अनुसार, मेरे/हमारे ऑफर ब्रोशर के खंड 4(v) में यथा परिभाषित समूह 2 के अंतर्गत ऑयल कंपनी के (ऑयल कंपनी का नाम) द्वारा रिटेल आउटलेट डीलर के चयन हेतु योग्यता रखती/रखते हैं.

(सही का चिह्न, बी (समूह 1) अथवा (समूह 2), जैसा लागू हो, करें)

टिप्पणी :

यदि भूमि "परिवार" के सदस्यों/अन्यों दी मालकीयत की हो, तो परिशिष्ट -III A के अनुसार नोटरीयुक्त शपथपत्र उपलब्ध करना होगा जिसे ओएमसी की जब कभी मांग पर प्रस्तुत करना होगा. प्रत्येक आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अधिवक्ता से (परिशिष्ट - III B) एक पुष्टि पत्र प्राप्त करना होगा जिसमें वर्तमान स्वामित्व का उल्लेख हो, जिस पर दस्तावेज़ और उसकी श्रेणी निर्भर हैं जिसके अंतर्गत भूमि (समूह 1 अथवा समूह 2) के अंतर्गत आती है.

घ. उक्त भूमि का टुकड़ा ऑयल कंपनी के क्रय/दीर्घकालीन पट्टे/उप-पट्टा के लिए ऑयल कंपनी (ऑयल कंपनी का नाम) की आवश्यकता के अनुसार एवं उनकी शर्तों एवं नियमों के अनुसार 19 वर्ष एवं 11 माह की न्यूनतम अवधि के लिए ऑफर की गई है. (उस स्थान के लिए जो कार्पोरेशन ओण्ड डीलर ऑपरेटेड (सीसी)/सीफएस साइट के लिए विज्ञापित है.)

भूमि का परिमाण देते हुए साइट के नक्शे का उपयोग ऑफर कि गई कुल भूमि में से प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के लिए किया जाएगा, जिसे ओएमसी द्वारा सूचना प्राप्त होते ही आवेदक को प्रस्तुत करना होगा.	
14	वित्त की आवश्यकता :मैं यह वचन देता/देती हूँ कि जैसा कि विज्ञापन में उल्लेख किया गया है, आरओ की स्थापना एवं आरओ के संचालन (आरओ साइट की श्रेणी पर निर्भर) के लिए जब कभी आवश्यकता होगी, निधि उपलब्ध कराई जाएगी. क) आरओ हेतु बुनियादी विकास के लिए निधि (रु.-----) ** ख) आरओ के संचालन के लिए कार्यशील पूंजी. (रु.-----) **
15	क्या आप विज्ञापन कि तारीख से पूर्व डीलर/वितरक अथवा उसके/उसकी "फैमिली यूनिट" के सदस्य (डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप सिलेक्शन गाइडलाइंस के अंतर्गत यथा परिभाषित) हैं,, आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपधारक अथवा किसी ऑयल कंपनी की एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप है, जिन्हें विगत 5 वर्षों में (आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपधारक के लिए) एवं 4 वर्ष (एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए) अधिकांश अनियमितता के अंतर्गत मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है? हाँ/ नहीं (यदि हाँ, पात्र नहीं)
16	क्या आप विज्ञापन कि तारीख से पूर्व डीलर/वितरक अथवा उसके/उसकी "फैमिली यूनिट" के सदस्य (डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप सिलेक्शन गाइडलाइंस के अंतर्गत यथा परिभाषित) हैं,, आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपधारक अथवा किसी ऑयल कंपनी की एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप है, जिनके विरुद्ध विगत 5 वर्षों में (आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपधारक के लिए) एवं 4 वर्ष (एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए) गंभीर/अधिकांश अनियमितता के अंतर्गत मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है? हाँ/ नहीं

15. आवेदक द्वारा वचनपत्र

- क. मुझे ज्ञात है कि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए पात्रता उपर्युक्त आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर तय की जाएगी. ऑयल कंपनी की जांच पर, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत/झूठी/मिथ्या पाई जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी एवं मैं रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए अपात्र घोषित रहूंगा/रहूंगी.
- ख. मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी के बारे में मूल सहायक दस्तावेज मेरे कब्जे में है एवं यदि चयन किया जाता है और यदि इन मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में चूक हो जाती है, तो इस आवेदन में असत्य/असहायक जानकारी की प्रस्तुति के कारण मेरा चयन निरस्त माना जाएगा.
- ग. मुझे पूर्णता ज्ञात है कि यदि मैं ऑयल कंपनी के मानक के अनुसार रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए उपर्युक्त समुचित साइट देनेमें असमर्थ रहता/रहती हूँ, तो मुझे आबंटित डीलरशिप निरस्त मानी जाएगी.
- घ. मुझे यह भी ज्ञात है कि विज्ञापन में ऑयल कंपनी (ऑयल कंपनी का नाम) द्वारा विनिर्दिष्ट सुविधाएं एवं अपेक्षित संसाधनों के विकास के लिए अपेक्षित निधि की व्यवस्था करने में असमर्थ रहता/रहती हूँ, तो आबंटन निरस्त किया जा सकता है और ऑयल कंपनी (ऑयल कंपनी का नाम) के विरुद्ध मेरा कोई दावा/क्षति नहीं होगा/होगी.
- ङ. मुझे यह भी ज्ञात है कि विज्ञापन में ऑयल कंपनी (ऑयल कंपनी का नाम) द्वारा विनिर्दिष्ट आरओ के संचालन के लिए अपेक्षित कार्यशील पूंजी हेतु निधि की व्यवस्था करने में असमर्थ रहता/रहती हूँ, तो आबंटन निरस्त किया जा सकता है और ऑयल कंपनी (ऑयल कंपनी का नाम) के विरुद्ध मेरा कोई दावा/क्षति नहीं होगा/होगी.
- च. मुझे पूर्णता ज्ञात है कि यदि मैं कार्यरत रहता/रहती हूँ, तो मेरी नियुक्ति रिटेल आउटलेट डीलर के रूप में नहीं होगी. मुझे नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व सेवा से त्यागपत्र देना होगा और मुझे अपने नियोक्ता से मेरा त्यागपत्र स्वीकार करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.
- छ. मुझे यह भी ज्ञात है कि डीलर के रूप में मेरी नियुक्ति होने के उपरांत, मैं न तो कोई अन्य रोजगार ले सकता हूँ या राज्य/केन्द्र सरकार से कोई वेतन/भत्ते/परिलब्धियाँ नहीं पा सकता/सकती हूँ.
- ज. मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य (बहु डीलरशिप मापदंड के अंतर्गत परिवार की परिभाषा के अनुसार) किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का कर्मचारी नहीं है.
- झ. मुझे पूर्णता ज्ञात है कि यदि मेरा चयन किया जाता है, तो मैं डीलरशिप के दैनंदिन कामकाज के प्रति अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर कार्य करूंगा/करूंगी एवं कोई भी रोजगार लेने के लिए पात्र नहीं रहूंगा/रहूंगी.
- ञ. मैं यह वचन देता/देती हूँ कि यदि मुझे डीलरशिप बहाल की जाती है, तो डीलरशिप में सह-स्वामी के रूप में पति-पत्नी को प्रेरित करने के संबंध में (ओएमसी) की -----की शर्तें पूरी करूंगा/करूंगी.

ट. यह कि, यदि मेरा चयन होता है, मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं कार्पोरेशन की नीति के अनुसार ब्याज मुक्त जमानत राशि के रूप में रु----- जमा करूंगा/करूंगी.

ठ. यह कि, यदि मेरा चयन होता है, मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं कार्पोरेशन की नीति के अनुसार गैर-अदायगी निर्धारित शुल्क के रूप में रु----- का भुगतान करूंगा/करूंगी. (डीलर ओण्ड साइट के लिए लागू) (डीसी साइट के लिए)

अथवा

यह कि, यदि मेरा चयन होता है, मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं कार्पोरेशन की नीति के अनुसार गैर-अदायगी अंतिम बोली राशि का भुगतान करूंगा/करूंगी. (आरओ का कॉर्पस फंड को छोड़कर कार्पोरेशन ओण्ड साइट के लिए लागू) (सीसी साइट के लिए)

ड. मुझे यह भी ज्ञात है कि एक ही विज्ञापन के विरुद्ध किसी एक विशेष आरओ स्थान के लिए वही भूमि एक से आवेदक के लिए ऑफर नहीं कर सकता/सकती. यदि यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा ऑफर किया गया वही भूमि का टुकड़ा अन्य आवेदक (कों) द्वारा इसी स्थान के लिए ऑफर किया जाता है, तो आरओ डीलरशिप के लिए मेरी उम्मीदवारी अस्वीकृत की जाएगी/समाप्त की जाएगी, यदि नियुक्ति पहले ही की जाती है.

ढ. यह कि मैं मन मस्तिष्क से पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मैं पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त नहीं हूँ.

ण. यह की नैतिक भ्रष्टता एवं/अथवा आर्थिक अपराधों को निहित किसी अनुचित अपराध के लिए मुझे कभी भी दोषी ठहराया नहीं गया है. (स्वतंत्र सेनानी को छोड़कर).

त. यह कि मैं किसी भी ऑयल कंपनी के डीलरशिप/ डिस्ट्रिब्यूटरशिप एग्रीमेंट का हस्ताक्षरकर्ता नहीं रहा/रही हूँ, जो सिद्ध दुर्व्यवहार एवं/अथवा मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु समाप्त कर दी गई थी.

थ. मैं एतदद्वारा यह पुष्टि करता/ती हूँ कि "सामान्य एवं ग्रामीण रिटेल आउटलेट हेतु डीलरों के चयन के लिए ब्रोशर" में "अयोग्यता" खंड के अंतर्गत परिभाषित बहु डीलरशिप मापदंड की प्रयोज्यता के अनुसार रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए मैं पात्र हूँ और उसमें वर्णित अन्य शर्तों के अनुसार रिटेल आउटलेट डीलरशिप के आबंटन के लिए अयोग्य नहीं हूँ.

द. मैं एतदद्वारा यह पुष्टि करता/ती हूँ कि मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस/ डीलरशिप एग्रीमेंट, कन्ट्रोल ऑर्डर या एसमा के उल्लंघन हेतु गंभीर/प्रमुख अनियमितताओं के कारण डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप के विरुद्ध कोई कार्यवाही लंबित रहने की स्थिति में (न्यायालयीन मामले, कारण बताओ नोटिस, इत्यादि), जो मेरे अथवा मेरे परिवार इकाई द्वारा किया गया हो (अयोग्यता मापदंड के वैयक्तिक/गैर-वैयक्तिक बहु डीलरशिप मानदंड के अंतर्गत यथा परिभाषित), आबंटन सशर्त होगा और इस प्रकार की कार्यवाहियों के परिणाम के अधीन होगा. मैं यह भी समझता/ती हूँ कि ऐसी लंबित कार्यवाहियों में प्रतिकूल निर्णय होने पर आबंटन के निरस्तीकरण के लिए मैं किसी प्रकार का दावा, क्षतिपूर्ति दावा करने के लिए पात्र नहीं हूँ.

ध. मैं यह पुष्टि करता/ती हूँ कि आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/ एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए आवेदन करते समय गलत सूचना/गलत बयानी/वास्तविक तथ्यों का दमन करने/गलत/झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए किसी भी ओएमसी द्वारा मेरी उम्मीदवारी को अस्वीकृत/चयन का निरस्तीकरण/डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप कि समाप्ति कभी भी नहीं कि गई.

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____ एतदद्वारा पुष्टि करता हूँ कि मैसर्स _____ की ओर से इस आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने के लिए मुझे प्राधिकृत किया गया हूँ और ऊपर दी गई सूचना सही एवं सत्य हैं। किसी भी प्रकार की गलत सूचना/गलत बयानी/ वास्तविक तथ्यों का दमन, हमें रिटेल आउटलेट की इस डीलरशिप के लिए अयोग्य घोषित कर देगा। यह भी की हमारे आवेदन में हमारे द्वारा प्रदान की गई सूचना/उद्घोषणा अथवा हमारे द्वारा रिटेल आउटलेट डीलरशिप से नवाजे जाने हेतु आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज असत्य या गलत या मिथ्या पाये जाने पर _____ तेल कंपनी (ओएमसी) अपने अधिकार के तहत आशय पत्र को वापस ले सकती है/डीलरशिप को रद्द कर सकती है (यदि पहले से नियुक्त किया गया हो) और इस तरह की वापसी/रद्दीकरण जैसा भी हो के मामले में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का दावा कंपनी के विरुद्ध नहीं किया जा सकेगा ।

स्थान : _____

आवेदक के हस्ताक्षर _____

**दिनांक : _____

आवेदक का नाम _____

** शपथ पत्र में उल्लेखित दिनांक को पात्रता मानदंडों के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए लागू तिथि के रूप में माना जाएगा ।

गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के लिए आवेदन का प्रारूप																									
(फॉर्म मोटे अक्षरों में भरें)																									
आवेदन संख्या. ---->																									
	आवेदन की तारीख				डी	डी	-	एम	एम	-	वाई	वाई	वाई	वाई											
रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु आवेदन																									
आवेदन शुल्क संबंधी विवरण (रू.)			नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो जिसपर नमूना हस्ताक्षर किया जाय																						
लेनदेन संख्या.																									
लेनदेन की तारीख एवं समय																									
भुगतान पद्धति																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>आरओ का प्रकार</th> <th>संवर्ग</th> <th>आवेदन शुल्क रुपये</th> <th>आरओ का प्रकार</th> <th>संवर्ग</th> <th>आवेदन शुल्क रुपये</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सामान्य</td> <td>खुला</td> <td>10000</td> <td>ग्रामीण</td> <td>खुला</td> <td>8000</td> </tr> </tbody> </table>						आरओ का प्रकार	संवर्ग	आवेदन शुल्क रुपये	आरओ का प्रकार	संवर्ग	आवेदन शुल्क रुपये	सामान्य	खुला	10000	ग्रामीण	खुला	8000								
आरओ का प्रकार	संवर्ग	आवेदन शुल्क रुपये	आरओ का प्रकार	संवर्ग	आवेदन शुल्क रुपये																				
सामान्य	खुला	10000	ग्रामीण	खुला	8000																				

1	विज्ञापन में स्थान का क्रम सं.	
2	स्थान का नाम	
3	जिला	
4	राज्य	
5	संवर्ग	
<p>गैर-व्यक्तिगत आवेदक से तात्पर्य सरकारी निकायों/एजेन्सी, सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत सोसायटीज/सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1912 के अधीन पंजीकृत सोसायटीज अथवा संबंधित राज्यों द्वारा गठित सहकारी सोसायटीज, कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत स्थापित संबंधित राज्य सरकार के धर्मार्थ आयुक्त के अधीन पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट.</p>		
6	विज्ञापन की तारीख	अंदर (कृपया समाचार पत्र का नाम लिखें)
7	स्थल का प्रकार	सीसी/डीसी/सीएफएस
8	आरओ का प्रकार	सामान्य/ग्रामीण
9	आवेदक को ऑफर की गई भूमि सहित अधिवक्ता के पत्र डीएस आधार पर आवेदक का समूह	समूह 1/ समूह 2
10	आवेदक का प्रकार	पंजीकृत सोसायटी/कंपनी/धर्मार्थ ट्रस्ट/सरकारी संगठन (कृपया जो लागू हो उसे सही का चिह्न मार्क करें)
11	आवेदक को ऑयल कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त होने फार्मट में दिये गए परिशिष्ट-X के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा.	
11.1	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	पहला नाम मध्य नाम कुलनाम
11.2	पिता /पति का नाम (श्री)	पहला नाम मध्य नाम कुलनाम

11.3	पता					
	जिला		राज्य		पिन कोड	
	दूरभाष सं.				मोबाइल नंबर	
	ई-मेल आईडी				पैन नंबर	
12	पंजीकृत सोसायटी/कंपनी/धर्मार्थ ट्रस्ट/सरकारी संगठन का विवरण					
ए)	नाम					
बी)	पंजीकृत कार्यालय का पता					
	जिला		राज्य		पिन कोड	
	दूरभाष सं.				मोबाइल नंबर	
	ई-मेल आईडी				पैन नंबर	
टिप्पणी : एंटीटी भारत में पंजीकृत किया जाए.						
सी)	पंजीकरण/विलय की तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाई)					
डी)	सनदी लेखाकर द्वारा प्रमाणित विगत 3 वित्तीय वर्षों के दौरान हुए लाभ/हानि (प्रमाणपत्र की प्रति जब भी अपेक्षित होगी, प्रस्तुत करनी होगी)		कर पश्चात लाभ (रु)		हानि (रु)	
i)						
ii)						
iii)						
टिप्पणी : सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित विगत लगातार तीन वित्तीय वर्षों के लिए सिर्फ लाभ अर्जन करने वाली पंजीकृत सोसायटीज़/कंपनिया ही आवेदन के लिए पात्र है.						
13	भूमि संबंधी विवरण (नीचे जानकारी देने से पूर्व ब्रोशर के खंड सं. 4 (v) पढ़ें. (जब कभी ऑयल कंपनी द्वारा मांग की जाने पर भूमि की स्वामित्व का प्रमाण की प्रति प्रस्तुत करनी होगी)					
भूमि के स्वामी/पट्टेधारक का नाम	विक्री विलेख/बिक्री विलेख/परिवर्तन की तारीख	संदर्भ बिन्दु/सीमा चिन्ह के संबंध में भूमि का स्थान (उससे संदर्भ बिन्दु/सीमा चिन्ह/अंतर स्पष्ट करें)	खसरा नंबर /खतौनी / गट नं / सर्वे नं.	भूमि* का परिमाण		
				अग्रभाग मीटर में	गहराई मीटर में	एरिया (चौ.मी.)

क) क्या आप भूमि ऑयल कंपनी को बिक्री/दीर्घकालीन पट्टे पर स्थानांतरित करना चाहते हैं? हाँ /नहीं

यदि हाँ, तो किस दर पर/शर्तों पर.

ख) उपर्युक्त भूमि का टुकड़ा स्वामित्व अथवा दीर्घकालीन पट्टे के आधार पर ऑयल कंपनी के विज्ञापन के अनुसार (ऑयल कंपनी का नाम) 19 वर्ष एवं 11 माह की न्यूनतम अवधि के लिए उपलब्ध किया जाएगा.

यह कि दस्तावेज़ एवं रिपोर्ट के अनुसार, हमारे ऑफर ब्रोशर के खंड 4(v) में यथा परिभाषित समूह 1 के अंतर्गत ऑयल कंपनी के (ऑयल कंपनी का नाम) द्वारा रिटेल आउटलेट डीलर के चयन हेतु योग्यता रखती/रखते हैं.

अथवा

ग) उक्त भूमि का टुकड़ा जो ----- हमें ऑयल कंपनी का (ऑयल कंपनी का नाम) रिटेल आउटलेट रखने हेतु ऑफर किया गया है. उपर्युक्त को "फर्म ऑफर" के रूप में दिया गया है और वह ऑयल कंपनी के विज्ञापन के अनुसार -----की न्यूनतम वर्षों के लिए क्रय/दीर्घकालीन पट्टे पर उपलब्ध है.

यह कि आवेदन के साथ संलग्न अधिवक्ता से उपलब्ध दस्तावेज़ एवं रिपोर्ट के अनुसार, ऑफर ब्रोशर के खंड 4(v) में यथा परिभाषित समूह 2 के अंतर्गत ऑयल कंपनी के (ऑयल कंपनी का नाम) द्वारा रिटेल आउटलेट डीलर के चयन हेतु योग्यता रखती/रखते हैं.

(बी अथवा सी, जैसा भी लागू हो, सही का चिह्न मार्क करे)

टिप्पणी :

किसी एक विशेष आरओ स्थान के लिए वही भूमि एक से आवेदक के लिए ऑफर नहीं कर सकता/सकती. यदि एक ही भूमि के लिए एक से अधिक आवेदन ऑफर प्राप्त होते हैं, तो ऐसे सभी आवेदन अस्वीकृत किए जाएंगे.

यदि भूमि सह-स्वामी/अन्यों की मालकीयत की हो, तो परिशिष्ट -III A के अनुसार नोटरीयुक्त शपथपत्र ओएमसी की जब कभी मांग पर प्रस्तुत करना होगा. प्रत्येक आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अधिवक्ता से (परिशिष्ट -III B) एक पुष्टि पत्र प्राप्त करना होगा जिसमें वर्तमान स्वामित्व का उल्लेख हो, जिस पर दस्तावेज़ और उसकी श्रेणी निर्भर हैं जिसके अंतर्गत भूमि (समूह 1 अथवा समूह 2) के अंतर्गत आती है.

घ). उक्त भूमि का टुकड़ा ऑयल कंपनी के क्रय/दीर्घकालीन पट्टे/उप-पट्टा के लिए ऑयल कंपनी (ऑयल कंपनी का नाम) की आवश्यकता के अनुसार एवं उनकी शर्तों एवं नियमों के अनुसार 19 वर्ष एवं 11 माह की न्यूनतम अवधि के लिए ऑफर की गई है. (उस स्थान के लिए जो कार्पोरेशन ओण्ड डीलर ओपरेटिंग साइट के लिए विज्ञापित है.)

भूमि का परिमाण दिया गया साइट के नक्शे का उपयोग ऑफर कि गई कुल भूमि में से प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के लिए किया जाएगा, जिसे ओएमसी द्वारा सूचना प्राप्त होते ही आवेदक को प्रस्तुत करना होगा.

14 वित्त की आवश्यकता : हम वचन देते हैं कि जैसा कि विज्ञापन में उल्लेख किया गया है, आरओ की स्थापना एवं आरओ के संचालन (आरओ साइट की श्रेणी पर निर्भर) के लिए जब कभी आवश्यकता होगी, निधि उपलब्ध कराई जाएगी..
क) आरओ हेतु बुनियादी विकास के लिए निधि (रू..-----) **
ख) आरओ के संचालन के लिए कार्यशील पूंजी. (रू..-----) **

15 क्या आप विज्ञापन कि तारीख से पूर्व डीलर/वितरक हैं (डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप सिलेक्शन गाइडलाइंस के अंतर्गत गैर-व्यक्तिगत के लिए बहु डीलरशिप मानदंड के अयोग्य मानदंड के अंतर्गत यथा परिभाषित) हैं, आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपधारक अथवा किसी ऑयल कंपनी की एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप हैं, जिनके विरुद्ध विगत 5 वर्षों में (आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपधारक के लिए) एवं 4 वर्ष (एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए) प्रमुख अनियमितता के अंतर्गत मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है?
हाँ / नहीं (यदि हाँ, पात्र नहीं)

16 क्या आप विज्ञापन कि तारीख से पूर्व डीलर/वितरक हैं (डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप सिलेक्शन गाइडलाइंस के अंतर्गत गैर-व्यक्तिगत के लिए बहु डीलरशिप मानदंड के अयोग्य मानदंड के अंतर्गत यथा परिभाषित) हैं, आरओ/एसकेओ-

<p>एलडीओ डीलरशिपधारक अथवा किसी ऑयल कंपनी की एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप है, जिनके विरुद्ध विगत 5 वर्षों में (आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपधारक के लिए) एवं 4 वर्ष (एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए) गंभीर/अधिकांश अनियमितता के अंतर्गत मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है? हाँ / नहीं</p>
--

17. आवेदक द्वारा वचनपत्र

- क. हमें ज्ञात है कि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए पात्रता उपर्युक्त आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर तय की जाएगी. ऑयल कंपनी की जांच पर, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी गलत/झूठी/मिथ्या पाई जाती है, तो हमारी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी एवं हम रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए अपात्र घोषित रहेंगे.
- ख. हम यह भी पुष्टि करते हैं कि इस आवेदन में हमारे द्वारा दी गई जानकारी के बारे में मूल सहायक दस्तावेज हमारे कब्जे में है एवं यदि चयन किया जाता है और यदि इन मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में चूक हो जाती है, तो इस आवेदन में असत्य/असहायक जानकारी की प्रस्तुति के कारण हमारा चयन निरस्त माना जाएगा.
- ग. हमें पूर्णता ज्ञात है कि यदि हम ऑयल कंपनी के मानक के अनुसार रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए उपर्युक्त समुचित साइट देने में असमर्थ रहते हैं, तो हमें आबंटित डीलरशिप निरस्त मानी जाएगी.
- घ. हमें यह भी ज्ञात है कि विज्ञापन में ऑयल कंपनी (ऑयल कंपनी का नाम) द्वारा विनिर्दिष्ट सुविधाएं एवं अपेक्षित संसाधनों के विकास के लिए अपेक्षित निधि की व्यवस्था करने में असमर्थ रहते हैं, तो आबंटन निरस्त किया जा सकता है और ऑयल कंपनी (ऑयल कंपनी का नाम) के विरुद्ध हमारा कोई दावा/क्षति नहीं होगा.
- ङ. हमें यह भी ज्ञात है कि विज्ञापन में ऑयल कंपनी (ऑयल कंपनी का नाम) द्वारा विनिर्दिष्ट आरओ के संचालन के लिए अपेक्षित कार्यशील पूंजी हेतु निधि की व्यवस्था करने में असमर्थ रहते हैं, तो आबंटन निरस्त किया जा सकता है और ऑयल कंपनी (ऑयल कंपनी का नाम) के विरुद्ध हमारा कोई दावा/क्षति नहीं होगा.
- च. हम यह भी पुष्टि करते हैं कि यदि मेसर्स _____ की ओर से हमारा संगठन रिटेल आउटलेट डीलरशिप का प्रबंधन स्वतः करेगा और ना ही ठेकेदारी पर.
- छ. यह कि, यदि हमारा चयन होता है, हम वचन देते हैं कि हम कार्पोरेशन की नीति के अनुसार ब्याज मुक्त जमानत राशि के रूप में रु----- जमा करेंगे .
- ज. यह कि, हमारा चयन होता है, हम वचन देते हैं कि हम कार्पोरेशन की नीति के अनुसार गैर-अदायगी निर्धारित शुल्क के रूप में रु----- का भुगतान करेंगे. (डीलर ओण्ड साइट के लिए लागू)

या

यह कि, हमारा चयन होता है, हम वचन देते हैं कि हम हूँ कि हम कार्पोरेशन की नीति के अनुसार गैर-अदायगी अंतिम बोली राशि का भुगतान करेंगे. (कार्पोरेशन ओण्ड साइट के लिए लागू)

- झ. हमें यह भी ज्ञात है कि एक ही विज्ञापन के विरुद्ध किसी एक विशेष आरओ स्थान के लिए वही भूमि एक से आवेदक के लिए ऑफर नहीं कर सकते. यदि यह पाया जाता है कि हमारे द्वारा ऑफर किया गया वही भूमि का टुकड़ा अन्य आवेदक (कों) द्वारा इसी स्थान के लिए ऑफर किया जाता है, तो आरओ डीलरशिप के लिए हमारी उम्मीदवारी अस्वीकृत की जाएगी/समाप्त की जाएगी, यदि नियुक्ति पहले ही की जाती है.
- ञ. यह की नैतिक भ्रष्टता एवं/अथवा आर्थिक अपराधों को निहित किसी अनुचित अपराध के लिए मुझे कभी भी दोषी ठहराया नहीं गया है. (स्वतंत्र सेनानी को छोड़कर).

- ट. यह कि हम किसी भी ऑयल कंपनी के डीलरशिप/ डिस्ट्रिब्यूटरशिप एग्रीमेंट का हस्ताक्षरकर्ता नहीं रहे हैं, जो सिद्ध दुर्व्यवहार एवं/अथवा मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु समाप्त कर दी गई थी.
- ठ. हम एतदद्वारा यह पुष्टि करते हैं कि "सामान्य एवं ग्रामीण रिटेल आउटलेट हेतु डीलरों के चयन के लिए ब्रोशर" में "अयोग्यता" खंड के अंतर्गत परिभाषित बहुविध डीलरशिप मापदंड की प्रयोज्यता के अनुसार रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए हम पात्र हैं और उसमें वर्णित अन्य शर्तों के अनुसार रिटेल आउटलेट डीलरशिप के आबंटन के लिए अयोग्य नहीं हैं.
- ड. हम एतदद्वारा यह पुष्टि करते हैं कि मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस/ डीलरशिप एग्रीमेंट, कन्ट्रोल ऑर्डर या एसमा के उल्लंघन हेतु गंभीर/प्रमुख अनियमितताओं के कारण डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप के विरुद्ध कोई कार्यवाही लंबित रहने की स्थिति में (न्यायालयीन मामले, कारण बताओ नोटिस, इत्यादि), जो हमारे अथवा हमारे संगठन इ द्वारा किया गया हो (अयोग्यता मापदंड के वैयक्तिक/गैर-वैयक्तिक बहु डीलरशिप मानदंड के अंतर्गत यथा परिभाषित), आबंटन सशर्त होगा और इस प्रकार की कार्यवाहियों के परिणाम के अधीन होगा. हम यह भी समझते हैं कि ऐसी लंबित कार्यवाहियों में प्रतिकूल निर्णय होने पर आबंटन के निरस्तीकरण के लिए हम किसी प्रकार का दावा, क्षतिपूर्ति दावा करने के लिए पात्र नहीं हैं.
- ढ. हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/ एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए आवेदन करते समय गलत सूचना/गलत बयानी/वास्तविक तथ्यों का दमन करने/गलत/झूठे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए किसी भी ओएमसी द्वारा हमारी उम्मीदवारी को अस्वीकृत/चयन का निरस्तीकरण/ डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप की समाप्ति कभी भी नहीं की गई है.

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____ एतदद्वारा पुष्टि करता हूँ कि मैसर्स _____ की ओर से इस आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने के लिए मुझे प्राधिकृत किया गया हूँ और ऊपर दी गई सूचना सही एवं सत्य हैं। किसी भी प्रकार की गलत सूचना/गलत बयानी/ वास्तविक तथ्यों का दमन, हमें रिटेल आउटलेट की इस डीलरशिप के लिए अयोग्य घोषित कर देगा। यह भी कि हमारे आवेदन में हमारे द्वारा प्रदान की गई सूचना/उद्घोषणा अथवा हमारे द्वारा रिटेल आउटलेट डीलरशिप से नवाजे जाने हेतु आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज़ असत्य या गलत या मिथ्या पाये जाने पर _____ तेल कंपनी (ओएमसी) अपने अधिकार के तहत आशय पत्र को वापस ले सकती है/डीलरशिप को रद्द कर सकती है (यदि पहले से नियुक्त किया गया हो) और इस तरह की वापसी/रद्दीकरण जैसा भी हो के मामले में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का दावा कंपनी के विरुद्ध नहीं किया जा सकेगा ।

स्थान : _____

आवेदक के हस्ताक्षर _____

**दिनांक : _____

आवेदक का नाम _____

** शपथ पत्र में उल्लेखित दिनांक को पात्रता मानदंडों के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए लागू तिथि के रूप में माना जाएगा ।

पेट्रोल पम्प डीलर चयन पोर्टल

के लिए

यूज़र मैनुअल



<https://www.petrolpumpdealerchayan.in>

इस पोर्टल का सृजन विभिन्न स्थानों में के लिए पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए किया गया है. डीलरशिप हेतु आवेदन करने के लिए, आवेदक निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

- पोर्टल पर रजिस्टर करें. www.petrolpumpdealerchayan.in/
- पोर्टल लॉगिन करें.
- विज्ञापन का चयन करें.
- आवेदन करने के लिए स्थान का चुनें.
- आवेदन फार्म भरें.
- ऑनलाइन भुगतान करें.

चरण 1: पंजीकरण

आवेदक को डीलरशिप के लिए आवेदन हेतु पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है.

www.petrolpumpdealerchayan.in पर जाइये

होम पेज पर उपलब्ध रजिस्टर बटन पर क्लिक करें. (देखें स्क्रीन शॉट 1)

फॉर्म में सभी विवरण भरें. (देखें स्क्रीन शॉट 3)

जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करें. ओटीपी मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.

फील्ड में ओटीपी दर्ज करें एवं फॉर्म सबमिट करें.

सफलता का संदेश (success message) स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा. अब आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है.

टिप्पणी :

- ❖ लॉगिन करते समय यूजरनेम के रूप में ई-मेल आईडी का प्रयोग करना होगा.
- ❖ पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा. यूजर अपना पासवर्ड कभी भी बदल सकता है.
- ❖ पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना अनिवार्य है - कम-से-कम 1 संख्या, 1 स्पेशल कैरेक्टर और 1 अल्फाबेट.

चरण 2: पोर्टल लॉगिन

पंजीकरण के पश्चात, आवेदक अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर सकता है.

www.petrolpumpdealerchayan.in पर जाए.

- ❖ होम पेज पर उपलब्ध रजिस्टर बटन पर क्लिक करें. (देखें स्क्रीन शॉट 1)
- ❖ यूजरनेम के रूप में ई-मेल आईडी का प्रयोग करें. (देखें स्क्रीन शॉट 2)

- ❖ आपके ई-मेल आईडी पर प्राप्त पासवर्ड को प्रविष्ट करें. सफलतापूर्वक लॉग किया गया आवेदक को आवेदक डैशबोर्ड पर डाइरेक्ट किया जाएगा.

चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें

पोर्टल में सफलतापूर्वक लॉग करने के पश्चात, आवेदक मेनू के रूप में निम्नलिखित विकल्प देखेगा:

1. डैशबोर्ड: यहाँ पर यूज़र दो विकल्प देख सकेगा 1. उपलब्ध विज्ञापन 2. प्रयुक्त (अप्लाइड) विज्ञापन
2. उपलब्ध विज्ञापन: यहाँ पर यूज़र सभी राज्य-वार विज्ञापन देख सकता है, जिसके लिए यूज़र ने आवेदन नहीं किया है.
3. प्रयुक्त (अप्लाइड) विज्ञापन : यहाँ पर यूज़र विज्ञापन के विवरण देख सकता है, जिसके लिए उसने आवेदन किया है.
4. प्रोफ़ाइल : यहाँ पर यूज़र पंजीकरण करते समय अपने विवरण, ई-मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर को छोड़कर, एडिट कर सकता है.
5. पासवर्ड बदलना : यहाँ पर यूज़र अपना पासवर्ड बदल सकता है.

अब आवेदक को उपलब्ध विज्ञापन लिंक/बटन पर क्लिक करना होगा एवं उस विज्ञापन का चयन करना होगा जिसके लिए वह आवेदन करना चाहता है. "विवरण देखें/ **View Details**' पर क्लिक करने के पश्चात उस विशेष विज्ञापन के अंतर्गत सभी स्थान प्रदर्शित होंगे.

आवेदन फॉर्म भरने के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाए :

- ❖ उस विज्ञापन के अंतर्गत सभी स्थान स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे. (देखें स्क्रीनशॉट 5)
- ❖ स्थान का चयन करें जिसके लिए वह आवेदन करना चाहता/ती है. (देखें स्क्रीनशॉट 4)
- ❖ उस स्थान के लिए आवेदन करने के लिए अप्लाई बटन पर क्लिक करें.
- ❖ क्लिक करने के पश्चात आवेदक आवेदन फॉर्म में चला जायेगा, जहाँ वह उस विशेष स्थान के सभी विवरण देख सकेगा. (देखें स्क्रीनशॉट 6)
- ❖ आवेदन फॉर्म देखने के लिए स्क्रोल डाउन करें एवं सावधानीपूर्वक आवेदन फॉर्म भरना आरंभ करें.
- ❖ आवेदन फॉर्म सेव करने के लिए सेव बटन प्राप्त करने हेतु स्क्रोल डाउन करें.

आवेदन फॉर्म किसी भी समय एडिट किया जा सकता है और अस्थायी तौर पर सेव किया जा सकता है, यदि आवेदन फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट नहीं किया गया हो.

एक बार आवेदन सेव होने के पश्चात, आवेदन फॉर्म एडिट करने हेतु अप्लाइड अडवरटाइज़मेंट/लिंक में जाइए. अप्लाइड अडवरटाइज़मेंट लिंक मेनू के दाहिने बाजू के मेनू पर उपलब्ध है और अप्लाइड अडवरटाइज़मेंट आवेदक के डैशबोर्ड पर उपलब्ध है.

आवेदन फॉर्म में पूर्ण विवरण भरने के बाद, आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करने के लिए "सबमिट एण्ड प्रोसीड टु पे" को हिट करें

आवेदन फॉर्म एक बार सफलतापूर्वक सबमिट होने के पश्चात वह किसी भी स्थिति में एडिट अथवा परिवर्तित नहीं किया जा सकता.

आवेदक "सेव" बटन देख सकता है, यदि वह आवेदन अस्थायी तौर पर सेव कर उसे बाद में भरना चाहता/ती है.

आवेदक 'कैंसल' बटन भी देख सकता/ती है. आवेदक इस बटन पर क्लिक कर अपना आवेदन कैंसल कर सकता/ती है.

चरण 4: ऑनलाइन भुगतान करना:

आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात, आवेदक को ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा.

भुगतान के बिना, आवेदन आगे नहीं जाएगा एवं अस्वीकृत किया जाएगा.

ऑनलाइन भुगतान करने के लिए, नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाए:

अप्लाइड अडवरटाइज़मेंट लिंक पर जाइए.

आवेदक द्वारा लॉग किए गए सभी आवेदन स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे. (देखे स्क्रीनशॉट 7)

यदि आवेदन अंतिम रूप से सबमिट किया जाता है और भुगतान करना है, तो "पे ऑनलाइन पेमेंट" का बटन वहाँ पर प्रदर्शित होगा.

आवेदक को उस बटन पर क्लिक करना होगा और चेक आउट पेज पर डाइरेक्ट किया जाएगा (देखे स्क्रीनशॉट 8)

चेक आउट बटन पर क्लिक करें.

आवेदक को पेमेंट गेटवे पेज पर डाइरेक्ट किया जाएगा. (देखे स्क्रीनशॉट 9). भुगतान पूर्ण करें.

सफलतापूर्वक भुगतान करने के पश्चात, आवेदक आवेदन की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकता/ती है. पीडीएफ में आवेदक द्वारा भरे गये सभी विवरण दिखाये जाएंगे.

अब आवेदन पूर्ण हो गया है. आवेदन के सभी विवरण आवेदक की ई-मेल आईडी पर भेज दिये जाएँगे.

टिप्पणी :

- आवेदक एक ही स्थान के आवेदन नहीं कर सकता/ती, यदि उसने पहले ही आवेदन किया है. तथापि, ओह अलग स्थान के लिए आवेदन कर सकता/ती है.
- आवेदक आवेदन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरे. एक बार आवेदन फॉर्म सबमिट किया जाता है एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रति जनरेट होती है. तब विवरण एडिट नहीं किए जा सकते.

स्क्रीन शॉट 1:

रजिस्टर करने यहां क्लिक करें

यहां क्लिक करें

एडमिन के लिए क्लिक करें

IndianOil Bharat Petroleum HP Petrol Pump Dealer Chayan

Register Now Applicant Login Admin Login

Retail Outlet (Petrol Pump) Dealer Selection System for Oil Marketing Companies

Dealerships for Regular & Rural Retail Outlets (Petrol Pump)
Network expansion has been an important business activity of PSU Oil Marketing Companies (OMCs) for increasing the reach of petroleum products across the country.

LATEST UPDATES

View All

IMPORTANT LINKS

- Brochure for selection of retail outlet dealers
- <https://bharatpetroleum.com>
- <http://hindustanpetroleum.com>
- <https://iocl.com>

स्क्रीन शॉट 2:

IndianOil Bharat Petroleum HP Petrol Pump Dealer Chayan

Don't have an account? [Register Now](#)

Applicant Login Panel

[Forgot Password](#)

स्क्रीन शॉट 3:



**Petrol Pump Dealer
Chayan**

Create your account

Proof of age required to be submitted as and when asked by Oil Company.



स्क्रीन शॉट 4:

ASHISH SINGH SINGH

Dashboard (Home)
Available Advertisements
Applied Advertisements
Profile
Change Password

Available Advertisements

Filter by: Company State

Show 10 entries Search:

Title	Company	State	Opening Date	Closing Date	Action
ADVT FOR NEW ROS IN ANDHRAPRADESH	BPC	ANDHRA PRADESH	01-Aug-2018	23-Nov-2018	View Details
ADVT FOR NEW ROS PUNJAB	IOC	PUNJAB	26-Jul-2018	30-Nov-2018	View Details
Appointment of Retail Outlet Dealerships in the State of Punjab By HPCL	HPC	PUNJAB	24-Jul-2018	02-Dec-2018	View Details

Showing 1 to 3 of 3 entries Previous 1 Next

स्क्रीन शॉट 5:

ASHISH SINGH SINGH

Dashboard (Home)
Available Advertisements
Applied Advertisements
Profile
Change Password

Title: ADVT FOR NEW ROS IN ANDHRAPRADESH **Published Date:** 01 August 2018

Company Name: Bharat Petroleum Corporation Ltd **Closing Date:** 23 November 2018

State Name: ANDHRA PRADESH

[View Newspaper advertisement](#)

Advertisement Detail - Locations

Filter by: District Type of RO Mode of selection Category Name

Show 10 entries Search:

Territory	District	Location Description	Type of RO	Mode of selection	Category Name	Action
Nellore	YSR KADAPA	Porumamilla town (not on Badvel road nor Mydukur road)	Regular	Draw of Lots	OPEN	Apply Now
Nellore	CHITTOOR	Between Palamaneru & Gandrajupalli RHS on NH-4	Regular	Draw of Lots	SC	Apply Now
Nellore	NELLORE	Kavali Town Limits	Regular	Draw of Lots	ST	Apply Now

स्क्रीन शॉट 6:

- Dashboard (Home)
- Available Advertisements
- Applied Advertisements
- Profile
- Change Password

ASHISH SINGH SINGH

Time left : 1 1 : 5 3

Advertisement

Advertisement Title ADVT FOR NEW ROS IN ANDHRAPRADESH
Published On 01-Aug-2018
Name of the Location Gudisbanda on NH-219 LHS towards Palamaneru
District CHITTOOR
State / UT ANDHRA PRADESH
[View](#)

Read the Brochure carefully before applying

Apply as: Individual | Partnership

Category SC
Eligibility certificate(s) for the category applied as above is/are available with me/us and will be submitted as and when advised by Bharat Petroleum Corporation Ltd.
RO Type Regular
Application Fee(Rs.) 1
Type of site CFS

Personal Information

First Name ASHISH SINGH
Last Name SINGH
Mob. No. 9910556194
Address*
State*
Email Id ashish.singh@cyfuture.com
PAN NO. FQXP57914G
Whether Applicant is Indian Citizen?* Yes No
Date of Birth 08-Aug-1995
(Proof of age required to be submitted as and when asked by Indian Oil Corporation Ltd.)
Resident of India as per IT Rules* Yes No
Age 23 Years 3 Months 8 Days

Father's / Husband's Name (in case of married women enter husband's name) *
 First Name Middle Name Last Name

Marital Status * Single Married Widow(er) Divorcee
Applicant would be required to submit Affidavit in original as per the format given in Appendix - XA of the Brochure on intimation by the Oil Company (Bharat Petroleum Corporation Ltd) upon selection.
[View/Download Format](#)

Applicant's Education Qualification (Minimum 10th pass or equivalent)

Qualification *	Board/University/Institution *	Degree	Year of Passing *
10th Pass	Board/University/Institution	Degree	Select

[Add More](#)

Land Details (Please read Clause no. 4 (vi) of Brochure before providing the information below). Copy of proof of ownership of land would be required to be submitted (Group 1 & Group 2) as and when asked by the Oil Company (Bharat Petroleum Corporation Ltd).

Group Type:*

(Group of the Applicant on the Basis of Advocate's letter with applicant on land being offered.)

Name(s) of the owner of Land / Leaseholder*	Relationship with applicant*	Date of registration of sale deed/gift deed / lease deed / date of mutation*	Location of the land*	Khasra No./Khatouni/Gut No./Survey No*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Are you willing to transfer the land on sale/long lease to the Oil Company (Bharat Petroleum Corporation Ltd) ? Yes No

Please specify rate(Rs.) / terms*

Do you want to offer another plot of land under ? Yes No

Note: In case land belongs to member of Family / Others, notarized affidavit as per Appendix - III A should be available which is to be submitted when asked by (Bharat Petroleum Corporation Ltd). Each applicant should have a confirmatory letter from an advocate (Appendix - III B) giving details of the current ownership, documents relied upon and the category under which the land falls (Group 1 or Group 2) before submitting the application.
 Site map/Lay out sketch giving dimensions of the plot that will be used for the proposed Retail Outlet out of the total land offered will be required to be submitted by applicant upon intimation by Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Requirement of Finance : Not Applicable

Undertaking By The Applicant(Scroll down to accept)

a. I am aware that eligibility for Retail Outlet Dealership will be decided based on the information given in the application above. On verification by the Oil Company (Bharat Petroleum Corporation Ltd) if it is found that the information given by me is incorrect/ false/ misrepresented then my candidature will stand cancelled and I will be declared ineligible for the Retail Outlet Dealership.
 b. I also confirm that I am in possession of the supporting documents in original in respect of the information given by me in this application and if selected, failure to present these documents in original will result in cancellation of selection due to submission of false/unsupported information in this application.
 c. I am fully aware that if I am unable to provide suitable site mentioned above for setting up of the Retail Outlet as per the Oil Company (Bharat Petroleum Corporation Ltd)'s standard layout, then the allotment of dealership made to me will be cancelled.
 d. I am fully aware that I will not be appointed as Retail Outlet Dealer if I am employed, I shall have to resign from the service and produce proof of

Accept*

Declaration

I, ASHISH SINGH SINGH son of Shri hereby confirm that the information given above is true and correct. Any wrong information /misrepresentation/ suppression of facts will make me ineligible for this RO dealership. That if any information/declaration given by me in my application or in any document submitted by me in support of application for the award of the RO dealership shall be found to be untrue or incorrect or false, the Oil Company (Bharat Petroleum Corporation Ltd.) would be within its rights to withdraw the letter of intent / terminate the dealership (if already appointed) and that I would have no claim, whatsoever, against the Corporation for such withdrawal / termination.

Applicant photo & signature

Applicant Photo *
 Choose File No file chosen
(Format: jpg/jpeg/png onlr, Size: 2 MB max)

Applicant Signature *
 Choose File No file chosen
(Format: jpg/jpeg/png onlr, Size: 1 MB max)

[Submit & Proceed to Pay](#) [Save](#) [Cancel](#)

स्क्रीन शॉट 7:

DAVINDER KUMAR GOYAL

Show 10 entries Search:

Title	Type of RO	Category	Mode Of Selection	Name Of Location	Closing Date	Applied On	Action
Appointment of Retail Outlet Dealerships in the State of Punjab By HPCL	Regular	OPEN	Draw of Lots	Within 4 Km Of Village Bargari On NH 15	02-Dec-2018	16-Nov-2018 12-21-48	Download PDF View Payment successful.View Receipt.
ADVT FOR NEW ROS PUNJAB	Rural	SC	Draw of Lots	VILLAGE HARIYAL, BLOCK AND TEHSIL DHARKALAN	30-Nov-2018	16-Nov-2018 12-13-22	Download PDF View Payment successful.View Receipt.
ADVT FOR NEW ROS IN ANDHRAPRADESH	Regular	OPEN	Bidding	TADIPATRI TOWN	23-Nov-2018	13-Nov-2018 16-22-39	Download PDF View Status: Pending for Payment. PAY ONLINE
Appointment of Retail Outlet Dealerships in the State of Punjab By HPCL	Regular	OBC CC 2	Draw of Lots	On Paras Ram Nagar Road	02-Dec-2018	13-Nov-2018 16-09-42	Download PDF View Status: Pending for Payment. PAY ONLINE

स्क्रीन शॉट 8:

DAVINDER KUMAR GOYAL

Advertisement: ADVT FOR NEW ROS IN ANDHRAPRADESH
 Name of the Location: TADIPATRI TOWN

Application Details

Applicant Name	DAVINDER KUMAR GOYAL
Mobile No	9646668166
Application Fee	Rs. 1.00

Terms & Conditions

I accept Terms & Conditions

[Proceed To Pay](#)

स्क्रीन शॉट 9:

The screenshot displays the SBlePay payment interface. At the top left is the SBlePay logo. A dark blue header bar contains the text "Payment Details". Below this, there are two menu options: "Debit/Credit Card" (selected) and "Internet Banking". The main area prompts the user to "Please enter your card details" and includes fields for "Card Number" (with VISA, MasterCard, and RuPay logos), "Expiry Date/Valid Thru" (with Month and Year dropdowns), and "CVV/CVC 4-DBC" (with a refresh icon). A field for "Name of the card holder" is labeled "Name as on card". A yellow "Pay Now" button and a blue "Cancel" link are at the bottom of the form. On the right, an "Order Summary" box shows "Order No.: 15423648828901249", "Merchant Name: Bharat Petroleum Corporation Limited", "Amount: 1.00", "Processing fee:", "GST:", and "Total: Activate Windows".

SBlePay

Payment Details

Debit/Credit Card

Internet Banking

Please enter your card details

Card Number

Expiry Date/Valid Thru

CVV/CVC 4-DBC

Name of the card holder

Pay Now

Cancel

Order Summary

Order No.: 15423648828901249

Merchant Name: Bharat Petroleum Corporation Limited

Amount: 1.00

Processing fee:

GST:

Total: Activate Windows

पति/पत्नी को साझेदार बनाने हेतु आवेदक द्वारा दिया जानेवाला पत्र

स्थान:

दिनांक:

सेवा में ,

विषय: _____ श्रेणी में _____ को विज्ञापित
_____ राज्य, _____ जिला के :
_____ लोकेशन में रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु पति/पत्नी को सह-
भागीदार/साझेदार के तौर पर शामिल करने का पत्र

महोदय/महोदया,

यह आपकी पत्र सं. _____ दिनांक _____ के संदर्भ में है जिसमें आपने
_____ श्रेणी में _____ विज्ञापित _____ जिला _____ में मुझे रिटेल
आउटलेट डीलरशिप देने का आशय व्यक्त किया है और मेरा कथन निम्नानुसार है :

मैं विवाहित हूँ और मेरे पति/पत्नी का नाम _____ है। मुझे विदित है कि डीलर चयन की शर्तों के अनुसार, मेरे पति/पत्नी रिटेल आउटलेट डीलरशिप में सह - भागीदार अर्थात 50% साझेदार होंगे। सिवाए उस स्थिति में जब मेरे पति/पत्नी लाभप्रद रोज़गार कर रहे हों और/अथवा साझेदार नहीं बनना चाहते/ती हैं। मैं स्वीकार करता/ती हूँ कि परिशिष्ट IIB के अनुसार शपथपत्र प्रस्तुत करूंगा/गी कि वह बहाली पत्र जारी करने से पूर्व साझेदार बनाना चाहता/ती है।

** मैं आबंटन पत्र जारी करने/करार पर हस्ताक्षर करने से पहले मेरे पति/पत्नी के साथ साझेदारी इत्यादि से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेजीकरण/औपचारिकताएं पूरी करूंगा/गी। मुझे यह भी ज्ञात है कि हम दोनों संयुक्त रूप से करार पर हस्ताक्षर करेंगे।

अथवा

** मेरे पति/पत्नी लाभप्रद रोज़गार कर रहे/ही है और साझेदार नहीं बनना चाहते/ती। आबंटन पत्र जारी करने/करार पर हस्ताक्षर करने से पहले मैं परिशिष्ट II बी में इस आशय का शपथ पत्र दूंगा कि वे साझेदार नहीं बनना चाहते/ती।

** जो लागू नहीं उसे काट दें।

धन्यवाद,

भवदीय

पति/पत्नी का नोटरीकृत शपथ-पत्र यदि वे साझेदार बनना/नहीं बनना चाहते/ती

(वांछित मूल्य के उपयुक्त गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाईप करें)

(नियुक्ति पत्र स्वीकार करने/डीलरशिप करार पर हस्ताक्षर करने से पहले व्यक्तिगत आशय-पत्र धारक के पति/पत्नी द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

_____श्रेणी में _____को विज्ञापित _____जिला
_____में इंडियन ऑयल* / भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन* / हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन* की रिटेल
आउटलेटडीलरशिप के संदर्भ में।

मैं , _____पुत्र / पुत्री / पत्नी _____ आयु
_____ निवासी _____ एतद्वारा शपथपूर्वक घोषित करता/ती हूँ :

1. कि मेरे पति / पत्नी श्री श्रीमती _____ने उक्त डीलरशिप हेतु आवेदन
किया है और _____(तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) का नाम) ने मेरे पति/पत्नी के पक्ष में
दिनांक _____को पत्र सं. _____ द्वारा आशय पत्र जारी किया
है।

2. कि मुझे ज्ञात है कि डीलर चयन के शर्तानुसार, मेरे पति/पत्नी श्री/श्रीमती _____को
आबंटित रिटेल आउटलेट डीलरशिप में मुझे सह-भागीदार अर्थात 50% साझेदार के तौर पर शामिल किया जाना
है।

* मैं अपने पति/पत्नी श्री/श्रीमती _____को आबंटित डीलरशिप में साझेदार/सह भागीदार
बनना चाहता/ती हूँ। मैं यह भी वचन देता/ती हूँ कि मैं नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले डीलरशिप आबंटन
संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज़ीकरण और वचन पत्र/शपथ पत्र पूरी करूंगा/गी।

कि वर्तमान में मैं निम्नानुसार लाभप्रद रोजगार कर रहा/ही हूँ :

अथवा

*कि मैं निम्नलिखित नियोक्ता के यहाँ नौकरी करता/करती हूँ।

नियोक्ता तथा उनके पते संबंधी विवरण :

अतः मैं अपने पति/पत्नी श्री / श्रीमती _____को आबंटित डीलरशिप में साझेदार
नहीं बनना चाहता/ती हूँ।

अथवा

कि व्यक्तिगत कारणवश, मैं अपने पति/पत्नी _____को आबंटित डीलरशिप में साझेदार नहीं बनना
चाहता/ती हूँ :-

* जो लागू न हो, उसे काट दे.

मेरे समक्ष सत्यनिष्ठापूर्वक मेरे समक्ष पुष्टि एवं घोषित की गई।

आज _____माह के _____कार्य

हस्ताक्षर व मुहर

मजिस्ट्रेट/जज/नोटरी पब्लिक

हस्ताक्षर

अभिसाक्षी का नाम

परिवार सदस्य और/अथवा तृतीय पक्ष द्वारा भूमि दस्तावेजों सहित भूमि प्रस्ताव का नोटरीकृत शपथपत्र - भूमि के सभी मालिकों को यह शपथ पत्र अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा।

(वांछित मूल्य के उपयुक्त गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाईप करें)

में _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ आयु _____ वर्ष निवासी _____ एतद्वारा निम्नानुसार पुष्टि एवं कथन करता/ती हूँ:-

1. * परिभाषा के अनुसार मैं समझता/ती हूँ कि सामान्य एवं रिटेल ग्रामीण आउटलेट हेतु डीलर के चयन के लिए "ओण्ड" श्रेणी के अन्तर्गत भूमि की ऑफर के लिए परिवार सदस्यों में शामिल हैं (i) स्वतः (ii) पति-पत्नी (iii) पिता/माता सहित सौतेला पिता/सौतेली माता (iv) भाई/बहन/सौतेला भाई/सौतेली बहन (v) पुत्र/पुत्री/सौतेली पुत्री/सौतेला पुत्र (vi) जमाई/बहु (vii) रिश्तेदार (viii) बड़े अभिभावक (दोनों पिता एवं माता की तरफ से).

कि मैं श्री/श्रीमती/कु _____ (नाम) परिवार का सदस्य हूँ और सामान्य एवं रिटेल ग्रामीण आउटलेट हेतु डीलर के चयन के लिए परिभाषा के अनुसार दिनांक _____ के अखबार में प्रकाशित _____ श्रेणी के अंतर्गत _____ (स्थान) में आईओसी*/बीपीसी*/एचपीसी* की रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिये आवेदन किया है।

(* खण्ड 1 के उपर्युक्त दो अनुच्छेदों को हटाये, यदि भू-स्वामी परिवार का सदस्य नहीं है)

मैं/श्री/श्रीमती/ _____, _____ राज्यके _____ जिला _____ तालुका/तहसील _____ (गांव/कस्बा) में _____ मी (अग्रभाग*/ _____ मी. (गहराई) की _____ वर्ग मी/ क्षेत्रफल भूमि का टुकड़ा गट/सर्वे क्र. _____ का एकल/संयुक्त) मालिक/मालकिन हूँ, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :*

भूमि के मालिक/पट्टाधारक का नाम	आवेदक के साथ संबंध*	विक्रय विलेख/उपहार विलेख / पट्टा विलेख /पंजीकरण तिथि/परिवर्तन तिथि	खसरा क्र./गट क्र. /सर्वे क्र.	भूमि परिमाण		
				अग्रभाग मीटर में	न्यूनतम गहराई मीटर में	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1.						
2.						
3.						
4.						

* जो लागू न हो, उसे काट दे.

** कृपया रिश्तों को स्पष्ट करें, अर्थात (i) स्वतः (ii) पति-पत्नी (iii) पिता/माता सहित सौतेला पिता/सौतेली माता (iv) भाई/बहन/सौतेला भाई/सौतेली बहन (v) पुत्र/पुत्री/सौतेली पुत्री/सौतेला पुत्र (vi) जमाई/बहु (vii) रिश्तेदार (viii) बड़े अभिभावक (दोनों पिता एवं माता की तरफ से).

2. कि श्री/श्रीमती/मेसर्स (एन्टिटी का नाम) ने दिनांक _____ के _____ अखबार में प्रकाशित _____ श्रेणी के अंतर्गत _____ (स्थान) में आईओसी*/बीपीसी*/ एचपीसी * के रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु आवेदन किया है।
3. कि यदि रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु श्री/श्रीमती/मेसर्स (एन्टिटी का नाम) _____ का चयन होता है, तो मैं सभी सह-भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित स्थल योजनानुसार उक्त लोकेशन में रिटेल आउटलेट सुविधाएं स्थापित करने के लिए तेल कम्पनी अथवा श्री/श्रीमती/मेसर्स (एन्टिटी का नाम) _____ को उक्त भूमि का टुकड़ा बेच/अंतरित/पट्टाकृत करूंगा/गी। पट्टा के मामले में मैं यह भी पुष्टि करता/ती हूँ कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि श्री/श्रीमती/मेसर्स (एन्टिटी का नाम) _____ को पट्टे पर दिया गया भूमि का टुकड़ा वे तेल कम्पनी की शर्तों पर तेल कम्पनी को आगे पट्टे पर या उप पट्टे पर देते हैं।
- कि मुझे कोई आपत्ति न ही है यदि सभी सह: भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित स्थल योजनानुसार उक्त लोकेशन में उपरोक्त भूमि पर श्री/श्रीमती/ मेसर्स (एन्टिटी का नाम) _____ द्वारा रिटेल आउटलेट सुविधाएं स्थापित की जाती है।
4. मैं एतद्वारा पुष्टि करता/ती हूँ कि मैंने उपरोक्त विज्ञापन में भूमि का टुकड़ा मैं दिए गए इस लोकेशन में भूमि का टुकड़ा रिटेल आउटलेट डीलरशिप किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तावित नहीं किया है।
5. मैं एतद्वारा पुष्टि करता/ती हूँ कि उक्त कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही और सटीक है, तथा कुछ छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर व मुहर
मजिस्ट्रेट/जज/नोटरी पब्लिक

हस्ताक्षर
अभिसाक्षी का नाम एवं आवेदक के
साथ रिश्ता

आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि की स्थिति की पुष्टि करने संबंधी अधिवक्ता का पत्र अर्थात्
 प्रस्तावित गुप 1 में है या गुप 2 में
 (अधिवक्ता के लेटरहेड पर टाईप किया जाए और तेल विपणन कम्पनी को प्रस्तुत किया जाए)
 (आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में

मण्डल प्रबंधक / प्रादेशिक प्रबंधक / क्षेत्रीय प्रबंधक
 आईओसीएल / बीपीसीएल / एचपीसीएल

महोदय,

विषय : मेरे मुक्किल द्वारा प्रस्तावित भूमि

1. सूचित करता/करते हैं कि मैंने सर्वे क्र./गट क्र. _____ (भूमि का पता), खसरा। खतौनी
 _____ ग्राम _____ से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया है, जो
 श्री/श्रीमती/मेसर्स (एन्टिटी का नाम) _____ के द्वारा प्रस्तावित है और जिन्होंने
 _____ स्थान _____ जिला में रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु आवेदन किया है। ये
 भूमि विज्ञापित क्षेत्र/इलाके में पड़ती है।
2. मैंने विवरणिका में दिए गए खण्ड 4 आवेदकों का पात्रता मापदण्ड के अंतर्गत भूमि प्राचल से संबंधित
 उप खण्ड (vi) का अवलोकन किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कैसे कोई भूमि का टुकड़ा
 स्वामित्व भूमि श्रेणी (गुप 1) अथवा ठोस प्रस्ताव श्रेणी (गुप 2) में आता है।

मेरी राय में और तेल विपणन कम्पनी (तेल कम्पनी का नाम) की आवश्यकतानुसार, मेरे ग्राहक द्वारा
 प्रस्तावित भूमि का टुकड़ा निम्न श्रेणी में आता है :-

गुप1* : हाँ/नहीं

गुप 2* : हाँ/नहीं

***जो लागू नहीं, उसे काटें।**

3. मैंने _____ स्थान _____ जिला में मेसर्स आईओसीएल/बीपीसीएल/एचपीसीएल के रिटेल आउटलेट
 डीलरशिप हेतु श्री/श्रीमती/मेसर्स (एन्टिटी का नाम) द्वारा प्रस्तावित सर्वे क्र./ गट क्र. _____ (भूमि
 का पता), खसरा/खतौनी _____ गांव में स्थित भूमि के पट्टा करार का अवलोकन किया है
 और पुष्टि करता/ती हूँ कि पट्टा करार में, तेल कम्पनी की भूमि उप पट्टा देने का प्रावधान है।

(उक्त खण्ड 3 केवल उन्हीं स्थानों के लिए लागू है जिनका विज्ञापन कॉर्पस निधि योजना(सीएफएस-CFS
 स्थल), कॉर्पोरेशन के अन्य स्वामित्व स्थलों ("ए"/ "सीसी" स्थल) और कम्पनी पट्टा स्थलों तथा जहाँ
 दीर्घ पट्टे पर प्रस्तावित भूमि ली गई है, के अंतर्गत किया गया है।

स्थान :

दिनांक :

अधिवक्ता का हस्ताक्षर :

अधिवक्ता का नाम व मुहर : _____

निजी क्षेत्र में रोजगार/राज्य/केंद्रीय सरकार से वेतन/भत्ते/परिलब्धियाँ संबंधी आवेदक का नोटरीकृत शपथ पत्र

(वांछित मूल्य के उपयुक्त गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाईप करें)

(डीलरशिप हेतु नियुक्ति पत्र स्वीकार करने से पहले संबन्धित आशय पत्र धारक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

लोकेशन _____में इंडियन ऑयल * / भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन* / हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन * की रिटेल आउटलेट डीलरशिप के संदर्भ में।

1. कि मैं, _____पुत्र/पुत्री/ पत्नी _____ आयु _____ वर्ष, निवासी _____ एतद्वारा घोषित करता/ती हूँ कि :
2. कि मैंने, _____, श्रेणी में ----- राज्य के ----- जिले में -----लोकेशन स्थित इंडियन ऑयल* /भारत पेट्रोलियम*/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम* _____के रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु आवेदन किया है और उक्त तेल कम्पनी ने दिनांक _____का पत्र सं.के जरिये उक्त रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए आशय पत्र जारी किया है।
3. मैं घोषित करता/ती हूँ कि न तो मैं किसी निजी कम्पनी में काम करता/ती हूँ और न ही राज्य/केन्द्र सरकार से कोई वेतन/भत्ते/परिलब्धियाँ पाता/ती हूँ।

अथवा

मैं नौकरी करता/ती था/थी और मैंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे की स्वीकृति का सबूत संलग्न है।

4. मैं यह भी पुष्टि करता/ती हूँ कि डीलरशिप अवधि के दौरान न तो मैं किसी निजी कम्पनी में नौकरी/करूंगा/गी और न ही राज्य /केंद्रीय सरकार से वेतन/भत्ते/ परिलब्धियाँ पाउंगा/गी।

मेरे समक्ष सत्यनिष्ठापूर्वक मेरे समक्ष पुष्टि एवं घोषित की गई।

आज _____माह के _____कार्य

सत्यनिष्ठा से मेरे समक्ष स्वीकार और घोषित

हस्ताक्षर व मुहर
मजिस्ट्रेट/जज/नोटरी पब्लिक

हस्ताक्षर
अभिसाक्षी का नाम

स्केच सहित प्रस्तावित भूमि के परिमाण

अजा/अजजा श्रेणी प्रमाणपत्र का मानक प्रोफार्मा

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले प्रमाणपत्र का फॉर्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु* _____ पुत्र/पुत्री*
 _____ गांव/कस्बा* _____ जिला/मण्डल* _____, _____ के
 राज्य/संघ/प्रदेश* _____, _____ जाति/जनजाति के है और उनका धर्म _____ है जिसे
 बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा पठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित
 जनजाति (संशोधन) आदेश 1956* के अंतर्गत बतौर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्राप्त है।

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956*

संविधान (अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1956*

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962*

संविधान (पाँडिचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1964*

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967*

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970*

स्थान : _____

हस्ताक्षर _____ :

दिनांक : _____

पदनाम : _____

(कार्यालय की मुहर)

राज्य / संघ प्रदेश*

* जो शब्द लागू नहीं, वे काटें

टिप्पणी : " सामान्यतः निवास करते है" का तात्पर्य वही होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा - 20 में दिया गया है।

जाति / जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के सक्षम अधिकारी

i. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलक्टर / उप आयुक्त / अतिरिक्त उप आयुक्त / उप कलक्टर, प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/शहर मजिस्ट्रेट *** उप मण्डल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त*** (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट से कम न हो) / प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट

ii. मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट

iii. राजस्व अधिकारी जिनकी श्रेणी तहसीलदार से कम नहीं हो।

iv. उस मण्डल के उप मण्डल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/अथवा उनका परिवार सामान्यतः निवास करता/करते हैं ।

v. प्रशासनिक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

टिप्पणी : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार अपने दावे के समर्थन में, उक्तानुसार मूल प्रमाणपत्र व उसकी प्रति प्रस्तुत करें, जिसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम पदनामित सक्षम प्राधिकारी ने जारी किया है जो उस जिले में है जहां उम्मीदवार के माता-पिता (अथवा जीवित माता-पिता) सामान्यतः निवास करते हैं। यदि माता-पिता दोनों जीवित नहीं हैं, तो प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करनेवाला अधिकारी उस जिले का हो, जहां उम्मीदवार स्वयं की शिक्षा से भिन्न सामान्यतः निवास करता /ती है। प्रमाणपत्र की असलियत के बारे में यदि कोई संदेह हो तो उसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उप आयुक्त द्वारा सत्यापित कराएं।

ओबीसी श्रेणी प्रमाणपत्र हेतु मानक प्रोफार्मा

टिप्पणी : अन्य पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार अपने दावे के समर्थन में, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा निम्न फॉर्म में जारी मूल प्रमाणपत्र तथा उसकी प्रति प्रस्तुत करें :

“अन्य पिछड़ा वर्ग” उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला फॉर्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु _____ पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती
_____ गांव/कस्बा _____ जिला/मण्डल _____, _____ के राज्य/संघ प्रदेश
_____, _____ समुदाय के है जिसे निम्न के अंतर्गत भारत सरकार (केन्द्रीय सरकार) / राज्य सरकार
द्वारा बतौर पिछड़े वर्ग की मान्यता प्राप्त है :

क्रम संख्या	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प क्र./अधिसूचना क्र.	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना तिथि	संबंधित राज्य / संघ प्रदेश

श्री /श्रीमती/कु _____ और /अथवा उनका परिवार सामान्यतः : _____ गांव/कस्बा
* _____ जिला/मण्डल, _____ के _____ राज्य /संघ प्रदेश में निवास करते है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का.जा.क्र. 36012/22/93-इएसटीटी (एससीटी) दिनांक 08.09.93 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लेखित व्यक्तियों/अनुभागों (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं है जिसे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का.जा. क्र. 36033/1/2013 इएसटीटी. (आरईएस) दिनांक 27.05.13 तथा अन्य इस संबंध में प्रख्यापित अन्य अनुवर्ती संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया है।

स्थान: _____

हस्ताक्षर:

दिनांक : _____

पदनाम:

(ऑफिस सील के साथ)

टिप्पणी :

क. सामान्यतः " शब्द" का तात्पर्य वही है जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

ख. अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार हैं :

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उप आयुक्त / अतिरिक्त उप आयुक्त / उप कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट / उप मण्डल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट की श्रेणी से कम न हो).

(ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) उप मण्डल अधिकारी उस क्षेत्र का हो जहाँ उम्मीदवार और/अथवा उनका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

ग. आवेदन के साथ प्रस्तुत वचनपत्र की तिथि (परिशिष्ट - VII ख के अनुसार शपथ पत्र) उम्मीदवार की ओबीसी स्थिति निर्धारण तिथि मानी जाएगी और यह भी निर्धारित करने की तिथि कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर में नहीं आता। उम्मीदवार उपर्युक्त निर्धारित प्रोफार्मा में अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संबद्ध ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें जिसमें उल्लिखित संबद्ध ब्यौरे दिए गए हैं।

नोटरीकृत शपथपत्र के तौर पर घोषणापत्र/वचनपत्र - केवल ओबीसी उम्मीदवारों के लिए
(वांछित मूल्य के उपयुक्त गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाईप करें)

में, _____ पुत्र / पुत्री श्री _____
निवासी _____ गांव/कस्बा/शहर _____ जिला _____
के _____ शहर / संघ/राज्य एतद्वारा घोषित करता/ती हूँ कि मैं _____ समुदाय का/की हूँ
जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण कार्यालय जापन क्र. 36012/22/93- ईएसटीटी. (एससीटी), दिनांक 8/9/1993में शामिल
आदेशानुसार भारत सरकार द्वारा सेवा में आरक्षण हेतु पिछड़ा वर्ग माना गया है। मैं यह भी घोषित करता/ती हूँ
कि मैं भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का.जा.क्र. _____ (एससीटी) दिनांक 08.09.93
की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लेखित व्यक्तियों/अनुभागों (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं है, जिसे भारत सरकार,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का.जा. क्र.36033/3/2004 ईएसटीटी (आरइएस) दिनांक 14.08.2008 तथा अन्य इस
संबंध में प्रख्यापित अन्य अनुवर्ती संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया है।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर
(साक्षी)

स्थान: _____
दिनांक: _____

उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर न किए गए घोषणा-पत्र/वचन-पत्र अस्वीकृत किए जाएंगे।
गलत घोषणापत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक का आवेदन/उम्मीदवारी कभी भी अस्वीकृत की जा सकती है।

अर्धसैनिक/पुलिस/पीएसयु/सरकारी कर्मचारी श्रेणी (सीसी1) का मानक प्रोफार्मा

(कार्यालय प्रमुख अथवा सरकार के अवर सचिव या उससे ऊपरी श्रेणी के अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी करनेवाले संगठन/सरकारी कार्यालय के कार्यालयीन लेटरहेड पर प्रमाणपत्र दिया जाए)

प्रमाणपत्र जारी करनेवाले सरकारी संगठन/विभाग/एजेंसी का नाम व पता

संदर्भ क्र.

दिनांक

अर्धसैनिक/पुलिस/सरकारी कर्मचारी श्रेणी के लिए पात्रता प्रमाण पत्र

1. @ यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. _____ जो इस कार्यालय में _____ के पद पर कार्यरत थे/थी का------(दिनांक) को निधन हो गया। श्री/श्रीमती/कु. _____ को ----- के दौरान महान त्याग करने के लिए ----- (साहस पुरस्कार का नाम) से सम्मानित किया गया है। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार श्री/श्रीमती/कु. (आवेदक का नाम)_____ (संबंध _____) श्री/श्रीमती/कु. _____ पर आश्रित थी।

अथवा

2. @यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. _____ जो इस कार्यालय में _____ के पद पर कार्यरत थे/थी का _____(दिनांक) _____ (स्थान) में कार्यवाई के दौरान उनका निधन हो गया है। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार श्री/श्रीमती/कु. (आवेदक का नाम)_____ (संबंध _____) श्री/श्रीमती/कु. _____ पर आश्रित थी।

अथवा

3. @ यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. (आवेदक का नाम)_____ हमारे _____ कार्यालय में काम करते थे/थी और _____ (दिनांक) को _____(स्थान) में कार्य के दौरान वे विकलांग हुए/हुई है।

अथवा

4. @ यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. _____ जो हमारे कार्यालय में _____ के पद पर कार्यरत थे/थी का _____ (दिनांक) को _____(स्थान) में कार्य के दौरान निधन हो गया है। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार श्री/श्रीमती/कु. (आवेदक का नाम)_____ (संबंध _____) श्री/श्रीमती/कु. _____ पर आश्रित थे / थी।

अथवा

5. @यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. _____ हमारे _____ संगठन में कार्यरत थे/थी और _____ (दिनांक) को _____ कारणों से शांति के दौरान दिव्याङ्ग हुए/हुई हैं।

@ जो लागू नहीं उसे काट दे.

आवेदक के साक्ष्यांकित हस्ताक्षर

स्थान : _____

दिनांक : _____

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

कार्यालय मुहर :

फॉर्म II

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(स्थायी लकवा के कारण अंगच्छेद के बारे में एवं अंधत्व के बारे में)

(नियम 4 देखें)

(प्रमाणपत्र जारीकर्ता चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति की
नवीनतम पासपोर्ट
आकार की फोटो (सिर्फ
चेहरे की)

प्रमाणपत्र संख्या :.

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _____
श्री _____ के पुत्र/पत्नी/पुत्री, जन्मतिथि _____
आयु _____ वर्ष, पुरुष/स्त्री _____
(डीडी/एमएम/वाईवाई), पंजीकरण संख्या _____, स्थायी निवास मकान नंबर
_____, वार्ड/गाँव/रास्ता _____, डाकघर _____
जिला _____ राज्य _____ जिनकी फोटो ऊपर चिपकाई
गई है, की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:

क) उनका मामला निम्न प्रकार है: (जो लागू हो उसे सही का चिह्न करे)

- गति-विषयक दिव्यांगता
- नेत्रहीनता

बी) उनके मामले में निदान _____ है

भारत का गज़ट : असाधारण

(भाग II-धारा 3 (1))

- क) वे, दिशानिर्देशों के अनुसार (स्पष्ट करें) (उनके शरीर के भाग) _____ के संबंध में स्थायी शारीरिक विकलांगता/नेत्रहीनता _____ % (आंकड़ों में) _____ प्रतिशत (शब्दों में) है।
- ख) वे पूर्णरूप से लकवाग्रस्त या दिमागी हालत बिगड़ी हुई नहीं है अथवा पागलपन या संज्ञान वंचन से पीड़ित नहीं है।

1. आवेदक ने निम्नलिखित दस्तावेज़ निवासी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है :

दस्तावेज़ का स्वरूप	जारी करनेकी तारीख	प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन सील)

व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे कि छाप जिनके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

फॉर्म III
दिव्यांगता प्रमाणपत्र
(बहुविध दिव्यांगता होने पर)
(नियम 4 देखें)
(प्रमाणपत्र जारीकर्ता चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति की
नवीनतम पासपोर्ट
आकार की फोटो (सिर्फ
चेहरे की)

प्रमाणपत्र संख्या ::

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _____
श्री _____ के पुत्र/पत्नी/पुत्री, जन्मतिथि _____
आयु _____ वर्ष, पुरुष/स्त्री _____
(डीडी/एमएम/वाईवाई), पंजीकरण संख्या _____, स्थायी निवास मकान नंबर
_____, वार्ड/गाँव/रास्ता _____, डाकघर _____
जिला _____ राज्य _____ जिनकी फोटो ऊपर चिपकाई

गई है, की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:

(क) उनका मामला **बहुविध दिव्यांगता** का है. उनकी स्थायी शारीरिक विकलांगता/ दिव्यांगता का नीचे सही का चिह्न की गई दिव्यांगता का मूल्यांकन दिशानिर्देश (स्पष्ट करे) के अनुसार किया गया है एवं इसे निम्न तालिका में संबंधित दिव्यांगता के समक्ष दर्शाया गया है :

दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक विकलांगता/ दिमागी दिव्यांगता (% में)
गति विषयक दिव्यांगता	@		
कमजोर दृष्टि	#		
दृष्टिहीन	दोनों नेत्र		
श्रवणहीनता	\$		
दिमागी बाधा	X		
मानसिक रुग्ण	X		

ख) उपरोक्त को देखते हुए, उनकी समग्र स्थायी शारीरिक विकलांगता दिशानिर्देशानुसार (स्पष्ट करे) निम्नवत है:
आंकड़ों में _____ % शब्दों में _____ प्रतिशत

(ग) वे पूर्णरूप से लकवाग्रस्त या दिमागी हालत बिगड़ी हुई नहीं है अथवा पागलपन या संज्ञान वंचन से पीड़ित नहीं है.

2. उनकी स्थिति प्रगतिजनक/गैर-प्रगतिजनक /सुधारयोग्य/गैर-सुधारयोग्य है.

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन है :

(i) आवश्यक नहीं

अथवा

(ii) _____ वर्ष _____ माह के पश्चात सिफारिश की गई है, अतः यह प्रमाणपत्र _____ तक वैध रहेगा.

(डीडी) (एमएम) (वाईवाई)

@ e.g. बाया/दाहिना/दोनों हाथ/पैर

e.g. एक नेत्र/दोनों नेत्र

\$ e.g. बाया/दाहिना/दोनों कान

4 आवेदक ने निम्नलिखित दस्तावेज़ निवासी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है :

दस्तावेज़ का स्वरूप	जारी करनेकी तारीख	प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के विवरण

5 चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन सील

--	--	--

सदस्य का नाम व सील सदस्य का नाम व सील

सदस्य का नाम व सील

अध्यक्ष

व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे कि
छाप जिनके पक्ष में दिव्यांगता
प्रमाणपत्र जारी किया गया है

फॉर्म IV

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(फॉर्म II एवं III में उल्लिखित मामलों को छोड़कर अन्य मामले

(नियम 4 देखें)

(प्रमाणपत्र जारीकर्ता चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति की
नवीनतम पासपोर्ट
आकार की फोटो (सिर्फ
चेहरे की)

प्रमाणपत्र संख्या ::

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी -----
श्री ----- के पुत्र/पत्नी/पुत्री, जन्मतिथि -----
आयु ----- वर्ष, पुरुष/स्त्री ----- (डीडी/एमएम/वाईवाई),
पंजीकरण संख्या -----, स्थायी निवास मकान नंबर -----,
वार्ड/गाँव/रास्ता -----, डाकघर -----,
जिला ----- राज्य ----- जिनकी फोटो ऊपर चिपकाई
गई है, की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:

उनका मामला दिव्यांगता का है. उनकी स्थायी शारीरिक विकलांगता/ दिव्यांगता का मूल्यांकन दिशानिर्देश (स्पष्ट करे) के अनुसार किया गया है एवं इसे निम्न तालिका में संबंधित दिव्यांगता के समक्ष दर्शाया गया है :

दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक विकलांगता/ दिमागी दिव्यांगता (% में)
गति विषयक दिव्यांगता	@		
कमजोर दृष्टि	#		
दृष्टिहीन	दोनों नेत्र		
श्रवणहीनता	\$		
दिमागी बाधा	X		
मानसिक रुग्ण	X		

(कृपया उस दिव्यांगता को काट लगाए, जो लागू न हो)

2. उनकी स्थिति प्रगतिजनक/गैर-प्रगतिजनक/सुधारयोग्य/गैर-सुधारयोग्य है.

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन है :

(i) आवश्यक नहीं

अथवा

(ii) _____ वर्ष _____ माह के पश्चात सिफारिश की गई है, अतः यह प्रमाणपत्र -----
_____ तक वैध रहेगा.

(दिनांक) (माह) (वर्ष)

वे पूर्णरूप से लकवाग्रस्त या दिमागी हालत बिगड़ी हुई नहीं है अथवा पागलपन या संज्ञान वंचन से पीड़ित नहीं है.

@ e.g. बाया/दाहिना/दोनों हाथ/पैर

e.g. एक नेत्र/दोनों नेत्र

\$ e.g. बाया/दाहिना/दोनों कान

4 आवेदक ने निम्नलिखित दस्तावेज़ निवासी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है :

दस्तावेज़ का स्वरूप	जारी करनेकी तारीख	प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के विवरण

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन सील

(नाम व सील)

प्रतिहस्ताक्षरित

(सीएमओ/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी अस्पताल का प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर एवं सील, यदि प्रमाणपत्र चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जो सरकारी सेवक नहीं है (सील सहित)

व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे कि
छाप जिनके पक्ष में दिव्यांगता
प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी : यदि यह प्रमाणपत्र किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, जो सरकारी सेवक नहीं है, ऐसे मामले में, वह तब ही वैध माना जाएगा, जब उस पर जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रति हस्ताक्षर नहीं करता.

टिप्पणी : प्रमुख नियम भारत के गज़ट में अधिसूचना सं. एस.ओ.908 (ई) दिनांक 31 दिसंबर, 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे.

नोटरीकृत शपथ-पत्र
(वांछित मूल्य के उपयुक्त गैर वन्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाईप करें)
(प्रत्येक आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

मैं, _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ आयु _____ वर्ष _____ में निवास करता/ती हूँ। _____ (स्थान) _____ (जिला) _____ (राज्य) में रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु मेरे आवेदन के संबंध में मैं निम्नानुसार सत्यनिष्ठा से पुष्टि एवं कथन करता/ती हूँ :

1	कि मैं भारतीय नागरिक एवं भारत का निवासी हूँ (आयकर नियमों के अनुसार)#										
2	कि मेरी जन्मतिथि <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>दि</td><td>दि</td><td>/</td><td>मा</td><td>मा</td><td>/</td><td>व</td><td>व</td><td>व</td><td>व</td> </tr> </table>	दि	दि	/	मा	मा	/	व	व	व	व
दि	दि	/	मा	मा	/	व	व	व	व		
3	* कि मैंने बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक्यूलेशन/10वीं कक्षा की परीक्षा _____ वर्ष में उत्तीर्ण की है/ 10वीं कक्षा के समकक्ष सशस्त्र दल द्वारा जारी प्रमाणपत्र _____ वर्ष में उत्तीर्ण <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>व</td><td>व</td><td>व</td><td>व</td> </tr> </table>	व	व	व	व						
व	व	व	व								
4	* कि मैं एतद्वारा पुष्टि करता/ती हूँ कि "सामान्य एवं ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए डीलर के चयन हेतु ब्रोशर" में "अपात्रता" का खण्ड के अधीन परिभाषित बहुविध डीलरशिप मानदंड की प्रयोज्यता के अनुसार रिटेल आउटलेट डीलरशिप के आबंटन के लिए पात्र हूँ एवं उसमें वर्णित अन्य शर्तों के अन्तर्गत रिटेल आउटलेट डीलरशिप के आबंटन हेतु अपात्र नहीं हूँ।										
5	कि मैं एतद्वारा पुष्टि करता/ती हूँ कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य (विवरणिका के "अपात्रता" खण्ड में परिभाषित बहुविध डीलरशिप मानकों के अनुसार) तेल विपणन कंपनी का कर्मचारी नहीं है।										
6	कि मैं विवाहित हूँ और विवाह पूर्व मेरा नाम _____ था और श्री _____ से विवाहोपरान्त मेरा नाम श्रीमती _____ हुआ।										
7	कि मैं मानिसक रूप से स्वस्थ हूँ और मैं पूर्णतः लकवाग्रस्त नहीं हूँ।										
8	कि मुझे कभी भी नैतिक अधमता और/ अथवा आर्थिक गुनाहों के लिए सज़ा नहीं हुई है (स्वतन्त्रता सेनानी के अलावा)।										
9	मैं पुष्टि करता/ती हूँ कि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से सूचना प्राप्त होने के 4 महीनों के भीतर मैं संबंधित तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से पूर्व - एमआई के आधार पर उत्पादों की डिलिवरी लेने की व्यवस्था करूंगा/गी।										
10	कि मैं एतद्वारा पुष्टि करता/ती हूँ कि मैं किसी भी तेल कंपनी के ऐसे किसी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार का हस्ताक्षरकर्ता नहीं हूँ जिसे साबित कदाचार और/अथवा विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों (एमडीजी) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर बंद किया गया था।										
11	क) यदि मुझे रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु चुना जाता है तो मैं वचन देता/ती हूँ कि मैं लोकेशन हेतु विज्ञापन में उल्लिखित वांछित अवसंरचना एवं सुविधाओं के विकास हेतु एवं आउटलेट के परिचालन हेतु कार्यशील पूंजी व आवश्यक निधियों की व्यवस्था करूंगा/गी। ख) मुझे यह भी ज्ञात है कि यदि तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपर्युक्त अनुच्छेद (क) के अनुसार निधियों की व्यवस्था नहीं कर पाया/पाई, तो आबंटन वापस ले लिया जाएगा और मैं तेल कंपनी से किसी प्रकार का दावा/क्षति नहीं मांग सकता/ती।										

	<p>कि आवेदक के साथ भूमि से संबंधित संलग्न आवेदन फॉर्म के खण्ड क्र. 9 में दिया गया ब्योरा, सह मालिक(कों) के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र (यदि लागू हों) और अधिवक्ता का पुष्टिकरण पत्र :</p> <p>क) सही है और दावे के समर्थन में भूमि दस्तावेज जब कभी ऑयल कंपनी द्वारा मांग की जाएगी, प्रस्तुत किया जाएगा.</p> <p>ख) कि यदि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए हमारा चयन होता है तो हम वचन देते हैं कि आवेदन फार्म में उल्लिखित अनुसार जिसके लिए मैंने आवेदन किया है रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए उक्त भूमि उपलब्ध कराएंगे ।</p> <p>ग) मुझे ज्ञात है कि यदि मेरे उक्त दावे के समर्थन में वांछित दस्तावेज नहीं होते या किसी भी समय भिन्न पाए जाते हैं तो मेरा आवेदन/उम्मीदवारी अवैध मानी जाएगी और तेल कंपनी द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाएगा।</p> <p>घ) मुझे यह भी ज्ञात है कि यदि मैं आशय पत्र में दी गई अवधि के भीतर तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) की आवश्यकतानुसार रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए आवश्यक उक्त भूमि उपलब्ध नहीं करा पाया/पाई तो आबंटन वापस ली जा सकती है और मैं तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) से कोई दावा क्षति नहीं मांग सकता/ती हूँ।</p> <p>च) हमें यह भी ज्ञात है कि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए चुने जाने पर मैं तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की संतुष्टि हेतु सड़क स्तर तक अच्छी मिट्टी, मुरुम से विकसित करने, मानक अभियांत्रिकी पद्धतियों के अनुसार स्तरवार संधन बनाने एवं प्रस्तावित भूमि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को देने के लिए बाध्य हूँ और मैं स्थल की स्थितिनुसार बनाए गए तथा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के अभियंताओ द्वारा अनुमोदित कम से कम 1.5 मीटर ऊंची प्रतिधारण दीवार तथा परिसर दीवार बनवाऊंगा/गी।</p> <p>छ) हमें यह भी ज्ञात है कि यदि कोई अन्य आवेदक _____स्थान_____जिला_____राज्य में रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए हमारे द्वारा प्रस्तावित भूमि को वह भी प्रस्तावित करता है, तो रिटेल आउटलेटडीलरशिप हेतु मेरी उम्मीदवारी अस्वीकृत होगी।</p>
13	<p>कि मैं एतद्वारा पुष्टि करता/ती हूँ कि डीलर नियुक्त होने पर मैं न तो कही अन्य नौकरी करूंगा/गी और न ही राज्य/केन्द्रिय सरकार से वेतन/भत्ते/परिलब्धियाँ लूंगा/गी।</p> <p>यदि मैं नौकरी में हूँ तो नौकरी से इस्तीफा दूंगा/गी और तेल कंपनी द्वारा जारी किया जानेवाला नियुक्ति पत्र स्वीकार करने से पहले मेरे नियोक्ता द्वारा इस्तीफा की स्वीकृति का सबूत के तौर पर प्रस्तुत करूंगा/गी।</p>
14	<p>मैं विवाहित हूँ मैं वचन देता/ती हूँ कि यदि मुझे डीलरशिप आबंटित होती है तो मैं डीलरशिप में पति/पत्नी को शामिल करने संबंधी _____(तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी)) की शर्तें पूर्ण करूंगा/गी।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>मैं अविवाहित हूँ। मैं वचन देता/ती हूँ कि कम्पनी को मेरे विवाह की सूचना दूंगा/गी और वचन देता/ती हूँ कि यदि मुझे डीलरशिप आबंटित की जाती है तो विवाह के एक वर्ष के भीतर डीलरशिप में पति/पत्नी को शामिल करने संबंधी _____(तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी)) की शर्तें पूर्ण करूंगा/गी।</p>

15	मैं वचन देता/ती हूँ कि मैं उक्त डीलरशिप के आबंटन/परिचालन संबंधी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन / हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन/भारत सरकार अथवा अन्य किसी सांविधिक निकाय द्वारा समय समय पर जारी संबद्ध दिशा-निर्देशों का पालन करूंगा/गी।
16	कि यदि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए मेरे आवेदन अथवा आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत किसी दस्तावेज से अथवा इस शपथ-पत्र में दी गई कोई जानकारी/घोषणा झूठ या गलत या अवास्तविक पाई जाती है तो _____ (तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) का नाम) अपने अधिकारों के तहत आशयपत्र वापस ले सकते हैं। डीलरशिप समाप्त कर सकते हैं (यदि नियुक्ति हुई तो) और इस प्रकार की वापसी/समाप्ति के लिए मैं कॉर्पोरेशन से कोई दावा नहीं कर सकता/ती।
17	सिर्फ उन आवेदकों के लिए जो एस्केओ डीलर की श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करते हैं* (जो लागू न हो उसे काट दे. क) कि मैं _____ (ओएमसी का नाम) _____ के नाम और शैली में _____ (स्थान) पर एस्केओ का एकमात्र मालिक हूँ जो आरओ डीलरशिप के लिए विज्ञापन के माह तत्काल 12 माह के पूर्व की अवधि में एस्केओ के 75केएल प्रति माह के नीचले औसतन आबंटन पर परिचालित करता था/थी. ख) कि मुझे विज्ञापन की तारीख से पूर्व विगत 5 वर्षों में विपणनीय अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीओ) के उल्लंघन हेतु दंडित नहीं किया गया है और/अथवा विपणनीय अनुशासन दिशानिर्देश, डीलरशिप करार, केरोसिन कंट्रोल ऑर्डर या ईएसएमए के तहत मेरी डीलरशिप के विरुद्ध कोई कार्यवाहियाँ लंबित नहीं हैं. सी) कि मुझे ज्ञात है कि यदि मेरा चयन आरओ डीलरशिप के रूप में किया जाता है, तो आइओसी/बीपीसी/एचपीसी द्वारा नियुक्ति से पूर्व मैं एस्केओ डीलरशिप अभ्यर्पित (सरेंडर) करना/नी होगा/गी।

यदि कोई व्यक्ति पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में 182 दिन या उससे अधिक रहा, तो आयकर नियमों के अनुसार वह भारत का नागरिक माना जाता है, चाहे उसका नागरिकत्व कहीं का भी हो। यदि उसका निवास 182 दिनों से कम है तो वह अनिवासी माना जायेगा।

* जो लागू नहीं उसे काटें ।

मैं एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त कथन सही और ठीक है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

साक्षी का हस्ताक्षर
(नाम बड़े अक्षरों में)

मेरे समक्ष सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्ट एवं घोषित। _____ महीने का _____ दिन

हस्ताक्षर व मुहर
मंजिस्ट्रेट/जज/नोटरी पब्लिक

नोटरीकृत शपथपत्र

(वांछित मूल्य के उपयुक्त गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाईप करें)

(गैर-व्यक्तिगत आवेदक प्रस्तुत करें)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन*/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन*/ हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन*
 _____ के _____ (स्थान) के रिटेल आउटलेट डीलरशिप मामले में,
 _____ (पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/धर्मार्थ न्यास*)
 _____ स्थान ने _____ में _____ (तेल कंपनी का नाम
) के रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु आवेदन किया है।

में _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ आयु _____ वर्ष
 _____ का निवासी _____ की हैसियत से सत्यनिष्ठापूर्वक घोषित करता/ती हूँ:

- 1) कि पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/धर्मार्थ न्यास* द्वारा पारित संसकल्प द्वारा मुझे पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/धर्मार्थ न्यास* की आरे से उक्त डीलरशिप हेतु आवेदन करने के लिए अधिकृत किया है। संकल्प/प्राधिकरण की प्रतिलिपि संलग्न है जो शपथ-पत्र का हिस्सा है।
- 2) कि उक्त पंजीकृत सोसायटी _____ * राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या 1912 या राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। कंपनी का गठन कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के अंतर्गत किया गया है। धर्मार्थ न्यास _____ * राज्य सरकार के धर्मार्थ आयुक्त के पास _____ को _____ (पंजीकरण / समावेशन की तिथि) पंजीकृत है और पंजीकरण प्रामाणपत्र की फोटोकॉपी संलग्न है जो इस शपथ-पत्र का हिस्सा है।
- 3) कि सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्रानुसार हमारी पंजीकृत सोसायटी* / कंपनी* ने लगातार पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान शुद्ध लाभ कमाया (धर्मार्थ न्यासों पर लागू नहीं)
- 4) पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/धर्मार्थ न्यास* की ओर से हम वचन देते हैं कि हम उक्त डीलरशिप के आबंटन संबंधी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन/भारत सरकार अथवा अन्य किसी सांविधिक निकाय द्वारा समय-समय पर जारी सभी समबद्ध दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।
- 5) कि पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/धर्मार्थ न्यास* की ओर से हम वचन देते हैं कि हम अपनी एन्टिटी के जरिए डीलरशिप चलाएंगे।
- 6) कि न तो हमारी पंजीकृत सोसायटी/कंपनी/धर्मार्थ न्यास और न ही इस पंजीकृत सोसायटी/धर्मार्थ न्यास की अधिशासी निकाय/प्रबंध निकाय/अन्य निकाय का कोई सदस्य/ कंपनी के निदेशक, न्यायालय द्वारा कानून के अंतर्गत दण्डनीय नैतिक अधमता और/अथवा आर्थिक गुनाहों (स्वतंत्रता की लड़ाई को छोड़कर) के दोषी पाए गए हैं।

- 7) कि न तो यह एन्टिटी और न ही इस पंजीकृत सोसायटी/धर्मार्थ न्यास की शासी निकाय/प्रबंध निकाय/अन्य निकाय का कोई सदस्य/ कंपनी के निदेशक किसी तेल कंपनी के डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप करार के हस्ताक्षरकर्ता थे, जिसे कदाचार और/अथवा विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) का उल्लंघन करने पर समाप्त कर दिया गया है।

(उक्त खंड 7 व 8 उन सरकारी स्वामित्व कंपनियों पर लागू नहीं है जिन्हें बतौर सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र व संयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों या सरकार प्रशासित संगठन के साथ प्रमुख शेयरहोल्डिंग परिभाषित किया गया है)

- 8) हम एतद्वारा यह पुष्टि करते हैं कि "सामान्य एवं ग्रामीण रिटेल आउटलेट हेतु डीलरों के चयन के लिए ब्रोशर" में "अयोग्यता" खंड के अंतर्गत परिभाषित बहुविध डीलरशिप मापदंड की प्रयोज्यता के अनुसार रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए हम पात्र हैं और उसमें वर्णित अन्य शर्तों के अनुसार रिटेल आउटलेट डीलरशिप के आबंटन के लिए अयोग्य नहीं हैं।

- 9) कि पंजीकृत सोसायटी*/कम्पनी*/धर्मार्थ न्यास की ओर से मैं वचन देता/ती हूँ कि तेल कम्पनी से डिलीवरी सूचना प्राप्त होने के 4 महीनों के भीतर तेल कम्पनी से पूर्व - एमआईके आधार पर उत्पादों की डिलीवरी लेने की व्यवस्था करूंगा/गी*

10)

क. कि पंजीकृत सोसायटी*/कम्पनी*/धर्मार्थ न्यास* की ओर से मैं वचन देता/ती हूँ कि यदि हमारा चयन आरओ डीलरशिप के लिए होता है, हम वचन देते हैं कि वांछित अवसंरचना के विकास एवं आबंटित आउटलेट पर सुविधाओं तथा आउटलेट के परिचालन हेतु कार्यशील पूंजी के लिए अपेक्षित निधि की व्यवस्था स्थान के लिए दिये गए विज्ञापन में वर्णित दिशानिर्देशानुसार करूंगा/गी.

ख) हमें यह भी ज्ञात है कि उक्त निधि की व्यवस्था करने में यदि हम असमर्थ रहते हैं, जैसा कि उपर्युक्त पैरा (1) में वर्णित है, आबंटन हटा दिया जाएगा एवं ऑयल कंपनी (ऑयल कंपनी का नाम) से किसी प्रकार का दावा/क्षति नहीं मांग सकेंगे।

- 11) कि पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/धर्मार्थ न्यास* की ओर से मैं वचन देता/ती हूँ कि आवेदन फॉर्म के खण्ड क्र. 9 और अधिवक्ता के पुष्टिकरण पत्र में दिए गए ब्यौरे :-

क. सही है और दावे के समर्थन में भूमि दस्तावेज़ आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न है।

ख. कि यदि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए हमारा चयन होता है, तो हम वचन देते हैं कि आवेदन फॉर्म में उल्लिखित अनुसार हम _____
स्थान _____ जिला _____ राज्य में जिसके लिए हमने आवेदन किया है, रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए उक्त भूमि उपलब्ध कराएंगे।

ग. हमें ज्ञात है कि यदि हमारे उक्त दावे के समर्थन में वांछित दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए या यदि हमारा उक्त दावा भिन्न पाया गया, तो आगे की कार्रवाई के लिए तेल कम्पनी द्वारा हमारा आवेदन/उम्मीदवारी को अमान्य किया जाएगा।

- घ. हमें यह भी ज्ञात है कि यदि हम आशय-पत्र में उल्लिखित अवधि के भीतर तेल कम्पनी (तेल कम्पनी का नाम) द्वारा वांछित रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए उक्त भूमि उपलब्ध नहीं करा पाए, तो आबंटन वापस ली जा सकती है और तेल कम्पनी (तेल कम्पनी का नाम) पर हमारा कोई दावा/क्षति का दावा नहीं कर सकते।
- च. हमें यह भी ज्ञात है कि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए चुने जाने पर हम तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की संतुष्टि हेतु सड़क स्तर तक अच्छी मिट्टी/मरम, मानक अभियांत्रिकी पद्धतियों के अनुसार स्तरवार सधन बनाकर प्रस्तावित भूमि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को देने के लिए बाध्य हूँ और हम स्थल की स्थितिनुसार बनाए गए तथा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) अभियंताओं द्वारा अनुमोदित कम-से-कम 1.5 मीटर ऊँची प्रतिधारण दीवार तथा परिसर दीवार बनवायेंगे/ बनवाउंगा/गी।
- छ. हमें यह ज्ञात है कि यदि कोई अन्य आवेदक _____स्थान _____ जिला _____राज्य में रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए हमारे द्वारा प्रस्तावित भूमि को वह भी प्रस्तावित करता /करते हैं, तो रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु हमारी उम्मीदवारी अस्वीकृत होगी।
- 12) कि यदि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए मेरे आवेदन अथवा आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत किसी दस्तावेज में अथवा इस शपथ-पत्र में दी गई कोई जानकारी/घोषणा झूठ या गलत या अवास्तविक पाई जाती है तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन* / भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन* /हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन* अपने अधिकारों के तहत आशय- पत्र वापस ले सकते हैं/ डीलरशिप समाप्त कर सकते हैं (यदि नियुक्ति हुई तो) और इस प्रकार वापसी/समाप्ति के लिए हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन*/ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन* /हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन* से कोई दावा नहीं कर सकते।

* जो लागू नहीं उसे काटें ।

मैं एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त कथन सही और ठीक है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

साक्षी के हस्ताक्षर
नाम बड़े अक्षरों में

मेरे समक्ष सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि एवं घोषणा की गई। _____ महीने का _____ दिन

हस्ताक्षर व मुहर
मॅजिस्ट्रेट/जज/नोटरी पब्लिक

साक्षी के हस्ताक्षर
(नाम बड़े अक्षरों में)